द्वितीय माला, खण्ड १५—अंक ५०

२२ अप्रैल, १९५८ (मंगलवार)

लोक-सभा

वाद-विवाद

2nd Lok Sabha

(Fourth Session)

सत्यमेव जयते

(खण्ड १५ में अंक ४१ से अंक ५० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,

नई दिल्ली

६२ नये पैसे (देश में) ३ शिलिंग (विदेश में)

54 LSD

द्वितीय माला, खण्ड १५—अंक ४१ से अंक ५०—८ अप्रैल से २२ अप्रैल, १६५८ अंक ४१—मंगलवार, ८ अप्रैल, १६५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न* संख्या १५१५ से १५२२, १५२४ से १५२७, १५३०, १५३३, १५३६, १५३८ से १५४०, १५४२ से १५४४ ... ४१४३—६७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५२३, १५२८, १५२६, १५३१, १५३२, १५३४, १५३५, १५३७, १५४१ ... ४१६७—७०

अतारांकित प्रश्न संख्या २१२० से २१२७, २१२६ से २१४७, २१४६ से २१६२, २१६४ से २१८१, २१८३ से २१८६, २१८८ से २२०० ... ४१७०—४२०३

सभा पटल पर रखे गये पत्र ४२०३

प्राक्कलन समिति—

छठा तथा सातवां प्रतिवेदन ४२०३

कर्मचारी राज्य बीमा निगम के वार्षिक तिवेदनों के बारे में वक्तव्य ... ४२०३–०४

अनुदानों की मांगें—

श्रम और रोजगार मंत्रालय ... ४२०४—५६

दैनिक संक्षेपिका . . . . . . ४२६०—६४

अंक ४२—बुधवार, ६ अप्रैल, १६५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न* संख्या १५४५, १५४६, १५४६ से १५५१, १५५३, १५५५ से १५६१, १५६४ से १५७१ और १५७३ से १५७५ ... ४२६५—६०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १३ . . . . ४२६१—६३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५४७, १५४८, १५५२, १५५४, १५६२, १५६३ और १५७२ . . . ४२६३—६६

अतारांकित श्न संख्या २२०१ से २२४७ . . ४२६७—४३१८

64 LSD—9

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
उन्नीसवां प्रतिवेदन ४३१८

प्राक्कलन समिति—
आठवां प्रतिवेदन ४३१८

तारांकित प्रश्न के उत्तर की शुद्धि के बारे में वक्तव्य . . ४३१९

अनुदानों की मांगें—
वैदेशिक-कार्य मंत्रालय . . . . . ४३१९—६७

दैनिक संक्षेपिका . . . . . . ४३६८—७१

अंक ४३—गुरुवार, १० अप्रैल, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—
तारांकित प्रश्न* संख्या १५७६ से १५७८, १५८१ से १५८६, १५८८, १५८९, १५९१, १५९३, १५९४, १५९६, १५९८ और १५९९ ४३७३—९७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या १५७९, १५८०, १५८७, १५९०, १५९२, १५९५, १५९७, १६०० और १६०१ . . ४३९७—४४००
अतारांकित प्रश्न संख्या २२४८ से २२५२, २२५४ से २२५९ और २२६१ से २२८७ . . . . ४४००—१८

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . ४४१८—१९

अनुदानों की मांगें . . . . . . ४४१९—६२
अणुशक्ति विभाग . . . . . . ४४१९—३६
पुनर्वास मंत्रालय . . . . . . ४४३६—६२

आसाम में चाय बागानों के बन्द होने के बारे में आधे घंटे की चर्चा . ४४६२—६५

दैनिक संक्षेपिका . . . . . . ४४६६—६९

अंक ४४—शुक्रवार, ११ अप्रैल, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—
तारांकित प्रश्न* संख्या १६०३ से १६०५, १६०८, १६११, १६१४ से १६२२, १६२४ और १६१० . . . ४४७१—९२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या १६०६, १६०७, १६०९, १६१२, १६१३, १६२३ ४४९२—९५
अतारांकित प्रश्न संख्या २२८८ से २३०१ और २३०३ से २३३२ ४४९५—४५१७

सभा-पटल पर रखा गया पत्र ४५१७

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
गोआ जाने पर लगे प्रतिबन्धों में ढील . . . ४५१७—१८

पृष्ठ

सभा का कार्य ४५१८

अनुदानों की मांगें—

पुनर्वास मंत्रालय . . . . . . ४५१८—४६

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

उन्नीसवां प्रतिवेदन ४५४७

राज्यपाल के पद पर रह चुके व्यक्तियों पर प्रतिबन्ध लगाने के बारे में संकल्प . . . . . . ४५४७—५६

संकल्प अस्वीकृत हुआ ४५५६

परीक्षा प्रणाली के पुनर्नवीकरण के बारे में संकल्प . . ४५५६—६६

दैनिक संक्षेपिका . . . . . . ४५७०—७३

अंक ४५—सोमवार, १४ अप्रैल, १६५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न* संख्या १६२५ से १६३०, १६३२, १६३५ से १६३७, १६३६ से १६४२, १६४५, १६४६ और १६४६ . ४५७५—६६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६३१, १६३३, १६३४, १६३८, १६४३, १६४४, १६४७, १६४८, १६५० और १६५१ . . ४५६६—४६०३

अतारांकित प्रश्न संख्या २३३३ से २४०६ . . ४६०३—३६

सभा पटल पर रखा गया पत्र ४६३६

अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का स्पष्टीकरण . . . ४६३६

कर्मचारी भविष्य-निधि (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित ४६३६-३७

अनुदानों की मांगें—

गृह-कार्य मंत्रालय . . . . . . ४६३७—६४

दैनिक संक्षेपिका . . . . . . ४६६५—६६

अंक ४६—मंगलवार, १५ अप्रैल, १६५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न* संख्या १६५२ से १६५५, १६५७, १६५६, १६६१ से १६६७, १६६६, १६७१, १६७२, १६७४ से १६७६ और १६५६ . . . . . . ४७०१—२७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६५८, १६६०, १६६८, १६७० और १६७३ ४७२७—२६

अतारांकित प्रश्न संख्या २४१० से २४३०, २४३२ से २४५३ और २४५५ से २४५७ . . ४७२६—४७

सभा पटल पर रखे गये पत्र ४७४७–४८

कार्य मंत्रणा समिति—

तेईसवां प्रतिवेदन ४७४८

प्राक्कलन समिति—

नवा तिवेदन ४७४८

संसदाय समितियां—कार्य का सारांश . . . ४७४८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

पूर्वी पाकिस्तान-आसाम सीमा पर पाकिस्तानी सीमान्त सेना द्वारा पुनः गोली चलाना ४७४९–५०

तारांकित प्रश्न के अनुपूरक के उत्तर की शुद्धि के बारे में वक्तव्य . ४७५०

संयक्त समिति में नियुक्ति के बारे में प्रस्ताव . . . ४७५१

अनुदानों की मांगें . . . . . ४७५१—९९

गृह-कार्य मंत्रालय . . . . . ४७५१—६२

प्रतिरक्षा मंत्रालय . . . . . ४७६२—९९

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ४८००—०३

अंक ४७—बुधवार, १६ अप्रैल, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न* संख्या १६७७, १६७८, १६८१, १६८३, १६८६,१६८८ से १६९३, १६९६ से १७०४. . ४८०५—३०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १४ . . . . ४८३०—३२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६७९, १६८०, १६८२, १६८४, १६८७,१६९४ . . . . . ४८३२—३४

अतारांकित प्रश्न संख्या २४५८ से २४९८ . . ४८३४—५३

श्री शंभू दयाल मिश्र का निधन ४८५३

स्थगन प्रस्ताव ४८५३–५४

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . ४८५४

अनुपूरक प्रश्न के उत्तर की शुद्धि . . . ४८५५

कार्य मंत्रणा समिति—

तेईसवां प्रतिवेदन ४८५५

अनुदानों की मांगें . . . . . ४८५५—४९०२

प्रतिरक्षा मंत्रालय . . . . . ४८५५—८६

वित्त मंत्रालय . . . . . ४८८६—४९०२

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ४९०३—०६

अंक ४८—गुरुवार, १७ अप्रैल, १९५८ पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न* संख्या १७०५, १७०७ से १७१६, १७१९ से १७२१ और १७२३ . . . . . ४९०७—२९

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १५ . . . . . ४९२९—३२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७१७, १७१८, १७२२ और १७२४ से १७२८ . . . . . . ४९३३—३६

अतारांकित प्रश्न संख्या २४९९ से २५२८ . . ४९३६—५२

गर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

बीसवां तिवेदन ४९५२

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

पाकिस्तान के प्रतिनिधि का सुरक्षा परिषद् को पत्र . . ४९५२-५३

स्थगन प्रस्ताव—

आसाम की सीमा पर पाकिस्तानी सेनाओं का कथित जमाव . ४९५३—५५

तारांकित प्रश्न संख्या ७३० के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर के स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में वक्तव्य ४९५६

अनुदानों का मांगें—

वित्त मंत्रालय . . . ४९५६—९०

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ४९९१—९४

अंक ४९—शुक्रवार, १८ अप्रैल, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न* संख्या १७२९ से १७३४, १७३७, १७३८, १७४२, १७४३, १७४५, १७४७ से १७४९, १७५१ से १७५४, १७३९ . . . . . . ४९९५—५०१८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न* संख्या १७३५, १७३६, १७४०, १७४१, १७४४, १७४६, १७५० . . . . . . ५०१८—२०

अतारांकित प्रश्न संख्या २५२९ से २५६६, २५६८ से २५७१ . ५०२१—३५

प्राक्कलन समिति—

बारहवां और चौदहवां प्रतिवेदन . . . ५०३५

आगामी सप्ताह के लिये सरकारी कार्य . . . ५०३६

विनियोग (संख्या २) विधेयक पुरःस्थापित . . . ५०३६

वित्त विधेयक	पृष्ठ
विचार करने का प्रस्ताव . . .	५०३६–६२
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के बीसवें प्रतिवेदन के सम्बन्ध में प्रस्ताव . . .	५०६२
राज्य-सवाद प्राप्त इंजीनियरों की संस्था विधेयक—पुरःस्थापित .	५०६२–६३
हिन्दू-विवाह (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . .	५०६३
मुस्लिम विवाह-विच्छेद (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित .	५०६३
हिन्दू सम्पत्ति निर्वर्तन विधेयक—पुरःस्थापित . .	५०६३–६४
हिन्दू उत्तराधिकार (संशो न) विधेयक–पुरःस्थापित . .	५०६४
भारतीय आयकर (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . .	५०६४
संसद्-सदस्यों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक–पुरःस्थापित .	५३६४–६५
नाट्य प्रदर्शन (सँशोधन) विधेयक–	
विचार करने का प्रस्ताव	५०६५—७५
समवाय (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताब	५०७५—७८
दैनिक संक्षेपिका	५०७९—८२

अंक ५०—मंगलवार, २२ अप्रैल, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न* संख्या १७५५, १७५७, १७५८, १७६० से १७६२, १७६४, १७६६, १७६५, १७६८ से १७७३, १७७५, १७७८, १७७९, १७८१ और १७८०	५०८३—५१०७
श्नों के लिखित उत्तर—	
ताराँकित प्रश्न संख्या १७५६, १७५९, १७६३, १७६७, १७७४ और १७७७	५१०७—०९
अतारांकित प्रश्न संख्या २५७२ से २६२१ . . .	५११०—३३
श्री अवधेश कुमार सिंह का निधन . .	५१३४
सभा पटल पर रखे गये पत्र	५१३४
अतिरिक्त अनुदानों की मांग, १९५४–५५—	
विवरण का उपस्थापन	५१३५
प्राक्कलन समिति—	
दसवां प्रतिवेदन	५१३५

पृष्ठ

समितियों के लिये निर्वाचन ५१३५–३६

१. प्राक्कलन समिति ५१३५

२. लोक लेखा समिति ५१३५–३६

लोक लेखा समिति में राज्य सभा के सदस्यों को सम्मिलित किये जाने के बारे में प्रस्ताव ५१३६–३७

विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९५८—

विचार करने का प्रस्ताव ५१३७–३८

पारित करने का प्रस्ताव ५१३८

वित्त विधेयक, १९५८—

विचार करने का प्रस्ताव . . . . . ५१३८—७८

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ५१७९—८३

नोटः—मौखिक उत्तर वाले श्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

लोक-सभा वाद-विवाद

लोक-सभा

मंगलवार, २२ अप्रैल, १९५८

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ढाका में खाकसारों का प्रदर्शन

†*१७५५. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** १४ नवम्बर, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या १५० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ढाका स्थित भारतीय उप-उच्च आयुक्त के कार्यालय के सामने ११ अक्टूबर, १९५७ को खाकसार प्रदर्शनकारियों द्वारा धमकीपूर्ण भाषण देने और गाली गलौच का प्रयोग करने के बारे में भारत सरकार ने जो विरोध प्रकट किया था क्या पाकिस्तान सरकार से उस का कोई उत्तर प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या स्वरूप है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) जी, हां ।

(ख) पाकिस्तान सरकार ने अपने उत्तर में यह स्वीकार किया है कि प्रदर्शन हुआ था किन्तु प्रदर्शनकारी शान्त थे तथा उनमें कोई हिंसात्मक लक्षण नहीं थे । पाकिस्तान सरकार के अनुसार इन प्रदर्शनों का कारण काश्मीर विवाद के प्रति पाकिस्तानी जनता में व्याप्त उद्वेगपूर्ण भावनाएं हैं और उन्होंने कहा है कि वे इन प्रदर्शनों को रोकने में असमर्थ हैं ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या खाकसार नेता की रिहाई के पश्चात् इस प्रवृत्ति में कोई अन्तर हुआ है ?

†**श्री सादत अली खां** : जी नहीं । अल्लामा मशरीकी जनवरी के अन्त में मुक्त किये गये थे और उन्होंने अपने पत्र **वक्त** के माध्यम से घृणा और निन्दापूर्ण आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया है । वह अत्यन्त सक्रिय हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

64 LSD.—1.

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या भारत-पाकिस्तान सीमा पर उन्होंने कुछ शिविर स्थापित कर दिये हैं और कुछ व्यक्तियों को भरती किया जा रहा है ? उनके शिविरों एवं खाकसारों की भरती पर निगरानी रखने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**श्री सादत अली खां** : आजकल इस प्रकार की कोई खबरें नहीं हैं कि पूर्वी अथवा पश्चिमी पाकिस्तान से सम्बद्ध हमारी सीमा पर अल्लामा के संगठन द्वारा कोई शिविर स्थापित किये गये हों ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : जब पाकिस्तान ने प्रदर्शनों को रोकने में अपनी असमर्थता प्रकट कर दी है तो इस प्रकार का संदेश पाकिस्तान से प्राप्त होने के पश्चात् वहां इस प्रकार के प्रदर्शन रुक गये हैं अथवा उनकी वृद्धि हो रही है ?

†**श्री सादत अली खां** : उनका कथन है कि वे प्रदर्शन नहीं रोक सकते हैं और स्वभावतः ढाका स्थित उप-उच्च आयुक्त ने पूर्वी पाकिस्तान के समक्ष एक और विरोध पत्र प्रस्तुत किया है । उस में कहा गया है कि उनका उत्तर अत्यन्त संतोषजनक नहीं था ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच है कि खाकसारों के बारे में अनेक पत्रों में यह सन्देह प्रकट किया जाता है कि वे भारत और पूर्वी पाकिस्तान सीमा पर बराबर अशान्ति बनाये रखने के लिये उत्तरदायी हैं और सीमा पर तैनात सेनाओं के परोक्ष में सक्रिय सहायता प्रदान कर रहे हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : क्या माननीय सदस्य का मस्तिष्क पूर्वी-पाकिस्तान-आसाम सीमा की स्थितियों से भाराक्रांत है ?

†**श्री हेम बरुआ** : जी हां ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यह सर्वथा भिन्न है। यह एक व्यापक प्रश्न है और इसके बारे में एक लम्बा वक्तव्य भी दिया जा चुका है ।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : उत्तर देते समय माननीय मंत्री ने बताया है कि प्रदर्शनकारियों ने भारतीय उप-उच्च आयुक्त के कार्यालय के सामने जुलूस निकाले थे । उस समय प्रदर्शनकारियों द्वारा क्या नारे लगाये गये थे ?

†**श्री सादत अली खां** : किन्तु इस सभा में तो नारे नहीं लगाये जा सकते हैं ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : उनका ताल्लुक मुझ नाचीज़ से था ।

श्री बाजपेयी : पाकिस्तान ने इस बारे में तो अपनी असमर्थता प्रकट की है कि वह लोगों को प्रदर्शन करने से नहीं रोक सकता । लेकिन हम ने जो पाकिस्तान को पत्र भेजा था उसमें खाकसार नेताओं के धमकी भरे भाषणों की ओर ध्यान खींचा था । तो क्या पाकिस्तान ने इस सम्बन्ध में भी कोई उत्तर दिया है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : कुछ कभी-कभी इस किस्म की धमकियां देने की आदत इधर के लोगों की भी है ।

श्री बाजपेयी : प्रधान मंत्री मेरे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं या आरोप लगा रहे हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं लेकिन मैं कह रहा हूं कि इस किस्म की बात यहां भी होती है, तो उनसे बहुत ज्यादा जोर से कुछ कहने में कमजोरी आ जाती है। हम ने उनको खत लिखा है और बताया है। और कुछ हम नहीं कर सकते। हम ने उनको पत्र भेजा, तवज्जह दिलायी, उन्होंने कुछ अपनी नाकाबिलियत का इजहार किया कि हम इसको रोक नहीं सकते, बात खत्म हो गयी। हम वहां फौज तो नहीं ले जायेंगे।

†**श्री त्यागी** : पाकिस्तानी सरकार के उत्तर को ध्यान में रखते हुए मैं यह जानना चाहता हूं कि वहां हमारे दूतावास में जन-धन की सुरक्षा के लिये क्या व्यवस्था की गई है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं नहीं जानता कि किसी प्रकार की गारंटी दी गई है किन्तु इसका उत्तरदायित्व उन पर ही है। उन्होंने यह अनुभव किया है और स्वीकार भी किया है। जहां तक मुझे मालूम है वहां धन-जन की कोई हानि नहीं हुई है। अल्लामा मशरीकी के बारे में लोगों का मत है कि वह गम्भीर एवं संतुलित विचार के व्यक्ति नहीं हैं।

भिलाई में विस्थापित व्यक्ति

+

†*१७५७. { **श्री बि० दास गुप्त :**
श्री वि० च० शुक्ल :
श्री घोषाल : }

क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विस्थापित व्यक्तियों को मध्य प्रदेश में भिलाई के निकट बसाने के बारे में एक योजना सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना का क्या स्वरूप है ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) और (ख). पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों को भिलाई के समीप बसाने की कुछ योजनाओं का परीक्षण किया जा रहा है। ये योजनायें भिलाई के समीप मुर्गीखाना और डेरी फार्म की स्थापना और टाउनशिप में एक बाजार के निर्माण से सम्बन्धित हैं।

†**श्री बि० दास गुप्त** : इन योजनाओं के परीक्षण के समय क्या पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री द्वारा विस्थापित व्यक्तियों को दिये गये इस आश्वासन का भी विचार रखा जायेगा कि विस्थापित व्यक्तियों को उनकी मर्जी के विरुद्ध पश्चिमी बंगाल के बाहर नहीं भेजा जायेगा ?

†**श्री पू० शे० नास्कर** : इसका मूल प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है। माननीय सदस्य पृथक प्रश्न पूछें तो मैं उसका उत्तर दे दूंगा।

†**श्री स० म० बनर्जी** : इस प्रश्न का मूल प्रश्न से यह सम्बन्ध है कि पूर्वी पाकिस्तान के कुछ विस्थापित व्यक्ति बाहर भेजे जायेंगे जब कि पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति को बिना मर्जी के बाहर जाने को विवश नहीं किया जायेगा।

†**श्री पू० शे० नास्कर** : अनेक व्यक्ति जाने को इच्छुक हैं।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या शरणार्थियों को बसाने के लिये मध्य प्रदेश सरकार ने जो २०,००० एकड़ भूमि दी थी वहां सड़कें और पुल बनाये जा रहे हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री पू० शे० नास्कर : अब मध्य प्रदेश द्वारा जितनी भी जमीन कृष्यकरण के लिये दी जाती है वह दण्डकारण्य योजना का अंग स्वरूप कहलायेगी। माननीय सदस्य की जानकारी के लिये मैं यह बता दूं कि मध्य प्रदेश में धर्मजयगढ़ और अम्बिकापुर में हमने दो बस्तियां स्थापित की हैं।

†श्री घोषाल : क्या ट्रेनिंग के पश्चात् उन्हें भिलाई इस्पात फैक्टरी में नौकरी दिलाने का उपबन्ध किया गया है ?

†श्री पू० शे० नास्कर : हमारे मस्तिष्क में जो भी योजनायें हैं वे प्रारम्भिक स्थिति में हैं और यह निश्चित नहीं कहा जा सकता है कि इन इनीगिनी योजनाओं का क्या परिणाम होगा।

डालमिया दादरी सीमेंट लिमिटड

†*१७५८. श्री राम कृष्ण : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को डालमिया दादरी सीमेंट लिमिटेड के शेयर होल्डरों की ओर से शिकायत प्राप्त हुई है कि १ करोड़ ५२ लाख रुपये की आस्तियों से सम्पन्न डालमिया दादरी सीमेंट लिमिटेड दिल्ली की स्वदेशी निर्माण (प्राइवेट) लिमिटेड नामक कम्पनी को हस्तान्तरित की जा रही है जिसके पास केवल ५० हजार रुपये की पूंजी है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) जी, हां।

(ख) स्वदेशी निर्माण (प्राइवेट) लिमिटेड को डालमिया दादरी सीमेंट लिमिटेड के शेयरों का हस्तान्तरण समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ३९५ के अन्तर्गत निर्धारित योजना के अनुसार किया गया है। शेयर होल्डरों के प्रबल बहुमत से इस योजना को स्वीकृत कर देने के तुरन्त पश्चात् ही यह क्रियान्वित की गई थी। इस हस्तान्तरण को रोकने के लिये अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के पास कोई आधार नहीं हैं किन्तु डालमिया दादरी सीमेंट लिमिटेड के शेयरों के बदले में स्वदेशी निर्माण (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा शेयर जारी करने के प्रस्ताव के सम्बन्ध में समवाय अधिनियम के विवरण उपबन्धों का उल्लंघन करने के लिये समवाय पर मुकदमा चला दिया गया है। डालमिया दादरी सीमेंट लिमिटेड के कार्य संचालन के बारे में लगाये गये आरोपों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने धारा २३७ (ख) के अधीन समवाय के कार्यों की जांच करने और अधिनियम की धारा २४७ के अधीन इसके शेयरों के मालिकों की जांच के लिये इंसपेक्टर नियुक्त किये गये हैं।

†श्री राम कृष्ण : इंसपेक्टर यह जांच कब तक पूरी कर लेंगे ?

†श्री सतीश चन्द्र : धारा २४७ के अधीन जांच पूरी हो चुकी है। धारा २३७ (ख) के अधीन जांच अगस्त तक पूरी होने की सम्भावना है।

†श्री फीरोज़ गांधी : क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित हुआ है कि विगत दो वर्षों में अनेक पब्लिक लिमिटेड समवाय प्राइवेट लिमिटेड समवायों में परिणत हो रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इस विषय में कुछ करने को उद्यत् है ?

†श्री सतीश चन्द्र : यह सच है कि कुछ गैर-सरकारी पर्याहित समवाय . . . .

†श्री फीरोज़ गांधी : इनकी संख्या ३५० से अधिक है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री सतीश चन्द्र : उस दिन मैं ने लोक-सभा में संख्या बताई थी किन्तु इस समय मुझे स्मरण नहीं है। समवायों की कुल संख्या की तुलना में यह अधिक नहीं है। किन्तु यह प्रवृत्ति बढ़ रही है और यथा समय समवाय अधिनियम में संशोधन करते समय हम इस पर विचार करेंगे।

†श्री फीरोज गांधी : जब पब्लिक लिमिटेड समवाय को बहुमताय शेयर होल्डरों द्वारा प्राइवेट लिमिटेड समवाय में परिवर्तित कर दिया जाता है तो क्या उस स्थिति में अल्प मत शेयर होल्डरों को कोई अधिकार प्राप्त हैं कि वे सरकार के सामने आकर इसका विरोध करें? यथार्थतः उन्हें समाप्त किया जा रहा है।

†श्री सतीश चन्द्र : यदि पब्लिक लिमिटेड कम्पनी में १० प्रतिशत से अधिक के शेयर होल्डर ऐसा नहीं चाहते हैं तो वे इसे रोकने के लिये न्यायालय का आश्रय ले सकते हैं। सरकार के पास इसे रोकने के लिये कोई अधिकार नहीं है।

†श्री फीरोज गांधी : यदि एक समवाय पब्लिक लिमिटेड कम्पनी के रूप में पंजीकृत है और सरकार ने पंजीकरण स्वीकार कर लिया है तो क्या सरकार के पास इस पब्लिक लिमिटेड समवाय को प्राइवेट लिमिटेड समवाय में पंजीकरण अस्वीकृत करने का अधिकार नहीं है?

†श्री सतीश चन्द्र : स्थानान्तरण की योजनाओं के सम्बन्ध में एक योजना है। समवाय अधिनियम की धारा ३९५ के अधीन अन्य समवाय पब्लिक लिमिटेड समवाय अथवा प्राइवेट लिमिटेड समवाय के शेयर ले सकती है। यदि दस प्रतिशत से अधिक शेयर होल्डर किसी योजना से सहमत नहीं हैं तो वे न्यायालय की सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

†श्री राम कृष्ण : क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि ९५ प्रतिशत से अधिक शेयर केवल एक व्यक्ति—सेठ रामकृष्ण डालमिया के नियंत्रण में हैं? इस परावर्तन को रोकने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

†श्री सतीश चन्द्र : जांच के आधार पर हमारी यह जानकारी है कि ९९.७६ प्रतिशत शेयर यद्यपि विभिन्न नामों पर हैं किन्तु वे सब श्री रामकृष्ण डालमिया से सम्बन्धित हैं और उन्हें ही इनका लाभ प्राप्त होता है।

†श्री राम कृष्ण : श्री राम कृष्ण डालमिया की अपील उच्चतम न्यायालय में खारिज हो गई है इस को दृष्टिगत करते हुए क्या यह जांच तेन्दुलकर आयोग से निर्दिष्ट की जायेगी?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री): इस विषय ने सभा में पर्याप्त रुचि उत्पन्न कर दी है। उपमंत्री ने अभी बताया है कि हमने अपने अधिकारों के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही की है। इंसपेक्टर द्वारा भी जांच कराई गई है। एक अन्य धारा के अधीन भी जांच हो रही है। अल्पसंख्यक शेयर होल्डरों ने उच्च न्यायालय में अपील की थी। यह उच्च न्यायालय में खारिज कर दी गई है। हम यह नहीं चाहते कि यह विशेष मामला तेन्दुलकर आयोग को निर्दिष्ट किया जाय।

†एक माननीय सदस्य : वह तो मर चुके हैं।

†श्री लाल बहादुर शास्त्री : श्री तेन्दुलकर की मृत्यु हो गई है किन्तु आयोग मौजूद है।

†मूल अंग्रेजी में

इसके पहले हमने आर्थिक कार्य विभाग के सामने सुझाव रखा था। श्री तेन्दुलकर और कदाचित आर्थिक कार्य विभाग ने तब इस पर विचार किया था कि इस विषय की जांच करना ठीक नहीं रहेगा क्योंकि वे डालमिया समवायों से सम्बद्ध अनेक मामलों की जांच में संलग्न हैं। किन्तु मैं आर्थिक कार्य विभाग के साथ इस विषय पर विचार करूंगा। यदि आयोग ने जांच के लिये यह विषय भी सम्मिलित कर लिया तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी।

श्रमिकों के रहने की दशा

†*१७६०. **राजा महेन्द्र प्रताप** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भवन निर्माण कार्य में संलग्न सहस्रों श्रमिक गन्दी बस्तियों में दिन काट रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन के रहने की दशा में सुधार करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री के सभा-सचिव (श्री ल० ना० मिश्र)** : (क) सम्भवत: माननीय सदस्य का तात्पर्य दिल्ली में भवन निर्माण उद्योग में लगे हुए श्रमिकों की ओर है। यदि ऐसा ही है तो सरकार यह जानती है कि उनकी जीवित रहने की दशा सन्तोषजनक नहीं है।

(ख) दिल्ली प्रशासन गन्दी बस्तियों में सुधार करने और उनकी सफाई के लिये कार्यक्रम तैयार कर रहा है।

†**राजा महेन्द्र प्रताप** : मैंने यह झोंपड़ियां देखी हैं। मैं ने बिजली कर्मचारियों की झोंपड़ियां भी देखी हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री ने इनका अवलोकन किया है तथा इस बारे में उनका क्या विचार है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि क्या कार्यवाही की गई है। इस से क्या प्रयोजन है कि उन्होंने स्वयं देखा है अथवा नहीं ? इस प्रश्न का उत्तर देना आवश्यक नहीं है।

†**श्री स० म० बनर्जी** : इस प्रकार के कुल कितने श्रमिक हैं और कितने श्रमिक सरकारी क्वार्टरों में रहते हैं ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : इन श्रमिकों की संख्या लगभग ७५,००० है। यह बताना मेरे लिये सम्भव नहीं है कि कितने श्रमिकों के लिये आवास का उपबन्ध किया गया है।

†**श्री स० म० बनर्जी** : कितने व्यक्तियों के लिये आवास का उपबंध किया गया है—एक, दो, तीन, चार—इनकी कितनी संख्या है ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : कदाचित इन लोगों के आवास की व्यवस्था का उत्तरदायित्व सरकार ने नहीं लिया है। अधिकांश श्रमिक ठेकेदारों के अधीन हैं और इस कार्य का उत्तरदायित्व ठेकेदारों पर है। ऐसा प्रबन्ध किया गया है कि इन लोगों के रहने की व्यवस्था करना ठेकेदारों के लिये अनिवार्य हो।

†**राजा महेन्द्र प्रताप** : जहां बड़ी-बड़ी अट्टालिकाओं का निर्माण हो रहा है उनके निकट ही क्या इनके लिये छोटे-छोटे मकान बनाना सम्भव नहीं है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : यह तो कार्यवाही के लिये सुझाव है।

†**डा० क० ब० मेनन** : क्या ठेके में यह भी शर्त रहती है कि ठेके के समय इस आशय का स्पष्ट उपबंध किया जाय कि श्रमिकों के आवास की व्यवस्था कैसी हो ? क्या यह ठेके में सम्मिलित है ? क्या यह ठेके की शर्त होती है ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा)**: सरकारी अभिकरण और विभागो द्वारा जो ठेके दिये जाते हैं उनमें इसका उपबंध रहता है किन्तु प्राइवेट ठेके में आवश्यक रूप से ऐसी व्यवस्था नहीं होती है ।

†**राजा महेन्द्र प्रताप** : मैं इस बात का उत्तर चाहता हूं कि राजधानी में श्रमिकों की स्थिति इतनी लज्जाजनक क्यों है ?

†**श्री नन्दा** : जी हां यह सच है। माननीय सदस्य ने जिन स्थितियों की ओर निर्देश किया है उनके अतिरिक्त अन्य अनेक गन्दी बस्तियां और उनके निवासी हैं। इनके लिये भी हमारे पास योजनायें हैं। इस दिशा में निर्माण कार्य चल रहा है और लगभग एक वर्ष में पूरा हो जायगा। इस में अधिक समय का प्रश्न नहीं है कि समीचीन व्यवस्था के लिये कहा जाय। किन्तु उसमें सन्देह नहीं है कि उपयुक्त व्यवस्था होनी चाहिये। हम उसकी गारंटी नहीं दे सकते हैं क्योंकि हमारे पास न शक्ति है और न अभी सुविधाएं हैं।

†**श्री तंगामणि** : जो ७५,००० श्रमिक अभी भवन निर्माण कार्य में संलग्न हैं उन में से कितनों को ठेकेदारों की ओर से मकानों की व्यवस्था की गई है ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : हमारे पास इस समय जानकारी नहीं है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या दिल्ली निगम द्वारा बनाई जाने वाली नई कोठरियों में भवन निर्माण उद्योग में संलग्न श्रमिकों के लिये पृथक क्षेत्र रहेगा तथा क्या सरकार ने उनके लिये निधियां आवंटित की हैं ?

†**श्री नन्दा** : मैं प्रश्न नहीं समझ सका ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय महिला सदस्या जानना चाहती हैं कि कितनी कोठरियां बनाई जा रही हैं ?

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : वह भूल थी। मैं गन्दी बस्तियों को साफ करने वाली उन योजनाओं की ओर निर्देश कर रही थी जो दिल्ली निगम द्वारा आरम्भ की जायेगी और जिनके सम्बन्ध में उपमंत्री महोदय ने कहा था। मैं जानना चाहती हूं कि क्या इन निर्माण-श्रमिकों के लिये किन्हीं क्षेत्रों में कोठरियां बनाई जायेंगी तथा क्या सरकार ने इस दिशा में कोई रकम आवंटित की है ?

†**श्री ल० ना० मिश्र**: भवन निर्माण में लगे श्रमिकों के लिये विशिष्ट आवंटन नहीं किया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

खुला सामान्य लाइसेंस

*१७६१. **श्री खुशवक्त राय** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कितने खुले सामान्य लाइसेंस आयात के लिये जारी किये गये जो कि १४-११-५६ तक उनकी अवधि समाप्त हो जाने के कारण अवैध हो गये थे;

(ख) इन में से कितने लाइसेंस १४-११-५६ से पुनः मान्य कर दिये गये हैं; और

(ग) इनके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) से (ग). एक विवरण लोक सभा की मेज पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या १२७]**

श्री खुशवक्त राय : क्या मैं जान सकता हूं कि खुले सामान्य लाइसेन्स संख्या ४ और ५२ किन-किन वस्तुओं के आयात के लिये हैं और उन के आयातकों के नाम क्या हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : आयातकर्ताओं के नाम ?

†**श्री खुशवक्त राय** : और वस्तुएं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा । दूसरा प्रश्न ।

तिब्बत के साथ व्यापार

+

†*१७६२. { **श्री हेम बरुआ** :
श्री संगण्णा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्रांस-हिमालय व्यापार हित का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यावसायिकों का एक प्रतिनिधिमण्डल पश्चिमी तिब्बत के साथ व्यापार की प्रस्तावित समाप्ति से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में हाल ही में उन से मिला था; और

(ख) यदि हां, तो चर्चा के उपरान्त क्या-क्या निर्णय किये गये ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) जी, हां । एक प्रतिनिधिमण्डल ७ मार्च को प्रधान मंत्री से मिला था और उन्होंने ज्ञापन भी प्रस्तुत किया था । प्रतिनिधिमण्डल ने पश्चिमी तिब्बत के साथ व्यापार की प्रस्तावित समाप्ति की ओर निर्देश नहीं किया किन्तु उन्होंने इस व्यापार के भविष्य के बारे में चिन्ता व्यक्त की थी ।

(ख) उन्होंने जो ज्ञापन प्रस्तुत किया है उसमें अनेक सुझाव हैं । सम्बन्धित राज्य सरकारों के परामर्श से इसका परीक्षण किया जा रहा है ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या भारत-तिब्बत व्यापार में गिरावट का कारण यह है कि स्थानीय व्यापारिक हितों को चीनी व्यापारिक हितों से तीव्र प्रतियोगिता का सामना करना पड़ रहा है और यदि हां, तो भारत-तिब्बत व्यापार को जीवित रखने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : जहां तक मुझे ज्ञात है, कोई चीनी व्यापारिक हित नहीं हैं। यदि माननीय सदस्य चीन सरकार की नीति का निर्देश कर रहे हैं तो यह सर्वथा पृथक् बात है; कोई भी गैर सरकारी चीनी व्यापारी इसमें हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। यह सच है कि चीन सरकार की व्यापारिक नीति सीमा पर पूर्ववत् नहीं है तथा हमारे व्यापारी उससे प्रभावित हुए हैं। सीमा के इस ओर अथवा उस ओर हमारे प्रतिनिधियों द्वारा इस विषय पर चर्चा की जाती है। हमारी ओर से इस विषय में कदम उठाने का कोई प्रश्न नहीं है। सम्भव है भविष्य में स्थिति में सुधार हो जाये। मैं कुछ नहीं कह सकता हूं क्योंकि तिब्बत की स्थिति में काफी परिवर्तन हो गया है।

किन्तु मेरे पास जो प्रतिनिधिमण्डल आया था उसने इस प्रश्न की चर्चा नहीं की थी; उन्होंने शायद ही इसका उल्लेख किया हो। उन्होंने स्वभावतः सीमावर्ती सामान्य स्थिति के बारे में चिन्ता प्रकट की थी और वे इस में सुधार के इच्छुक थे। उन्होंने सोलह मांगों का एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था। इनमें कुछ मांगें अत्यन्त महत्वपूर्ण थीं; कुछ साधारण और कुछ सर्वथा नगण्य। अन्तिम मांग यह की गई थी कि जब वे इन्टरव्यू के लिये दिल्ली आयें तो मंत्रीगण उन्हें प्राथमिकता दें और इन्टरव्यू का शीघ्र अवसर प्रदान करें। निस्संदेह, यह औचित्ययुक्त है क्योंकि वे बहुत दूर से आते हैं किन्तु इस अन्तिम मांग ने शेष सम्पूर्ण मांगों का संतुलन ही अव्यवस्थित कर दिया।

मैं इसके साथ पूर्णतः सहमत हूं। ये क्षेत्र सामान्यतया तीन राज्यों में हैं—उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। पंजाब क्षेत्र में मुख्यतः कुलू घाटी का उपरी भाग—लाहौल और सिप्ति है। इस क्षेत्र की भूतकाल में निर्मम उपेक्षा की गई है; अनेक क्षेत्रों के प्रति ऐसा हुआ है। सर्वप्रथम संचार सुविधाएं हैं; संचार माध्यम स्थापित होने पर लोग वहां पहुंच सकें। सड़कें बनाई गई हैं। विविध राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार द्वारा सड़कें बनाई जा रही हैं। फिर भी यह गहन कार्यक्रम है। इन पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कें बनाना अत्यन्त दुर्वह एवं मंहगा है।

†श्री संगण्णा : क्या ये छोटे-छोटे व्यापारी खानाबदोश लोग हैं जिनके पास जीवन यापन के लिये कोई स्थायी धन्धा नहीं है, और यदि हां, तो क्या सरकार उनके स्थायी निवास के लिये कोई स्थिर कार्यवाही कर रही है ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू: निस्संदेह ही वे खानाबदोश नहीं हैं। मालूम नहीं माननीय सदस्य के मस्तिष्क में यह बात किस प्रकार घुस गई है तथा वह हमारी ओर से किस प्रकार के कार्य की अपेक्षा रखते हैं। मान लीजिये वे खानाबदोश हैं तो उनकी इच्छा है कि उन्हें कम खानाबदोश बनाने के लिये हम दृढ़ कार्यवाही करें। मैं कुछ भी नहीं समझ सका हूं। मुझे खानाबदोश लोग प्रिय हैं। जो लोग जड़वत् हैं, जो तंग और संकुचित कोठरियों में रहते हैं उनकी तुलना में ये खानाबदोश कहीं अधिक प्रगतिशील हैं।

श्री भक्त दर्शन : अभी प्रधान मंत्री जी ने बताया कि उन्होंने सोलह मांगें रखी हैं। मैं जानना चाहता हूं कि उनमें से महत्वपूर्ण मांगें क्या हैं तथा वे किन-किन विषयों से सम्बन्ध रखती हैं ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : मैंने अभी कहा था यह वृहद् सूची है। पहली मांग यह है कि इन सब पर्वतीय प्रदेशों का सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण किया जाये। निस्संदेह ही यह मांग सुन्दर है। सच तो यह है कि पिछले दो या तीन वर्षों में ऐसा कुछ कार्य किया गया है और अभी भी किया जा रहा है। किन्तु यह व्यापक भाग है और इसीलिये यह कार्य एकीकृत रूप में नहीं हुआ है। हमें यह

†मूल अंग्रेजी में

बात स्मरण रखना है कि यह हिमालय सीमा प्रदेश कई सौ मील चौड़ा होने के अतिरिक्त २,००० मील लम्बा है। यह भी एक कारण है। अतः पहली बात सड़कें अर्थात् संचार साधन हैं। हम कुछ भी कार्य करें सड़कों से सुविधा उत्पन्न हो जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस दिशा में कुछ कार्य किया है।

अन्य मांगें सेवाओं के बारे में है—शिक्षा हेतु विदेशों में भेजना, छात्रवृत्तियां उपलब्ध कराना, अनुसूचित जातियों में घोषित करना ताकि उन्हें प्रतिनिधान दिया जा सके और स्थानों का संरक्षण किया जाये। कुछ इसी प्रकार की मांगें उन्होंने रखी हैं।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : अखबारों में छपी इस खबर को ध्यान में रखते हुए कि प्रधान मंत्री का तिब्बत में अवकाश व्यतीत करने का विचार है क्या हम यह आशा रखें कि उस दौरान वह जो चर्चा करेंगे उससे उनकी कठिनाइयां सरल हो जायेंगी ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं नहीं समझता कि यह प्रश्न उत्पन्न होता है। लेकिन जब भी संभव हुआ मेरा लाहोल और स्पिति जाने का विचार है।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या उनकी मांगों में से एक यह भी है कि हिमालय के क्षेत्रों के आर-पार पूरी तौर पर आर्थिक सर्वेक्षण कराया जायं, और साथ ही भारत-तिब्बत व्यापार के पूर्णतः बन्द होने पर इन लोगों के लिये आजीविका का दूसरा जरिया होना चाहिये ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : इसी बात की तो बार-बार जांच की गयी है। माननीय सदस्य सर्वेक्षण की बात कर रहे हैं। संभवतः, उनके पास काफी. . . .

†**श्री हेम बरुआ** : यही बात तो कही गयी है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मुझे मालूम है। संभवतः वह यह नहीं समझते कि वहां आना जाना बड़ा कठिन है। वहां जाने में एक महीना लग सकता है; अपेक्षाकृत निकट स्थानों में, जो लगभग ६० या ७० मील या उससे भी कम दूर हों, जाने में एक महीना लग सकता है। सैंकड़ों मील का सर्वेक्षण होना है।

इसलिये, पहली बात संचार साधनों की है। वास्तव में उत्तर प्रदेश का काफी लम्बा प्रतिवेदन हमारे पास है जिस में बताया गया है कि उद्यानकर्म और छोटे उद्योगों तथा सामुदायिक योजनाओं के बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है। इन सभी तरह की बातें की जा रही हैं लेकिन यह समस्या काफी बड़ी है और संचार साधनों का विकास होने पर ही इसका बड़े ढंग से निबटारा किया जा सकता है।

†**श्री हेम राज** : पश्मीना की ट्रेड लाहोल वालों की तिब्बत के साथ जो थी, वह तकरीबन तकरीबन बन्द हो गई है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसको दुबारा शुरू करने के लिये कोई उपाय किये जायेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : अलग अलग हर एक चीज़ के बारे में कैसे उत्तर दिया जा सकता है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू: मैं इसका बगैर जांच पड़ताल किए यकायक जवाब नहीं दे सकता हूं।

†**श्री त्यागी** : तिब्बत से व्यापार का संतुलन किस प्रकार और किन-किन अभिकरणों के माध्यम से, बराबर किया जाता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : संतुलन ? माननीय सदस्य के अनुसार संतुलन चाहे हमारे पक्ष में हो या हमारे प्रतिकूल हो ?

†**श्री त्यागी** : चाहे हमारे प्रतिकूल हो या अनुकूल, वह कौन से अभिकरण हैं जिन के माध्यम से हम हर वर्ष अपना संतुलन बराबर करते हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : तिब्बत के साथ व्यापार का संतुलन बहुत कुछ हमारे अनुकूल है क्योंकि भारत से माल तिब्बत जाता है। सभी प्रकार के माल-उपभोग वस्तुओं के लिये भारत ही मुख्य संभरण क्षेत्र है। इसका हिसाब ऊन या इसी प्रकार की विशेष वस्तुओं के आगमन से अंशतः पूरा हो जाता है या हो जाया करता था और अंशतः ठोस मुद्राओं के रूप में होता है।

†**श्री रंगा** : मुद्राओं में ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जी हां, बिल्कुल यही बात है। विदेशी मुद्राओं में होता है।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब प्रश्न संख्या १७६३ है। माननीय सदस्य श्री जीन चन्द्रन् अनुपस्थित हैं।

†**श्री अय्याकण्णु** : मेरे पास प्राधिकार है।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इस बात पर बाद में आऊंगा।

†**श्री जयपाल सिंह** : मेरा सुझाव है कि प्रश्न संख्या १७६६ को भी इसी के साथ ले लिया जाये।

†**श्री तंगामणि** : मेरे ख्याल से यह दूसरा प्रश्न है।

†**अध्यक्ष महोदय** : दोनों दण्डकारण्य के बारे में हैं। क्या उन्हें मिलाया जा सकता है ?

†**श्री तंगामणि** : जी हां, इन्हें मिलाया जा सकता है।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या मंत्री महोदय दोनों का उत्तर एक साथ देने के लिये तैयार हैं ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : जी हां, मैं उनका उत्तर एक साथ दूंगा।

दण्डकारण्य योजना

†*१७६४. **श्री तंगामणि** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री ११ फरवरी, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दण्डकारण्य के कृष्यकरण का कार्य आरम्भ हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ग) इस योजना में प्रतिदिन कितने मजदूर लगाये जाते हैं ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) और (ख). बस्तर जिले में फरास गांव तक के निकट लगभग ५,००० एकड़ के कृष्यकरण का काम शुरू हो गया है।

(ग) प्रतिदिन औसतन लगभग ९,००० श्रमिकों को रखा जाता है। यह मुख्यतया स्थानीय आदिम जातियों के हैं।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

दण्डकारण्य

†*१७६६. **श्री घोषाल** : क्या **पुनर्वास तथा अल्प संख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के भूतत्वीय परिमाप ने दण्डकारण्य की खनिज सम्पत्ति का कोई सर्वेक्षण किया था ; और

(ख) यदि हां, तो इन सर्वेक्षणों की क्या उपपत्तियां है ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) दण्डकारण्य के विभिन्न भागों में भारत का भूतत्त्वीय परिमाप कई सारे सर्वेक्षण कर चुका है। कुछ मामलों में और आगे जांच की जायेगी।

(ख) उपलब्ध जानकारी बहुत अधिक है। अब तक किये गये सर्वेक्षणों से पता चला है कि इस क्षेत्र में लौह-अयस्क, बौक्साइट, ग्रैफाइट, मैंगनीज़, मिट्टियों और इमारती पत्थरों जैसे कीमती खनिज पदार्थों की बहुतायत है।

†**श्री तंगामणि** : क्या मुख्य प्रशासक श्री ए० एल० फ्लेचर का, जिन्होंने इस क्षेत्र का दौरा किया था, प्रतिवेदन अब आ गया है, और यदि हां, तो क्या इस प्रतिवेदन को लोक-सभा पटल पर रखा जायेगा ?

†**श्री पू० शे० नास्कर** : मुख्य प्रशासक, श्री फ्लेचर ने अनेक विशेषज्ञों के साथ इस स्थान का दौरा किया था और कुछ सिफारिशें की थीं। इन सिफारिशों के आधार पर हमने इस सभा और दूसरी सभा क माननीय सदस्यों को दण्डकारण्य के विषय में एक टिप्पण बांटा था। उसमें इस बात के अलावा कि हम योजना की प्रावस्था १ के बारे में क्या करने वाले हैं, सभी उपलब्ध जानकारी दे दी गयी है।

†**श्री तंगामणि**: क्या यह सच है कि मुख्य प्रशासक ने यह कहा है कि इस क्षेत्र में जिसे भेजा जायेगा उसे जंगली जानवरों से खतरा रहेगा ?

†**श्री पू० शे० नास्कर** : मुझे इस बात का पूरा पता नहीं है।

†**श्री जांगड़े** : यह निश्चय किया गया है कि दण्डकारण्य क्षेत्र को रेलों से भिलाई और कोरापट क्षेत्र से जोड़ दिया जायेगा। इसका खर्च कौन उठायेगा और क्या रेल की पटरियां द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में ही बिछ जायेंगी ?

†**श्री पू० शे० नास्कर** : माननीय सदस्य कहते हैं कि यह निश्चय हुआ है। मुझे ऐसे किसी निर्णय का पता नहीं है। लेकिन यह बिल्कुल स्पष्ट है कि इस क्षेत्र के विकास के लिये रेलवे लाइनों को बिछाना और बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन नहीं दे सकता हूं कि यह काम द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में पूरा हो जायेगा।

†**श्री जयपाल सिंह** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सभी ओर यह स्वीकार किया जाता है कि शरणार्थी, विशेष रूप से पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थी, पश्चिमी बंगाल के राज्य-क्षेत्र को छोड़कर कहीं और जाने से इंकार कर देते हैं चाहे वह दण्डकारण्य हो या अन्दमान, कृष्यकृत दण्डकारण्य को बसाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने वाली है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री पू० शे० नास्कर : सबसे पहली बात तो यह है कि दण्डकारण्य योजना उस क्षेत्र के विकास की योजना है। फिर वहां के स्थानीय लोग हैं। उनके हितों की रक्षा ही नहीं वरन् संवर्द्धन भी होना है। माननीय सदस्य ने कहा है कि पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्ति वहां जाने के लिये तैयार नहीं हैं। लेकिन मेरी अपनी जानकारी यह है कि ऐसे सैंकड़ों व्यक्ति हैं जो वहां जाकर काम करने को तैयार हैं।

†श्री जयपाल सिंह : सरकार स्थानीय लोगों का संरक्षण किस प्रकार करने वाली है—क्योंकि मैं पिछले ११ वर्षों से यह 'संरक्षण' शब्द सुनता आ रहा हूं—जिनमे से अधिकांश आदिम जातियों के हैं? इन के संरक्षण के लिये उन की क्या योजनायें हैं?

†श्री पू० शे० नास्कर : मैं ने कहा है कि हमें स्थानीय लोगों की आर्थिक और अन्य दशाओं का संरक्षण ही नहीं संवर्द्धन भी करना चाहिये।

†श्रीमती इला पालचौधरी : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि शरणार्थी संभवतया दण्डकारण्य को जाने को तैयार हो जायेंगे, सामान्य शरणार्थियों में इस योजना सम्बन्धी जानकारी फैलाने और उन्हें इस योजना की आकर्षक बातें बताने के लिये क्या किया जा रहा है?

†श्री पू० शे० नास्कर : दण्डकारण्य योजना के अधीन विकास कार्य के लिये, अग्रदूतों के रूप में कार्य करने वाले शरणार्थियों को चुना जायेगा, अनिच्छुक व्यक्तियों को नहीं, अनिच्छुक व्यक्तियों से हमें सहायता नहीं मिल सकती। पहले की ही तरह अग्रदूत जाकर कार्य करेंगे।

†श्री पाणिग्रही : पश्चिमी बंगाल से अब तक कितने शरणार्थी परिवारों को दण्डकारण्य के उड़ीसा वाले भाग में ले जाया जा चुका है?

†श्री पू० शे० नास्कर : दण्डकारण्य योजना की पहली प्रावस्था में बस्तर, कालाहांडी और कोरापट जिले आयेंगे। हमने पहले मध्य प्रदेश के बस्तर जिले को लिया है। अभी हम किसी परिवार को वहां नहीं ले गये हैं।

†श्री ही० ना० मुकर्जी : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पिछले वर्ष पश्चिम बंगाल विधान सभा ने सर्व सम्मति से यह संकल्प पारित किया था—जिस में कांग्रेस और विरोध पक्ष ने एक साथ मत दान किया था—जिस में कहा गया था दण्डकारण्य के कृष्यकरण के बारे में जानकारी विधान सभा के सभी दलों को उपलब्ध की जाये, क्या केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में कुछ कार्यवाही की है या क्या उसका इस सम्बन्ध में कुछ कार्यवाही करने का विचार है?

†अध्यक्ष महोदय : वह अभी इस बारे में बता चुके हैं।

†श्री पू० शे० नास्कर : मेरे पास पक्की जानकारी नहीं है लेकिन हम इस बात का पता कर सकते हैं। हमने पश्चिम बंगाल सरकार को सूचित कर दिया है और इस योजना के सम्बन्ध में ब्यौरावार टिप्पण उन के पास भेज दिया है।

†अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

†श्री तंगामणि : दूसरा प्रश्न खनिज पदार्थों के बारे में है। मैं उसके बारे में प्रश्न पूछना चाहता हूं।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रत्येक माननीय सदस्य को प्रत्येक प्रश्न के बारे में अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी जा सकती ।

†**श्री घोषाल** : खनिज पदार्थों के सम्बन्ध में क्या मैं . . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति शान्ति । माननीय सदस्य कृपया स्मरण रखें कि मैं इस बात की प्रतीक्षा नहीं कर सकता कि मेरे १०–१५ प्रश्नों की अनुमति दे देने के बाद कोई माननीय सदस्य खनिज पदार्थों के या अन्य किसी चीज के बारे में प्रश्न पूछने के लिये खड़े हों । कोई भी माननीय सदस्य सभा के समय पर एकाधिकार नहीं प्राप्त कर सकते । प्रत्येक प्रश्न में पांच या दस मिनट लगते हैं और इस लिये मैं एक दिन में १० या १५ प्रश्नों से अधिक नहीं पूरे कर सकता । दूसरे देशों में वे लोग १००–१०० तक प्रश्न पूरे कर लेते हैं ।

†**श्री तंगामणि** : आजकल तो हम प्रश्न–सूची पूरी कर लेते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह इसलिये कि कुछ सदस्य अनुपस्थित रहते हैं । अगला प्रश्न ।

सिलाई की मशीनों का निर्यात

†*१७६५. **श्री दलजीत सिंह** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अफ्रीकी देशों को सिलाई की मशीनों का निर्यात करने की अनुमति दी गयी है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी मशीनों के लिये ; और

(ग) यह निर्यात कौन सी एजेंसी कर रही है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) अफ्रीकी देशों को सिलाई की मशीनों के निर्यात के लिये मुक्तहस्त से लाइसेंस दिये जाते हैं ।

(ख) और (ग). सामान्य व्यापारिक माध्यमों से १९५६ में १,३४१ सिलाई की मशीनों का और १९५७ में जनवरी से सितम्बर तक ५५६ सिलाई की मशीनों का अफ्रीकी देशों को निर्यात किया गया ।

†**श्री दलजीत सिंह** : क्या अफ्रीकी देशों के अलावा अन्य देशों को भी सिलाई की मशीनों का निर्यात किया जाता है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जी हां, इंगलैंड को—और अब अमरीका और जर्मनी को भी किया जाता है ।

†**श्री रंगा** : क्या यह सच है कि निर्यात करने वालों में से अधिकांश व्यक्ति भारतीय नहीं हैं और भारतीयों को अफ्रीकी देशों में कार्य करना, वहां अपनी शाखायें रखने और तब इन का निर्यात करने में बड़ी कठिनाई हो रही है । क्या सरकार इसका पता लगायेगी ?

†**श्री मनुभाई शाह** : ऐसी कोई कठिनाई हमारी निगाह में नहीं आयी है । अन्य देशों से आर्डर मिलते ही वे खुले आम बेच सकते हैं ।

†**श्री तंगामणि** : क्या इन मशीनों में जय इंजीनियरिंग वर्क्स कलकत्ते की बनी 'उषा' मशीनें भी हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जी हां ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या श्री घोषाल यहां पर हैं? यदि हों तो मैं उन्हें खनिज पदार्थों के बारे में एक या दो प्रश्न पूछने की अनुमति दे दूंगा ।

†**श्री घोषाल** : क्या दण्डकारण्य क्षेत्र में खनन कार्य सरकारी-क्षेत्र में होगा या गैर-सरकारी क्षेत्र में ?

†**श्री तंगामणि**: मंत्री महोदय अपने स्थान पर नहीं हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्यों ने केवल प्रश्न १७६४ के बारे में ही अनुपूरक प्रश्न पूछे थे—१७६६ के बारे में नहीं ।

†**श्री पू० शे० नास्कर** : मुझे पता नहीं । मैंने दोनों प्रश्नों का उत्तर दिया है । यदि आप चाहें तो मैं अनुपूरक प्रश्न का उत्तर दे सकता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह कृपया उत्तर दे दें ।

†**श्री पू० शे० नास्कर**: माननीय सदस्य ने खनन कार्य के बारे में जो प्रश्न पूछा है उसके बारे में अभी निश्चय नहीं हुआ है । हम केवल यही पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि वहां कौन कौन से खनिज पदार्थ उपलब्ध हैं ।

†**श्री स० म० बनर्जी** : सरकार की मर्जी क्या है ?

†**श्री तंगामणि** : दण्डकारण्य में जो कीमती खनिज पदार्थ उपलब्ध होंगे उनका ख्याल रखते हुए क्या विशाखापटनम तक रेल सम्पर्क रखने का सरकार का कोई प्रस्ताव है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : हम एक बहुत बड़े क्षेत्र की विकास योजनाओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इन पर खनिज विकास संबंधी छोटे छोटे अनुपूरक प्रश्नों से मुश्किल से ही चर्चा की जा सकती है । मेरे ख्याल से माननीय सदस्यों की इस योजना के सम्बन्ध में पूरी बातें जानने की इच्छा उचित ही है और मुझे आशा है कि मंत्रालय यहां और अन्य स्थानों पर पैम्फलेटों, विवरणों आदि के रूप में पूरी जानकारी देगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह खनिज पदार्थों के सामान्य सर्वेक्षण के बारे में है ।

†**श्री रंगा** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बस्तर की तरह के स्थान भी जो खनिज पदार्थों से भरे–पूरे हैं, दण्डकारण्य योजना में शामिल हैं और ऐसे स्थानीय उपक्रमियों की संख्या बहुत थोड़ी है जो इन स्थानीय खनिजों का उपयोग करने में समर्थ हों, क्या इस विशेष विशेषाधिकार को ऐसे उपक्रमियों के लिये न छोड़कर जो बाहर से आकर इसका उपयोग करें राज्य के लिये सुरक्षित रखने की—कहीं इसे सुझाव न समझ लिया जाये—वांछनीयता सरकार के ध्यान में है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यह प्रश्न ऐसे हैं जिन पर योजना आयोग ही विचार कर सकता है ।

संगठित उद्योगों में स्त्रियों का नियोजन

†*१७६८. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संगठित उद्योगों में स्त्रियों के नियोजन में भारी मात्रा में कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो कितनी कमी हुई है और इसके कारण क्या हैं; और

(ग) यदि सरकार ने इस प्रश्न पर कुछ विचार किया हो तो वह क्या है ?

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या इससे मैं यह समझूं कि हाल ही में जो सर्वेक्षण प्रतिवेदन निकला है वह तथ्यों पर आधारित नहीं है ?

†श्री आबिद अली : १६५४ में २.८५ लाख स्त्रियां काम करती थीं, १६५५ में २.६५ लाख थीं और १६५६ में ३ लाख थी।

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : श्रम मंत्रालय द्वारा निकाली गयी पुस्तक **इकानोमिक एण्ड सोशल सर्वे आफ कन्डीशन्स आफ विमेन वर्कर्स इन इंडिया** में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि फैक्टरियों में काम करने वाली औरतों की संख्या घटती जा रही है । हमने इस आशय की एक खबर भी पढ़ी है कि इस मामले की जांच के लिये कोई समिति भी बनायी जाने वाली है। यह सच है या मंत्री महोदय द्वारा बताये गये नवीनतम आंकड़े सही हैं ?

†श्री आबिद अली : कुछ भागों में, जैसे पश्चिमी बंगाल की जूट मिलों में इनकी संख्या कम होती जा रही है ।

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : कपड़ा मिलों में ।

†श्री आबिद अली : मैं पूरे आंकड़े बता रहा था ।

†श्री त० ब० विट्ठलराव: क्या यह सच नहीं है कि कोयला खान उद्योग में स्त्रियों की संख्या में भारी कमी हो गयी है और श्रम न्यायाधिकरण के इस विनिर्णय के बाद तो यह और भी कम होती जा रही है कि औरत मज़दूरों को भी पुरुषों के बराबर मजूरी दी जाये ?

†श्री आबिद अली : इस आशय की शिकायत मिली हैं और हम इस प्रश्न का अध्ययन कर रहे हैं । लेकिन अब तक प्राप्त प्रमाणों से वह निष्कर्श नहीं निकलता जो माननीय सदस्य ने निकाला है ।

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या सरकार ने इस पूरे प्रश्न की जांच के लिये कोई समिति नियुक्त करने का निश्चय किया है कि कुछ उद्योगों में औरत मजदूरों के नियोजन में कमी क्यों हुई है ?

†श्री आबिद अली : यह प्रश्न तभी उठेगा जब हमें यह विश्वास हो जाय कि इसमें काफी कमी हुई है । लेकिन जैसा मैं बता चुका हूं, इस मामले पर विचार जारी है ।

†श्री दासप्पा : क्या यह सच नहीं है कि क्योंकि औरत मज़दूरों को बच्चा होने के सम्बन्ध में वह सुविधायें देनी होती हैं जो पुरुष मज़दूरों को नहीं देनी पड़तीं इसलिये प्रबन्धक आम तौर पर औरत मज़दूरों को रखना नहीं पसन्द करते ?

†श्री आबिद अली : जी हां, कुछ हद तक यह सच है ।

†श्री त० ब० विट्ठल राव : इस प्रश्न पर १६५४ में मैसूर में हुए १३वें भारतीय श्रम सम्मेलन म विचार किया गया था । इस सम्मेलन की सिफारिशें क्रियान्विति की किस प्रवस्था में हैं ?

†श्री आबिद अली : पूर्व-सूचना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स (प्राइवेट) लिमिटेड

†*१७६९. श्रीमती इला पालचौधरी : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूना के निकट पिंपरी के हिन्दुस्तान एण्टी बायोटिक्स (प्राइवेट) लिमिटेड ने "पेन्सिलीन ५" नामक एक नयी औषधि का निर्माण आरम्भ किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस नयी औषधि का व्यौरा और उससे होने वाले लाभ क्या हैं ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी हां ।

(ख) लोक सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें यह जानकारी दी गयी है । [देखिए परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या १२८]

†श्रीमती इला पालचौधरी : इस कारखाने के विस्तार और इस नयी औषधि के निर्माण से देश की कितनी प्रतिशत आवश्यकतायें पूरी हो जायेंगी ?

†श्री मनुभाई शाह : अगले दो वर्षों में शत प्रतिशत । प्रत्येक वर्ष में १२ लाख मेगा यूनिट की मांग होने की आशा है ।

†श्रीमती इला पालचौधरी : क्या इस फैक्टरी में डिहाइड्रो-स्ट्रैप्टोमाइसिन और स्ट्रैप्टो-माइसिन बनाने का भी विचार है और यदि हां तो इसका उत्पादन कब से होने लगेगा ?

†श्री मनुभाई शाह : जी हां, हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स और अमरीका की मर्क एण्ड कम्पनी के बीच हाल ही में एक करार पर हस्ताक्षर हुये हैं । उत्पादन १९६० में आरम्भ होने की सम्भावना है ।

†श्री न० रा० मुनिस्वामी : पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष बिक्री कैसी रही ?

†श्री मनुभाई शाह : बिक्री अच्छी है । वास्तव में १९५६-५७ के लगभग ५७ लाख रुपयों की तुलना में १९५७-५८ में यह लगभग १८० लाख रुपये की होगी ।

खान मजदूरों को मजूरी न देना

†*१७७०. श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिंहभूम जिले में बेरैबूस के ४०० खान-मजदूरों को खान मालिक ने पिछले दो हफ्तों से मजूरी नहीं दी है ;

(ख) क्या चावल का राशन भी बन्द कर दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो मजदूरों की कठिनाइयों को हल करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री के सभा सचिव (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (ग). यह जानकारी मिली है कि २७२ मजदूरों को ९ मार्च, १९५८ से २९ मार्च, १९५८ तक

†मूल अंग्रेज़ी में

को अवधि की मजूरो नहीं दी गयी थी। मजदूरों का चावल का राशन बन्द कर दिये जाने के बारे में कुछ भी जानकारी उपलब्ध नहीं है। केन्द्रीय श्रम-सम्पर्क व्यवस्था पदाधिकारियों के हस्तक्षेप करने पर प्रबन्धकों ने सम्बन्धित मजदूरों को इस अवधि की पूरी मंजूरी का भुगतान करने का वादा किया है। आंशिक भुगतान तो किया भी जा चुका है।

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या यह सच है कि इस क्षेत्र की खानों में अक्सर मजूरी भुगतान अधिनियम क्रियान्वित नहीं किया जाता और पिछले कुछ महीनों में ऐसा कितनी बार हुआ है और कितनी बार श्रम समझौता अधिकारी ने हस्तक्षेप किया है ?

†श्री ल० ना० मिश्र : इस बात की व्यवस्था के लिये कि इस अधिनियम को क्रियान्वित किया जाय, श्रम समझौता अधिकारी सदा सचेत और जागरूक रहा है। हमें इस अधिनियम के उपबन्धों का पालन न किये जाने के बारे में कोई खबर नहीं मिली है।

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या तब से एक महीना बीत चुका है जब से कि पूरी मजूरी नहीं दी गयी है; केवल आंशिक भुगतान किया गया है ? अभी मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है उसे ध्यान में रखते हुय सरकार मालिकों से तत्काल पूरा भुगतान करने का आग्रह कैसे कर सकती है ?

†श्री ल० ना० मिश्र : श्रमिकों के साथ हमें पूरी सहानुभूति है। समझौता अधिकारी शीघ्रतापूर्ण ढंग से भुगतान कराने का पूरा प्रयास कर रहा है और हमें आशा है कि भुगतान हो जायगा।

†श्री त० ब० विठ्ठल राव : खान मालिकों ने मजूरी न देने के क्या कारण बताये हैं ?

†श्री ल० ना० मिश्र : पूरी कहानी यह है कि कर्मचारियों ने उचित नोटिस दिये बिना अपने आपको काम पर से अनुपस्थित रखा क्योंकि उन्हें अपने अपने यूनियनों द्वारा बुलायी गयी सभाओं में जाना था और उसके बाद काम पर से हटाने के नोटिस जारी कर दिये गये और मजदूरों को काम नहीं करने दिया गया।

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : वह काम करते रहे हैं।

हरी चाय

†*१७७१. श्री हेम राज : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में पिछले दो वर्षों से कितनी हरी चाय बिना बिकी पड़ी है ;

(ख) हरी चाय में इस मन्दी के कारण छोटे चाय उत्पादकों को कितनी हानि हुई है ; और

(ग) छोटे चाय उत्पादकों की इस कठिनाई को दूर करने के लिये सरकार ने क्या पग उठाये हैं ?

†वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) और (ख) जानकारी उपलब्ध नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) छोटे उत्पादकों के लाभ के लिये पंजाब सरकार से कांगड़ा में चाय उद्योग को पुनर्गठित और पुनर्व्यवस्थित करने के लिये योजना बनाने की प्रार्थना की गयी है ।

†श्री हेम राज : क्या भारत–अफगानिस्तान व्यापार करार की अवधि जून, १९५८ में समाप्त हो रही है । जैसा कि अफगानिस्तान हरी चाय का बड़ी मात्रा में आयात करने वाला था, क्या अफगानिस्तान को पहले की तरह अधिक मात्रा में हरी चाय का निर्यात करने के लिये केन्द्रीय सरकार कोई पग उठायेगी ? क्या यह समझा जाये कि भारत में जो अफगानिस्तान से माल का आयात किया जायेगा उसका मूल्य रुपयों में न देकर वस्तु-विनिमय पद्धति द्वारा किया जायेगा ?

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : भारतीय चाय के निर्यात में वृद्धि करने के लिये निरन्तर प्रयत्न किये जा रहे हैं । परन्तु यह बात ध्यान में रखी जानी चाहिये कि संसार भर में हरी चाय का बाजार गिरता जा रहा है ।

जहां तक अफगानिस्तान से माल के आयात के बारे में प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है, यह सम्भव नहीं है क्योंकि अपने आयात व्यापार नियंत्रण को देखते हुये हमने यथासम्भव अधिक से अधिक प्रतिबन्ध लगा रखे हैं ।

†श्री रंगा : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि जापान और चीन हरी चाय का अधिक मात्रा में उपभोग करते हैं, क्या जापान तथा चीन स्थित भारतीय राजदूतावासों द्वारा इन देशों को हरी चाय के निर्यात की सम्भावना ढूंढने के लिये कोई प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

†श्री कानूनगो : ये देश अपने द्वारा उत्पन्न की गयी हरी चाय को ही खपाने में कठिनाई अनुभव कर रहे हैं ।

†श्री हेमराज : पंजाब सरकार द्वारा एक योजना बनायी जा रही है । पंजाब सरकार को यह विचार कब बताया गया था ?

†श्री सतीश चन्द्र : पंजाब सरकार ने कुछ प्रस्थापनायें बनायी हैं और अपनी योजनाओं की क्रियान्विति के लिये ऋण और अनुदान मांगा है । जैसा कि माननीय सदस्य को ज्ञात है, कांगड़ा में चाय उद्योग छोटे छोटे टुकड़ों में फैला है और चाय बोर्ड के लिये सीधे उन योजनाओं को कार्यान्वित करना सम्भव नहीं है ?

†श्री हेम राज : क्या कांगड़ा ज़िले में चाय उद्योग को केन्द्रीय सरकार ने कोई राजकीय सहायता दी है ?

†श्री कानूनगो : केन्द्रीय सरकार पंजाब सरकार को सहायता दे रही है जिनका मुख्य उत्तरदायित्व चाय निर्माताओं की दशा सुधारना है ।

+ हिमाचल प्रदेश में उद्योग

*१७७२. श्री नेक राम नेगी :
श्री भक्त दर्शन :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में कौन कौन से नये उद्योग स्थापित करने का विचार है ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार को इस सम्बन्ध में हिमाचल प्रदेश प्रशासन से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इसके लिये कितनी धनराशि दी गई है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) दूसरी पंचवर्षीय योजना में अभी हिमाचल प्रदेशमें बड़े या मध्यम पैमाने का कोई उद्योग खोलने का प्रस्ताव नहीं है । एक विवरण सभा की मेज़ पर रखा जाता है जिसमें वे उद्योग दिये गये हैं जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हिमाचल प्रदेश में खोलने का प्रस्ताव है। [देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या १२९] इस विवरण में मौजूदा उद्योग तथा नये खोले जाने वाले दोनों तरह के उद्योग शामिल है ।

(ख) और (ग). जी, हां । इस क्षेत्र में दूसरी योजना की अवधि में ग्रामोद्योगों और छोटे उद्योगों के विकास के लिये ३४.४२ लाख रु० रखे गये हैं ।

श्री नेक राम नेगी : जितने यह सारे काम शुरू किये जायेंगे क्या यह सीधे सरकारी पूंजी से शुरू किये जायेंगे या प्राइवेट पूंजी वालों को भी मौक़ा दिया जायगा ?

श्री मनुभाई शाह : दोनों क़िस्म के कामकाज हैं । इमदाद भी दी जाती है प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ वालों को और सरकार और जो दूसरे दूसरे बोर्डस हैं वे भी अपनी अपनी योजना वहां चलाते हैं ।

श्री नेक राम नेगी : इसके लिये लोगों को क्या कोई क़र्ज़ा देने की स्कीम तैयार की गई है और अगर की गई है तो कितने सूद पर और कितने अर्से के लिये की गई है ?

श्री मनुभाई शाह : अलग अलग बोर्डस की जो योजनायें हैं, उनके सूद की स्कीम मैंने बार बार यहां पर रक्खी है । छोटे पैमाने के उद्योगों की डेढ़ परसेंट सेल लगा कर साढ़े चार परसेंट तक की सूद के दर हैं । हिमाचल प्रदेश के लिये मैंने बतलाया कि वहां पर ग्रामोद्योग और छोटे उद्योगों के विकास के लिये ३४.४२ लाख रुपये लोन और ग्रांट के तौर पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में देने का प्रस्ताव है ।

श्री भक्त दर्शन : अभी माननीय मंत्री ने बतलाया कि हिमाचल प्रदेश में कोई बड़े पैमाने का उद्योग स्थापित करने का विचार नहीं है । क्या यह सत्य नहीं है कि वहां जो पहले लोकप्रिय सरकार थी उसने अखबारी क़ाग़ज़ का एक कारखाना स्थापित करने का सुझाव रक्खा था और क्या वह अब समाप्त कर दिया गया है ?

श्री मनुभाई शाह : ऐसा कोई प्रस्ताव हमारे सामने नहीं था । एक सीमेंट उद्योग वहां पर लगाने का प्रस्ताव था । एक कम्पनी ने वहां लाइसेंस भी लिया था लेकिन चूंकि ट्रान्सपोर्ट की वहां बड़ी दिक्क़त है इसलिये वह क़ायम नहीं हुआ । हमारी भी कोशिश है कि प्राइवेट सेक्टर के अन्दर यदि कोई वहां पर छोटी, बड़ी या मध्यम पैमाने की इंडस्ट्री लगाना चाहे तो हम उनको उसमें ज़रूर इमदाद करेंगे ।

श्री हेम राज : मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो पहाड़ी क्षेत्र कांगड़ा वग़ैरह का इसमें लगता है वहां पर सीमेंट का बहुत सारा पत्थर पाया गया है और वह बेहतरीन क़िस्म का है तो वहां पर भी क्या कोई सीमेंट का कारखाना लगाने की कोई गुंजाइश है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री मनुभाई शाह: वह तो तमाम पहाड़ी इलाकों में है और सब जगह चूने का पत्थर मिलता है लेकिन उसका उपयोग में लाना कितना फायदेमंद होता है और वहां ट्रान्सपोर्ट का क्या इंतज़ाम है इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है।

†अध्यक्ष महोदय: प्रश्न संख्या १७७३।

श्री पद्म देव: माननीय मंत्री ने अभी कहा......

†अध्यक्ष महोदय मैं अगले प्रश्न पर पहुंच चुका हूं। माननीय सदस्य पहले नहीं उठे थे।

नमक श्रमिकों की छंटनी

\+

*†१७७३. { श्री स० म० बनर्जी:
श्री तंगामणि:

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि डिडवाना और खरखोदा में सांभर झील में काम करने वाले १०,००० श्रमिकों की छंटनी होने वाली है;

(ख) क्या उनको नौकरी से अलग करने के नोटिस दिये गये हैं;

(ग) यदि हां, तो छंटनी के क्या कारण हैं; और

(घ) इस छंटनी को रोकने के लिये सरकार ने क्या पग उठाये हैं?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

†श्री स० म० बनर्जी: क्या मंत्री महोदय का ध्यान समाचार पत्र में इस वक्तव्य की ओर आकृष्ट किया गया है कि १०,००० श्रमिकों की छंटनी होने वाली थी? क्या इन श्रमिकों की निकट भविष्य में छंटनी की जावेगी?

†श्री मनुभाई शाह: ऐसा कोई इरादा नहीं है। बहुत से वक्तव्य समय समय पर प्रकाशित किये जाते हैं परन्तु वे सब बिल्कुल अविश्वसनीय हैं। नये समवाय का किसी कर्मचारी की छंटनी करने का इरादा नहीं है।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर: वे किस नये समवाय की बात कर रहे हैं?

†श्री मनुभाई शाह: हिन्दुस्तान साल्ट कम्पनी जिसने राजस्थान और बम्बई राज्यों में नमक बनाने का विभागीय रूप से चलाया जा रहा कार्य संभाला है।

न्यू कर्नाटक मिल्स, हुबली (मैसूर राज्य)

\+

†*१७७५. { श्री सिद्धनंजप्पा:
श्री अगाड़ी:
श्री वोडयार:

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि मैसूर राज्य में हुबली स्थित न्यू कर्नाटक मिल्स हाल ही में बन्द कर दी गयी है;

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) यदि हां, तो मिल के बन्द किये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) कितने श्रमिक बेरोज़गार हुये; और

(घ) मिल को पुनः चालू करने और छंटनी किये गये व्यक्तियों को रोज़गार दिलाने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है?

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो): (क) जी हां। (४-४-१९५८ से)

(ख) (१) वित्तीय कठिनाई।

(२) मशीनें खराब और पुरानी हो गयी हैं और लाभप्रद ढंग से काम करने लायक नहीं रही हैं।

(ग) इसे बन्द किये जाने के फलस्वरूप ११७५ श्रमिक प्रभावित हुये।

(घ) प्रबन्धक मिल को पावरलूम फैक्टरी के रूप में चलाने के लिये भी इच्छुक नहीं हैं। उन्होंने लाइसेंस को रद्द करने और मशीनों को रद्दी लोहे के रूप में बेचने की आज्ञा के लिये प्रार्थना की है। इस दशा को देखते हुये मिल के दुबारा चालू किये जाने अथवा छंटनी किये गये श्रमिकों को दुबारा नियोजित किये जाने की कोई तात्कालिक सम्भावना नहीं है।

†श्री सिद्धनंजप्पा: मिल के वास्तविक रूप से बन्द किये जाने के पूर्व क्या सरकार को मिल की सम्पूर्ण स्थिति का पता था? क्या इसके बन्द होने को रोकने के लिये कोई प्रयत्न किये गये थे?

†श्री कानूनगो: जी हां। प्रबन्धकों को इससे कताई उपकरणों को बदलने के लिये कहा गया था। उनको इसको पावरलूम फैक्टरी के रूप में चलाने का अवसर भी प्रदान किया गया था।

†श्री असर: उन्होंने यह प्रस्ताव क्यों नहीं माना? उसमें क्या कठिनाई थी?

†श्री मनुभाई शाह: जब राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम ने उसको ऋण देने का प्रस्ताव किया तब उसका यह ख्याल था कि सीक्योरिटी पर्याप्त नहीं है और वित्तीय स्थिति भी बिल्कुल सन्तोषजनक नहीं है। इसी कारण उसने ऋण स्वीकार नहीं किया।

†श्री दासप्पा: क्या पावर लूम फैक्टरी के रूप में काम करने की आज्ञा दी जाने की दशा में उसे 'कम्पाउन्डेड लेवी' देनी पड़ेगी या सामासिक मिल के रूप में शुल्क अदा करना पड़ेगा?

†श्री कानूनगो: उसको करघों की संख्या के अनुसार उत्पादन शुल्क देना पड़ेगा।

†श्री दासप्पा: मैं ने पूछा था कि उससे कम्पाउन्डेड लेवी के आधार शुल्क देने के लिये कहा जायेगा अथवा सामासिक मिल के आधार पर।

†श्री कानूनगो: यह उनकी मर्ज़ी है। उनको वरणाधिकार है।

इमारती सामान

†*१७७८. श्री दी० चं० शर्मा: क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा भवन निर्माण परियोजनाओं की क्रियान्विति में इस्पात और सीमेंट के स्थान में अन्य वस्तुओं के प्रयोग के सम्बन्ध में नवीनतम स्थिति क्या है?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†निर्माण, आवास तथा संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) : राष्ट्रीय इमारत संगठन द्वारा भवन निर्माण में सीमेंट और इस्पात के स्थान में अन्य वस्तुओं के प्रयोग करने के बारे में सिफारिशें की गयी हैं और उनको क्रमशः ३० जून और ३० दिसम्बर, १९५७ को विभिन्न राज्य सरकारों और सम्बन्धित मंत्रालयों को भेज दिया गया है। इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि की गई सिफारिशें किस हद तक स्वीकार की गयी हैं और उनको क्रियाकारी पाया गया है।

†श्री दी० चं० शर्मा : राज्य सरकारों और अन्य सग नों को भेजी गयी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

†श्री अनिल कु० चन्दा : मुख्यतः सिफारिशें टेक्निकल प्रकार की हैं और मेरा विचार राष्ट्रीय इमारत संगठन द्वारा दिये गये प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने का है। संक्षेप में सिफारिश यह है कि जहां कहीं भी सम्भव हो सीमेन्ट के स्थान पर चूना और इस्पात के स्थान में पूर्व दबाये हुए और पूर्व ढले हुए कंकरीट के संघटकों का प्रयोग किया जाय।

†श्री दी० चं० शर्मा : क्या इसने इन सामानों की उपलब्धता के बारे में भी कोई सुझाव दिये हैं ?

†श्री अनिल कु० चन्दा : हमारे देश में विभिन्न भागों में चूना उपलब्ध है और हालही में भवन निर्माण में चूने के प्रयोग पर हम ने एक संगोष्ठी भी की थी।

†श्री त्यागी : क्या केन्द्रीय सरकार दिल्ली में और अन्य स्थान पर अपने निर्माण-कार्य में इस संगठन द्वारा दी गयी राय पर कार्यवाही कर रही है ?

†श्री अनिल कु० चन्दा : जी, हां; जहां तक यह सम्भव है, कार्य किया जा रहा है।

निर्बन्धित राज्य लेखा परीक्षक[1]

†*१७७९. श्री तंगामणि : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्बन्धित राज्य लेखापरीक्षकों को भारत भर में समवाय लेखापरीक्षकों की नियुक्ति के लिये योग्य घोषित करने के लिये सरकार का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या पग उठाये ग े हैं; और

(ग) यदि भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो तो उसके क्या कारण हैं ?

†वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) से (ग). निर्बन्धित राज्य लेखापरीक्षकों को भारत भर में समवायों के लेखापरीक्षक नियुक्त किय जाने के योग्य समझने के लिये समवाय अधिनियम में संशोधन करने के लिये अनौपचारिक समिति की सिफारिशें विचाराधीन हैं।

†श्री ंगामणि : यह बात देखते हुए कि मद्रास राज्य में और केरल राज्य के एक भाग में भी बहुत से निर्बन्धित राज्य लेखापरीक्षक हैं, क्या उनको भारत भर में प्रैक्टिस करने देने की सिफारिश बिना किसी देरी के लागू की जायगी ?

†श्री सतीश चन्द्र : यह सच है कि केरल राज्य में ऐसे लगभग २५ लेखापरीक्षक हैं। मुझे मद्रास राज्य के बारे में कुछ पता नहीं है क्योंकि वे केवल 'ख' भाग राज्यों में थे। सिफारिश विचाराधीन है। इस समय ये लेखापरीक्षक केवल अपने राज्यों में ही सिफारिश कर सकते हैं।

†मूल अंग्रेजी में

[1]Restricted State Auditors

†**श्री तंगामणि** : उनको केवल उस ही राज्य में प्रैक्टिस करने की आज्ञा है। यह प्रश्न तब उत्पन्न होता है जब वे पड़ौसी राज्यों में प्रैक्टिस करना चाहें। त्रावनकोर-कोचीन राज्य के व्यक्ति जब मद्रास राज्य में प्रैक्टिस करना चाहें तो अब उनको ऐसा नहीं करने दिया जाता है। इस ही कारण में यह प्रश्न पूछता हूं कि क्या यह निर्बन्धन शीघ्रातिशीघ्र हटा लिया जायगा ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : मैं मूल प्रश्न के उत्तर में बतलाया कि विषय विचाराधीन है।

छोटे चाय उत्पादक

†*१७८१. **श्री हेम राज** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब और हिमाचल प्रदेश में चाय के अधिक उत्पादन के प्रयोजन के लिये और इन क्षेत्रों के छोटे चाय उत्पादकों को परामर्श देने के लिये यदि कोई व्यवस्था है तो वह क्या है; और

(ख) पिछले दो वर्षों में इस पर कितना धन खर्च किया गया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) और (ख). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या १३०**]

†**श्री हेम राज** : जैसा कि बागान जांच समिति ने सिफारिश की है, चाय के उत्पादन में सहायता देने के लिये छोटी मशीनों के निर्माण की ओर सरकार ने क्या प्रयत्न किये हैं ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : संयंत्र और मशीनों के निर्माण के लिय लाइसेंस जारी कर दिये गये हैं।

†**श्री हेम राज** : चाय उत्पादकों को सहायता देने के लिये बागान जांच समि.त की सिफारिश पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**श्री कानूनगो** : बागान जांच समिति के प्रतिवेदन पर सरकार के संकल्प को सभा के समक्ष रख दिया गया था।

शक्ति चालित करघों वाली मिलों का बन्द किया जाना

†*१७८०. { **श्री नारायणन् कुट्टि मेमन** :
{ **श्री जीनचन्द्रन्** :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि उत्पादन शुल्क की ऊंची दर और बिना बिके माल के अधिक मात्रा में इकट्ठा हो जाने के कारण केरल और अन्य राज्यों में पर्याप्त संख्या में शक्ति-चालित करघों वाली मिलें बन्द की जा रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस विषय में क्या पग उ । रही है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) इस समय उपलब्ध जानकारी के अनुसार सब राज्यों में केवल ९ शक्ति चालित करघों वाली मिलों ने बन्द किये जाने की धमकी दी जिनमें से वास्तव

†मूल अंग्रेजी म

में ७ मिलें बन्द कर दी गयीं। १८-३-५८ को घोषित सहायता के परिणामस्वरूप इन मिलों में से ३ पुनः चालू हो गयी हैं।

(ख) यह अनुभव किया जाता है कि १-४-१९५८ को घोषित कि गये सहायता उपाय इस समय पर्याप्त हैं।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : क्या ये सहायता उपाय केवल ३०० शक्ति चालित करघों वाली मिलों पर लागू होते हैं और उन से अधिक करघे वाली मिलों पर भी ये सुविधायें लागू करने के लिये क्या सरकार विचार करेगी ?

†**श्री कानूनगो** : जी, नहीं, क्योंकि सहायता की घोषणा सब वर्गों के लिये की गयी है।

†**श्री दासप्पा** : क्या मालाबार, मैसूर और अन्य स्थानों के शक्ति चालित करघों वाली मिलों द्वारा और मैसूर के वित्त मंत्रालय द्वारा विभिन्न वार्ता में सरकार के ध्यान में यह बात नहीं ला ी गयी है कि जो रियायत वे दे रहे थे वह मोटे और माध्यमिक कपड़े के सम्बन्ध में कम चौड़ाई वाले करघों के लिये लाभदायक न होगी ?

†**श्री कानूनगो** : : ऐसे अभ्यावेदन सदैव प्राप्त होते हैं और वे दुबारा भी प्राप्त हुए हैं।

†**श्री दासप्पा**: क्या सहायता कम्पाउन्डेड लेवी के रूप में दी गयी थी और जहां तक मोटे और माध्यमिक कपड़े का सम्बन्ध है, क्या इससे सामासिक मिल पर कर की अपेक्षा अधिक कठिनाई नहीं होगी ?

†**श्री कानूनगो** : हम इस समय ऐसा नहीं समझते ।

†**श्री दासप्पा** : सामासिक मिलों के लिये दर की तुलना में मोटे और माध्यमिक कपड़े में कम चौड़ाई वाला कपड़ा तैयार करने वाले करघों को कितनी छूट दी जाती है ?

†**श्री कानूनगो** : : आधार बिल्कुल उल्टा है ।

†**श्री दासप्पा** : कितनी छूट है ?

†**श्री कानूनगो** : : हमें इसका हिसाब लगाना है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति । प्रश्न काल समाप्त हो गया है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

विदेशी मिशनों में विज्ञान सहचारी

†*१७५६. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार हमारे प्रमुख विदेशी मिशनों में उन देशों में वैज्ञानिक विकास के हर पहलू पर जानकारी इकट्ठी करने के प्रयोजन के लिये विज्ञान सहचारी नियुक्त करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : भारत सरकार ने विभिन्न प्रदेशों में कई वैज्ञानिक सम्पर्क पदाधिकारी नियुक्त करने के प्रश्न पर विचार किया है, परन्तु मितव्ययता के कारण और विदेशी मुद्रा बचाने के कारण अभी ये नियुक्तियां नहीं की गयी हैं। इसके अतिरिक्त उपयुक्त व्यक्तियों की सेवायें उपलब्ध करना भी कठिन है।

---

†मूल अंग्रेजी में

शोलापुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स, लिमिटेड

†*१७५९. **श्री गोरे** : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 'शोलापुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड' और 'नरसिंग गिरजी मिल्स लिमिटेड' के प्रबन्धकों ने कर्मचारियों की भविष्य निधि में हस्तक्षेप किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस धनराशि को वापस प्राप्त करने के विषय में और उपरोक्त आचार के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों के खिलाफ़ कार्यवाही करने के लिये सरकार क्या पग उठा रही है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी, हां ।

(ख) (१) 'शोलापुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड' के बारे में शोलापुर के कलैक्टर से भू-राजस्व की बकाया के रूप में कुल रकम प्राप्त करने को कहा गया है । अंशदान न देने के लिये और विवरणी न भेजने के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों पर अभियोग चलाये गये हैं ।

(२) 'नरसिंग गिरजी मिल्स लिमिटिड' के खिलाफ़ दो अभियोजन और धन प्राप्त करने की कार्यवाही आरम्भ की गयी थी । दोनों मामलों में दो निदेशकों पर जुर्माना किया गया है । क्योंकि मिल परिसमापित हो गयी है, अब भविष्य निधि के दावे की जांच सरकारी समापक पदाधिकारी करेंगे ।

टायरों का निर्माण

†*१७६३. **श्री जैनचन्द्र** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इटली और भारत के सहयोग से टायरों के निर्माण के लिये बम्बई में एक कारखाना स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्थापना की वर्तमान स्थिति क्या है और संविदा के निबन्धन क्या हैं; और

(ग) क्या केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार का भी इस कारखाने में कोई अंश होगा ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी, हां ।

(ख) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या १३१]**

(ग) जी, नहीं ।

बम्बई में छोटे पैमाने के उद्योग

†*१७६७. **श्री पांगरकर** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुलाई, १९५५ में गठित केन्द्रीय जांच दल द्वारा बम्बई में छोटे पैमाने के उद्योगों की स्थिति का क्रमबद्ध अध्ययन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या दल ने बम्बई में किसी छोटे पैमाने के उद्योग को अपनी "अग्रिम योजना" के अन्तर्गत भारत के राज्य बैंक से ऋण सुविधा प्राप्त करने की सिफारिश की है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). जी, हां ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

सीमेंट का संभरण

†*१७७४. श्री मूलचन्द सिंह : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री १९ फरवरी, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या २८९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सार्वजनिक अभ्यंश में वृद्धि करने और सीमेन्ट की बिक्री के लिये पर्मिट व्यवस्था समाप्त करने के लिये केन्द्रीय सरकार की राय की क्रियान्विति में अब तक क्या प्रगति की गयी है; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार के परामर्श पर कार्य करने के लिये राज्यों को सीमेन्ट की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कर दी गयी है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख). राज्यों को किये जाने वाले आवंटन में तिमाही प्रति तिमाही वृद्धि की जाती रही है । अब राज्यों को ३६५,४८० टन सीमेंट प्रति मास आवंटित किया जाता है जब कि सितम्बर, १९५७ में २४२,३२० टन प्रति मास दिया जाता था ।

सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें विभिन्न राज्यों में सार्वजनिक अभ्यंश के लिये पर्मिट पद्धति की स्थिति बतायी गयी है । [देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या १३२]

मिस्र के साथ व्यापार

†*१७७७. श्री रामेश्वर टांटिया : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मिस्री रुई के खरीदने के लिये मिस्र और भारत में कार्य-सम्पादन किस प्रकार चल रहा है; और

(ख) १९५७-५८ में पारस्परिक आधार पर कितना माल लाया ले जाया गया ?

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) मिस्री रुई के आयात और चाय, पटसन का सामान, काली मिर्च, तम्बाकू, बिजली के पंखे, डीज़ल इंजन, सेन्ट्रीफ्यूगल पम्प, ड्राई बैटरियां, अन्य इंजीनियरिंग सामान और रसायन और औषधि उत्पादों इत्यादि के निर्यात के लिये ८ मार्च, १९५७ के करार के अन्तर्गत कार्य-सम्पादन संतोषजनक हो रहा है ।

(ख) उपरोक्त करार के अन्तर्गत १९५७-५८ में (१६-४-१९५८ तक) दोनों देशों में हुए व्यापार का विवरण नीचे दिया गया है :—

मिस्र से भारत में आयात

वस्तु	मूल्य
रुई	६१०.२६ लाख रुपये

भारत से मिस्र को निर्यात

	रुपये नये पैसे
पटसन का सामान	१,६०,४६,३५०.६८
काली मिर्च और इलायची	१०,६१,४००.००
चाय	३,८०,०६,४५५.३७
तम्बाकू	१,४३,५००.००
कुल . .	५,५२,५७,७०६.०५

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली—मथुरा सड़क के पास वाली भूमि का विकास

२५७२. **श्री म० ला० द्विवेदी : क्या निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली-मथुरा सड़क पर प्रदर्शनियां करने के लिये और इस प्रयोजन के लिये भवन बनाने पर भूमि के विकास के लिये अब तक कुल कितना धन व्यय किया जा चुका है और यह खर्च किन-किन मदों पर किया गया है; और

(ख) इस स्थान व भवनों की देखभाल और उनकी मरम्मत पर कितना आवर्तक व्यय करना पड़ता है ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) :(क) लगभग २६ लाख रुपये।

(ख) सम्पत्ति की देख भाल और मरम्मत का आवर्त्तक खर्च इस बात पर निर्भर है कि वहां किसी वर्ष में कितनी नुमाइशें और कितने विस्तार पर की जाती हैं। १९५६-५७ में इस खर्च की रक़म लगभग ७७,५०० रुपये थी।

रेशम उद्योग में कर्मचारी

†२५७३. **श्री राम कृष्ण**: क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५७-५८ में रेशम उद्योग में, रेशम के कारखाने वार, कितने कर्मचारी लगे हुए थे ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : वर्ष १९५६ के सम्बन्ध में उपलब्ध जानकारी नीचे दी जाती है :—

राज्य	चालू कारखानों की संख्या	विवरणी भेजने वाले कारखाने		विवरणी न भेजने वाले कारखानों में अनुमानित नियोजन
		संख्या	प्रतिदिन औसतन नियोजन	
आन्ध्र . .	१६	१६	१,६६२	शून्य
बिहार . .	११	११	५५१	शून्य
बम्बई . .	७४६	४७५	३५,४३५	६,१९४
दिल्ली . .	४	४	२५१	शून्य
मध्य प्रदेश . .	५	१	६२२	२४५
मद्रास . .	३४	३३	७०४	४४
मैसूर .	१८१	८४	४,६२१	उपलब्ध नहीं है
पंजाब . .	२११	१८२	६,६१६	१,६८७
उत्तर प्रदेश . .	८	७	३४१	९
पश्चिमी बंगाल .	७	६	१,१८८	३५
कुल .	१,२२३	८१९	५२,५९१	८,२१४

नोट : उपरोक्त आंकड़ों में जम्मू तथा काश्मीर और केरल (मालाबार क्षेत्र) की जानकारी सम्मिलित नहीं है।

†मूल अंग्रेजी में

विदेशों में रचनात्मक संगठन

†२५७४. श्री कुम्भार : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में (प्रत्येक देश में अलग-अलग) सरकारी और गैर-सरकारी भारतीय सामुदायिक विकास अथवा रचनात्मक संगठन कितने हैं;

(ख) इन्हें भारत सरकार एवं विदेशों द्वारा क्या-क्या सुविधाएं प्रदान की गई हैं; और

(ग) इन देशों में इनके द्वारा किये जाने वाले कार्य का क्या स्वरूप है ?

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) से (ग). जहां तक भारत सरकार का सम्बन्ध है वे किसी भी देश में सरकारी अथवा गैर-सरकारी सामुदायिक विकास संगठन से सम्बन्धित नहीं हैं। और न यह कहा जा सकता है कि विदेशों में इस प्रकार का क्या कार्य किया जा रहा है।

उन्होंने नेपाल सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना में सहायता देने की स्वीकृति दी है जिसमें सामुदायिक विकास कार्य भी सम्मिलित है।

विदेशों में भारतीय सामाजिक संगठन

†२५७५. श्री कुम्भार : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में (देशवार) स्थित भारतीयों द्वारा संचालित सामाजिक संगठनों की कितनी संख्या है;

(ख) उन्हें भारत सरकार की ओर से प्रदान की गई सुविधाओं का क्या स्वरूप है; और

(ग) उनके कार्य का क्या स्वरूप है ?

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) से (ग). जो जानकारी मांगी गई है वह वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपलब्ध नहीं है और इस विषय में निश्चित जानकारी प्राप्त करना अत्यन्त दुष्कर है। विदेशों में स्थित समग्र राजदूतावासों को लिखना और अपने-अपने क्षेत्र में फिर उनकी जांच करने में पर्याप्त परिश्रम चाहिये। कभी-कभी विदेश से जब कोई भारतीय सामाजिक संगठन को भारत में विकास सम्बन्धी सामान्य जानकारी की आवश्यकता होती है तो यह उन्हें भेज दी जाती है।

औद्योगिक बस्तियां

†२५७६. श्री केशोर भरूचा : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितनी औद्योगिक बस्तियां कार्य कर रही हैं और वे बृहत्तर बम्बई नगर में कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) इन बस्तियों में कौन कौन से मुख्य उद्योग सम्मिलित हैं;

(ग) इन बस्तियों में अचल भवनों के निर्माण पर कितनी लागत हुई है; और

(घ) इन बस्तियों में उपकरण और मशीनों की कितनी लागत है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) बृहत्तर बम्बई नगर में आजकल कोई भी औद्योगिक बस्ती कार्य नहीं कर रही है। किन्तु बम्बई में बाप्ती रोड और कुर्ला में दो औद्योगिक बस्तियां स्थापित करने का विचार है।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं।

अशोक होटल

†२५७७. श्री वें० प० नायर : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अशोक होटल के निर्माण के सम्बन्ध में और उस की सजावट समेत उपकरणों के ठेकों में अभी तक कुल कितनी राशि दी गई है ?

†निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)। मार्च, १९५८ तक कुल २,९६,३५,८७५ रुपय दिये गये हैं।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्य

†२५७८. श्री कुमारन : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने राज्यों को इस आशय का अनुदेश दिया है कि जहां तक सम्भव हो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्यों के लिये ठेकेदारों की अपेक्षा भवन निर्माण सहकारी समितियों का उपयोग किया जाना चाहिये;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों ने इस अनुदेश का पालन किया है; और

(ग) योजना आयोग की सिफारिश स्वीकृत करने और उसे क्रियान्वित करने वाले राज्यों ने इस दिशा में क्या प्रगति की है ?

†योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र) : (क) जी हां, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस आशय की एक सिफारिश प्रस्तुत की गई थी और राज्यों से उस की क्रियान्विति के लिये कहा गया था।

(ख) और (ग). स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है। पंजाब और बम्बई—केवल दो राज्यों में सहकारी संगठनों ने कुछ प्रगति का परिचय दिया है।

पंजाब में ६४८ श्रम और निर्माण सहकारी समितियां थीं जिन में १९५७ के अंत तक ६७,७०० सदस्य थे। राज्य की द्वितीय योजना में इस प्रकार की ३०० और समितियों के संगठन का उपबन्ध है।

बम्बई में इस प्रकार की १३९ समितियां थीं जिन में जून, १९५६ के अन्त तक ७,९९० सदस्य थे। जून, १९४९ में ११ समितियां थीं।

उड़ीसा का खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड

†२५७९. श्री पाणिग्रही : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड को १९५६-५७ और १९५७-५८ में कितनी सरकारी सहायता और ऋण प्राप्त हुआ है;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या उड़ीसा के खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड का उक्त दो वर्षों के बारे में प्रगति सम्बन्धी कोई प्रतिवेदन सरकार को प्राप्त हुआ है; और

(ग) १९५६–५७ और १९५७–५८ में उड़ीसा में कितनी खादी तैयार हुई है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) उड़ीसा राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड को अखिल भारत खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड एवं खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के मारफत १९५६–५७ और १९५७–५८ म केन्द्रीय सहायता के रूप म निम्न रकम दी गई थी :—

	१९५६–५७		१९५७–५८	
	अनुदान रुपये	ऋण रुपये	अनुदान रुपये	ऋण रुपये
(१) खादी (परम्परागत)	२,०७,७००	५,२०,०००	४२,६३४	३५,०००
(२) खादी (अम्बर)	१,५३,९५०	१,९४,३६०	५,०३,३५५	९,२४,०००
(३) अन्य ग्रामोद्योग	६,००,४६०	७,२७,७८५	८,६१,०३६	९,३७,६२०

(ख) जी हां। ३० जून, १९५७ और ३० दिसम्बर, १९५७ को समाप्त होने वाली अवधि के लिए दो त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं ।

(ग) वर्ष	उत्पादित खादी की मात्रा
१९५६–५७	५१,००० वर्ग गज
१९५७–५८	१५८,००० वर्ग गज

(३१ जनवरी १९५८ तक)

विभिन्न उद्योगों में रोजगार उपलब्ध होने की क्षमता

†२५८०. श्री जाधव : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री निम्न उद्योगों के सम्बन्ध में रोजगारी की मौजूदा क्षमता बताने की कृपा करेंगे :

(क) सूती वस्त्र उद्योग

(१) मिल उद्योग क्षेत्र,

(२) हथकरघा उद्योग क्षेत्र; और

(३) विद्युत्-चालित करघा उद्योग क्षत्र;

(ख) पटसन उद्योग

(ग) सीमट उद्योग; और

(घ) अन्य विविध गृह-उद्योग —सब किस्मों के अलग-अलग आंकड़े ?

†मूल अंग्रेजी में

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : वर्तमान में रोजगार शुदा व्यक्तियों की संख्या अनुमानतः इस प्रकार है :—

(क) सूती वस्त्र उद्योग	
(१) मिल उद्योग क्षेत्र	सूती, ऊनी और रेशमी वस्त्र उद्योग में १०,४०,०००
(२) हथकरघा उद्योग	३७,५०,०००
(३) विद्युत्-चालित करघा उद्योग क्षेत्र	सूती और रेशमी वस्त्र उद्योग में ६३,०००
(ख) पटसन उद्योग	२,३४,०००
(ग) सीमेंट उद्योग	२७,०००

(घ) ग्राम और छोटे पैमाने के उद्योगों में लगभग ७५,००,००० लोगों को रोजगार मिला हुआ है : इस प्राक्कलन का अलग अलग आंकड़े बताने वाला ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बड़े पैमाने के उद्योग और खानों में ७,५०,००० और छोटे पैमाने के तथा ग्रामोद्योगों में ४,५०,००० लोगों को और रोजगार मिलने की आशा है। बड़ी संख्या में पूर्ण रोजगार इस से पृथक है।

सरकारी विज्ञापन

२५८१. { श्री भक्त दर्शन :
श्री दी० च० शर्मा :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५७-५८ में अंग्रेजी, हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार-पत्रों को अलग अलग कितने विज्ञापन दिये गये ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा अंग्रेजी, हिन्दी तथा अन्य देशी भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार-पत्रों को १९५७-५८ में दिये गये सरकारी विज्ञापनों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

	अंग्रेजी	हिन्दी तथा अन्य देशी भाषायें
सजावटी (डिस्प्ले) विज्ञापन	६,५०,७२७	७,९५,०५१
वर्गीकृत विज्ञापन	१२,४८,०६६	२,७५,४२८

लंका में निष्कासित भारतीय

†२५८२. { श्री दी० च० शर्मा :
श्री तंगामणि :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लंका से १९५७-५८ में निष्कासित भारतीयों की कितनी संख्या है ?

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : १,७३३ व्यक्ति।

†मूल अंग्रेजी में

आन्ध्र के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना

†२५८३. **श्री हेडा** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के द्वितीय वर्ष में अनुमानित कमी कितनी है;

(ख) किन किन मदों में कटौती की गई है; और

(ग) इस कमी के क्या कारण हैं ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)**: आन्ध्र प्रदेश सरकार से जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासमय लोक-सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

दिल्ली में औद्योगिक सहकारी समितियां

२५८४. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में जो १०० औद्योगिक सहकारी समितियां इस उद्देश्य से स्थापित की जायेंगी कि ५००० व्यक्तियों को रोजगार दिया जा सके;

(ख) यदि हां, तो इन उद्योगों का स्वरूप क्या होगा; और

(ग) इन सहकारी समितियों की स्थापना में सरकार द्वारा क्या सहायता दी जायेगी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) और (ख). बताते हैं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत दिल्ली प्रशासन की एक योजना कारीगरों की सहकारी समितियों का विकास करने के लिये है जिसके अनुसार दूसरी योजना की अवधि में ऐसी ४० समितियां बनायी जायेंगी । प्रशासन से कहा गया है कि वह १९५८-५९ के अन्त तक ५० नयी औद्योगिक सहकारी समितियां स्थापित करे । पता चला है कि द्वितीय योजना चालू होने के बाद से दिल्ली के संघीय प्रदेश में ९६ औद्योगिक सहकारी समितियां बन चुकी हैं और इस समय ऐसी समितियों की कुल संख्या २९३ है । लघु उद्योगों, ग्राम-उद्योगों तथा कुटीर उद्योगों को सहकारिता के आधार पर संगठित करने को बढ़ावा दिया जाता है ।

(ग) औद्योगिक सहकारी समितियां बनाने की योजनाओं के लिये राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता निम्नलिखित रूपों में दी जाती है :—

(१) केन्द्रीय सरकार ७५ प्रतिशत हिस्सा पूंजी राज्य सरकार को २ वर्षीय ऋण के रूप में देती है और शेष पूंजी सम्बद्ध राज्य सरकार या सम्बन्धित पक्ष जुटाता है।

(२) केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को ७५ प्रतिशत संचालन पूंजी दस वर्षीय ऋण के रूप में देती है । इस पूंजी के अन्तर्गत ज़मीन, इमारत तथा उपकरण खरीदने के लिये आवश्यक धन भी शामिल है ।

(३) ये औद्योगिक सहकारी समितियां यदि सहकारिता सम्बन्धी विशेष निरीक्षक कर्मचारी रखें, तो तीन साल तक उन पर आने वाले अनावर्त्तक व्यय का ५० प्रतिशत भाग राज्य सरकार को अनुदान के रूप में दिया जायगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(४) उद्योगों को राजकीय सहायता अधिनियम या ऐसे हो अन्य विनियमनों के अधीन, साधारण व्याज दर पर राज्य सरकारों को एकमुश्त ऋणों की मंजूरी दी जाती है जो छोटे कारखानों में बांटने के लिये होता है। राज्य सरकारों से कहा जाता है कि वे इस ऋण में से औद्योगिक सहकारी समितियों को २।। प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण दें। जिस सामान्य ब्याज पर राज्य सरकारों को ऋण दिया जाता है और राज्य सरकारें उस में से औद्योगिक सहकारी समितियों को जिस रियायती ब्याज दर पर कर्ज देती है, उन के अन्तर को केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को राज सहायता दे कर पूरा कर देती है।

(५) औद्योगिक सहकारी समितियों को जो ऋण दिये जाते हैं, उस की सीमा २ लाख रुपये तक है और उस पर रियायती दर से ही ब्याज लिया जाता है। उन्हें इस सीमा तक जितनी धनराशि दी जायेगी, उस पर रियायती दर से ही ब्याज लगेगा। जिन मामलों में औद्योगिक सहकारी समितियों को २ लाख रुपये से अधिक ऋण देने की इच्छा हो, उन्हें इस मंत्रालय के पास भेज देना चाहिये।

(६) सभी ऋण (औद्योगिक सहकारी समितियों की हिस्सा पूंजी के लिये दिये गये ऋणों को छोड़ कर) दस वर्ष में लिये होंगे और उन पर साधारण दर से ब्याज लिया जायेगा, तथा मूल धन तथा ब्याज बराबर की दस किश्तों में वापस करना होगा। ऋण लौटाने की पहली किश्त ऋण लेने के एक साल बाद देनी होगी। हिस्सा पूंजी के लिये दिये गये ऋण दो साल के लिये होंगे।

(७) **हानि का भार उठाना**—औद्योगिक सहकारी समितियों की विशिष्ट योजनाओं के मामले में केन्द्रीय सरकार वसूल न हुए ऋणों की हानि उसी अनुपात से उठायेगी जिस में उस ने ऋण दिया था अर्थात् केन्द्रीय सरकार ७५ प्रतिशत और राज्य सरकार २५ प्रतिशत।

अफगानिस्तान के साथ व्यापार

†२५८५. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री दलजीत सिंह :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत का अफगानिस्तान के साथ आजकल कितना व्यापार होता है; और

(ख) इसे समुन्नत करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) जनवरी से अक्तूबर १९५७ की अवधि में अफगानिस्तान से भारत में आयात और यहां से उस देश को निर्यात क्रमशः ३६० लाख रुपये और १४१ लाख रुपये का था। उत्तरवर्ती अवधि के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) भारत-अफगानिस्तान व्यापार में सुधार करने के लिये निम्न कदम उठाये गये हैं :—

(१) १४ जून, १९५७ को भारत और अफगानिस्तान के बीच एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे जिस के अनुसार यह तय किया गया था कि अफगानिस्तान से प्राप्त संभरण का मूल्य भारतीय रुपये में चुकाया जायेगा और दोनों देशों में व्यापार की स्थिति संतुलित हो जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

(२) अफगानिस्तान से फलों और हींग का आयात करने के लिये भारत में जिन्हें परमिट दिये गये हैं उन से कहा गया है कि वे उतनी ही कीमत की भारतीय वस्तुएं उस देश को निर्यात करें ।

(३) इंजीनियरिंग निर्यात संवर्द्धन परिषद् का एक व्यापार प्रतिनिधि मंडल अगस्त १९५७ में काबुल गया था; उन्हें मालूम हुआ कि भारत की इंजीनियरिंग वस्तुओं के लिये अफगानिस्तान में अच्छा बाजार है । प्रतिनिधिमंडल की रिपोर्ट प्रकाशित हो गई है ।

(४) चाय बोर्ड के चेयरमैन के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल नवम्बर, १९५७ में अफगानिस्तान गया था । भारत से उस देश में भेजी जाने वाली हरी चाय के निर्यात में निरन्तर ह्रास के कारण निर्धारित करने और तत्सम्बन्धी उपचारात्मक उपाय का सुझाव देना ही प्रतिनिधि मंडल का उद्देश्य था ।

गांधी जी की रचनायें

†२५८६. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री गांधी जी की रचनाओं सम्बन्धी परामर्शदाता बोर्ड की अभी तक हुई बैठकों की संख्या बताने की कृपा करेंगे ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : परामर्शदाता बोर्ड ने बैठकों के लिये निश्चित स्थितियां घोषित नहीं की हैं और कभी भी आवश्यकता होने पर इस की बैठक होती है । बोर्ड की पांच बैठकें हो चुकी हैं किन्तु अनेक अनौपचारिक बैठकें भी हो चुकी हैं जिन का ब्यौरा रखना कठिन है ।

"जरलीना"[1]

†२५८७. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि लेटिस स्पेसिंग फ्यूल एलीमेंट्स का अध्ययन करने के लिये "जरलीना" नामक जीरो एनर्जी रिएक्टर की लागत क्या है और वह किस डिजाइन में स्थापित किया जायेगा ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : भारी पानी, यूरेनियम और ग्रेफाइट की कीमत निकालते हुए "जरलीना" रिएक्टर की लागत लगभग २२ लाख रुपये है ।

बिजली का सामान और रेडियो रिसीवर

†२५८८. **श्री कालिका सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिजली के लैम्प, पंखे, रेडियो रिसीवर, ड्राईबैटरी और स्टोरेज बैटरी १९५५-५६, १९५६-५७ और १९५७-५८ में कितने आयात किये गये हैं;

(ख) इन वस्तुओं का भारत में उत्पादन एवं निर्माण के लिये क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) क्या उपरोक्त वस्तुओं में से भारत में निर्मित कुछ वस्तुएं बाहर भेजी जाती हैं; और

(घ) यदि हां, तो १९५७-५८ में कितनी मात्रा का निर्यात किया गया था और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में निर्धारित लक्ष्य से हम कितना पीछे हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

१ Zerlina

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री): (क) आंकड़े इस प्रकार हैं :–

आयात वर्ष

मद	१९५५–५६		१९५६–५७		१९५७–५८ (अप्रैल-सितम्बर)	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
बिजली के लैम्प	३५,३८८,३१७	६,२४६	३१,१७६,९५९	५,७६२	५,८३७,१२१	१,२१९
बिजली के पंखे	उपलब्ध नहीं है*	२,०५४	(अप्रैल-दिसम्बर उपलब्ध नहीं है) जनवरी-मार्च १,०५०	१,९६४ ११५ —— २,०७९	१,५७५	२०१
रेडियो रिसीवर	६,२५८	१,७६७	४,९८४	१,४६६	उपलब्ध नहीं है	
ड्राई बैटरी	उपलब्ध नहीं है	६,४८८*	अप्रैल-दिसम्बर ५६, उपलब्ध नहीं है जनवरी-मार्च, १९५७ ३९९ हंडरवेट	४७५३ २५०	५६० हंडरवेट	८३१
स्टोरेज बैटरी	उपलब्ध नहीं है	४,२०२**	अप्रैल-दिसम्बर' ५६ उपलब्ध नहीं है जनवरी-मार्च ५७—६७३८	६,०२८** १,८००	४१,६२१	३,१०९

*इस में अन्य प्रकार के प्राइमरी सैल और बैटरियाँ भी सम्मिलित हैं ।

**इस में ट्रेनलाइटिंग, स्टेशनरी तथा अन्य विशेष प्रकार की बैटरियां और पुर्जे सम्मिलित हैं ।

(ख) नये यूनिटों की स्थापना के लिये और वर्तमान यूनिटों के प्रसार हेतु अनेक योजनाओं के लिये लाइसेंस प्रदान किये गये हैं एवं उन का अनुमोदन किया गया है :

(ग) जी हां ।

(घ) १९५७–५८ (अप्रैल-सितम्बर, १९५७) के निर्यात आंकड़े इस प्रकार हैं :—

(मात्रा '००० रुपयों में मूल्य)

१. बिजली के लैम्प	८,९९०	२०६
२. रेडियो के पंखे	११,२८९	१,२३२
३. रेडियों रिसीवर	२४७	५८
४. ड्राई बैटरियां	४,९०९	७१३
५. स्टोरेज बैटरियां	१०५	६

बिजली के पंखों का निर्यात लक्ष्य १९६०–६१ में ५०,००० निश्चित किया गया है। अन्य वस्तुओं के बारे में अन्तिम लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

†मूल अंग्रेज़ी में

कोयला खानों के बाहर स्थित स्नानागार और खान शिशु-गृह सम्बन्धी नियम

†२५८९. **पंडित द्वा० ना० तिवारी :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में कोयला खानों के बाहर स्थित स्नानागार और खान शिशु-गृह सम्बन्धी नियमों का गतवर्ष अधिक उल्लंघन हुआ है;

(ख) क्या यह सच है कि इन नियमों के अन्तर्गत चलाये गये अभियोग उल्लंघन की घटनाओं को रोकने में असमर्थ सिद्ध हुए हैं; और

(ग) १९५५–५६, १९५६–५७ और १९५७–५८ में कितनी बार इन नियमों का उल्लंघन किया गया और कितने मुकदमे चलाये गये ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली):** (क) जी नहीं।

(ख) कुछ सीमा तक अभियोग अधिक प्रभावशाली सिद्ध नहीं हुए हैं। इन्हें अधिक प्रभाव के बनाने की दृष्टि से नियमों में संशोधन करने का प्रश्न विचाराधीन है।

(ग)	कितनी बार उल्लंघन किया गया	कितनी बार मुकदमे चलाये गये
१९५५–५६	७९१	९०
१९५६–५७	७७९	१३३
१९५७–५८	७२५	८९

(जनवरी, १९५८ तक)

ग्राह्यता प्रमाणपत्र

†२५९०. **श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जायदाद खरीदने के लिये अभी तक जारी किये गये ग्राह्यता-प्रमाण पत्र कितने हैं और खरीदी गई जायदाद की कीमत से समायोजन करने के लिये अभी तक कितने प्रमाणपत्र प्रस्तुत किये गये हैं ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) :** ३१ मार्च, १९५८ तक ३२,१६९ लेखा विवरण जारी किये गये हैं।

इन विवरणधारियों में से कितने व्यक्तियों ने जायदाद खरीदने के सिलसिले में कीमतों का समायोजन कराया है इसके निर्धारण के बारे में जानकारी नहीं हैं क्योंकि इन सौदों का अलग रेकार्ड नहीं रखा जाता है।

मोटर साइकिल

†२५९१. **श्री न० रा० मनिस्वामी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में मोटर साइकलों की कुल कितनी आवश्यकता है;

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) मद्रास में तिपरत्तिपुर स्थित मेसर्स एनफील्ड इण्डिया लिमिटेड की प्रतिष्ठापित क्षमता कितनी है और इसमें यथार्थ उत्पादन कितना होता है ;

(ग) विदेशों से कौन कौन सी वस्तुएं और सम्बद्ध पुर्जे मंगाये जाते हैं तथा उनका क्या मूल्य है;

(घ) क्या स्वदेशी उत्पादन के माध्यम से सम्पूर्ण आन्तरिक मांग की पूर्ति के लिये सरकार के पास कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो यह कब तक क्रियान्वित होगी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) मोटर साइकिलों की वर्तमान वार्षिक मांग लगभग ३,००० से ४,००० तक है।

(ख) से (ङ). मद्रास के मेसर्स एनफील्ड इण्डिया लिमिटेड की एक पारी की लाइसेंस शुदा क्षमता प्रतिवर्ष ५,००० मोटर साइकिलों का निर्माण है। भारत में मोटर साइकिलों के सम्पूर्ण निर्माण का कार्यक्रम पांच वर्ष की अवधि में फैला हुआ है। इस फर्म द्वारा १९५७ में १८२७ यूनिट का उत्पादन किया गया था। देश की पूर्ण आवश्यकता पूर्ति की दृष्टि से इस फर्म की उत्पादन क्षमता पर्याप्त है।

(ग) निम्न मदों के अतिरिक्त अन्य वस्तुएं और सम्बद्ध पुर्जों का आयात किया जाता है जो एक पूर्ण मोटर साइकल के लागत भाड़ा सहित मूल्य का ६० प्रतिशत भाग है ;

पिस्टन पूर्ण, सीट, पेट्रोल टैंक, स्पार्क प्लग, साइलेंसर, इनफ्लेटर, फ्रेम, टायर और ट्यूब, बैटरी, रबड़ के हिस्से, बोल्ट, नट, पिन और स्टड इत्यादि।

फरीदाबाद बिजलीघर

†२५९२. **श्री अ० क० गोपालन : क्या पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फरवरी और मार्च १९५८ की अवधि में फरीदावाद बिजली घर में व्यवस्था भंग हो गई थी;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक महीने कितनी बार ऐसा हुआ था; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)**: (क) और (ख). १० और १२ मार्च, १९५८ के बीच फरीदाबाद की बिजली व्यवस्था गम्भीर रूप से भंग हो गई थी। इसका ब्यौरा इस प्रकार है :—

१० मार्च से १२ मार्च, १९५८ :—१० मार्च, १९५८ को संध्या ६.३० बजे से ११ मार्च, १९५८ के सवेरे ११.०७ बजे तक, और ११ मार्च, १९५८ को ४.३० संध्या से १२ मार्च, ५८ के सवेरे ४ बज कर ४५ मिनट तक।

(ग) एक बायलर के कम्बश्चन चैम्बर में ट्यूब का लीक होना और दूसरे के ग्रेट में त्रुटियां होना।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

ट्रैक्टरों का आयात

†२५९३. **श्री न० रा० मुनिस्वामी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १९५६–५७ और १९५७–५८ में बाहर से मंगाये गये ट्रैक्टरों की कुल संख्या बताने की कृपा करेंगे ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: १९५६–५७ (अप्रैल–दिसम्बर, १९५६), जनवरी–मार्च, १९५७ और अप्रैल–सितम्बर, १९५७ में भारत में आयात किये गये ट्रैक्टरों की संख्या बताने वाला विवरण लोक सभा के पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या १३३**] सितम्बर, १९५७ के पश्चात् आयात के यथार्थ आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

राज्यों के बारे में आयव्ययक

†२५९४. **श्री न० रा० मुनिस्वामी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों को १९५८–५९ वर्ष के लिये अपने आयव्ययक के घाटे की राशि कम करने के संबंध में हिदायतें दी गई थीं;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकारें किस सीमा तक इन हिदायतों का पालन कर सकी हैं; और

(ग) १९५८–५९ वर्ष के लिये घाटे की राशि कम करने के लिये जो कर लगाये गये थे उनकी कुल रकम कितनी है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) जी, हां।

(ख) योजना आयोग ने राजस्व संबंधी आयव्ययकों को संतुलित किये जाने की वांछनीयता की ओर, समय समय पर, राज्य सरकारों का ध्यान आकृष्ट किया है। १९५८–५९ के लिये इस संबंध में पिछली फरवरी में राज्य सरकारों को एक पत्र भेजा गया था।

(ग) योजना आयोग को अब तक दस राज्यों के आयव्ययक संबंधी कागजात प्राप्त हुये हैं। लोक–सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें इन राज्यों के लिये १९५८–५९ के संबंध में राजस्व लेखे पर घाटे संबंधी स्थिति (करारोपण की वर्तमान दरों पर), इस वर्ष के लिये प्रस्तावित अतिरिक्त कराधान तथा अतिरिक्त कराधान के लिये ऋण लेने के बाद घाटा दिखाया गया है। [**देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या १३४**]

लौह अयस्क का निर्यात

†२५९५. **श्री आचार** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन या चार महीनों से मैसूर राज्य के मंगलोर, कारवार, तथा अन्य छोटे पत्तनों से लौह अयस्क की पर्याप्त मात्रा निर्यात की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो अब तक किन देशों को इस प्रकार अयस्क की कितनी मात्रा निर्यात की गई है ;

(ग) क्या यह सच है कि नौवहन की सुविधाओं के अभाव के कारण इन पत्तनों में लौह अयस्क की पर्याप्त मात्रा पड़ी हुई है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) यदि हां, तो क्या लौह अयस्क के निर्यात को सुकर बनाने के लिये इन पत्तनों में से किसी एक पत्तन का तुरंत ही सभी ऋतुओं में काम आने वाले पत्तन के रूप में विकास किये जाने के लिये कोई प्रस्ताव है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) जी हां।

(ख) जुलाई, १९५७ से ३१ मार्च, १९५८ तक छोटे पत्तनों के द्वारा लौह अयस्क का वास्तविक निर्यात संबंधी ब्यौरा इस प्रकार है :

पत्तन का नाम	**मात्रा (टनों में)**	जिस देश को भेजा गया
१. मंगलोर	७,२००	चेकोस्लोवेकिया
२. कारवार	२९,०५३	"
३. होनावार	७,२००	जापान

(ग) विपणि में प्रतिसार तथा नौवहन संबंधी सुविधायें अपर्याप्त होने के कारण अयस्क की कुछ मात्रा पत्तनों में पड़ी है।

(घ) कुछ प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

पंजाब में विस्थापित व्यक्ति

†२५९६. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ ऐसे मेव–मुस्लिम परिवारों को जो पाकिस्तान चले गये थे और बाद में वापिस चले आये थे, उन्हें पंजाब के किसी जिले में पुर्नवासित किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उनके पुनर्वास का स्वरूप तथा ब्यौरा क्या है ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० श० नास्कर)** : (क) जी, हां।

(ख) ५८४० मामलों में जायदाद वापिस किये जाने के लिये आदेश जारी किये गये थे। ६१ मामलों में वैकल्पिक जमीन दी जा रही है और शेष सभी मामलों म वास्तविक कब्जा दिया जा चुका है, अवलम्बित प्रार्थना पत्रों की संख्या केवल लगभग २०० है।

अम्बर चरखा

†२५९७. **श्री र० ल० रेड्डी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शिक्षा संबंधी प्रशिक्षण संस्थाओं को अपने कला तथा शिल्प विभागों में प्रशिक्षण देने के लिये काफी मात्रा में अम्बर चरखे नहीं दिये जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार अम्बर चरखों के ज्ञान तथा उपयोग के प्रचार के लिये इन प्रशिक्षण संस्थाओं को उपयुक्त समझती है; और

(ग) अब तक कितने अम्बर चरखे मुफ्त दिये गये हैं और किस प्रकार की संस्थाओं को कितनी संख्या में इन्हें प्रदान किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) जी, हां। किन्तु अम्बर चरखे के उपयोग में शिक्षण दिये जाने के लिये पृथक् प्रशिक्षण संस्थायें स्थापित की गई हैं।

(ख) जी, हां। किन्तु अम्बर चरखा कार्यक्रम का मुख्यत: उद्देश्य कपड़े के विकेन्द्रित उत्पादन में कुछ लक्ष्यों को प्राप्त करना और बेरोजगार तथा न्यून-नियोजित व्यक्तियों को रोजगार देना है। तदनुसार वास्तविक उत्पादन के लिये प्रशिक्षित कर्तकों को रियायती निबन्धनों पर अम्बर चरखे दिये जाते हैं।

(ग) प्रश्न के भाग (क) में जिस प्रकार की शिक्षा संबंधी प्रशिक्षण संस्थाओं की ओर निर्देश किया गया है उन्हें अम्बर चरखे नहीं दिये गये हैं।

सरकारी पत्रिकाओं में प्रकाशनार्थ लेख भेजना

†२५९८. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार की पत्रिकाओं तथा प्रकाशनों में लेख आदि भेजने के लिये लेखकों को दिये जाने वाले पारिश्रमिक की दरें क्या हैं;

(ख) क्या लेख आदि प्रकाशित करने वाले विभागों तथा प्रकाशन की भाषा के अनुसार पारिश्रमिक की दरें भिन्न भिन्न हैं;

(ग) यदि हां, तो इस विभेद का कारण क्या है;

(घ) क्या हाल ही में लेखकों को दिये जाने वाले पारिश्रमिक की दरें कम की गई है;

(ङ) यदि हां, तो किन पत्रिकाओं में दरें कम की गई हैं और किन में परिवर्तन नहीं किया गया है; और

(च) यह कमी किये जाने का कारण क्या है?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) से (च). दरों के संबंध में जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथा समय उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

पश्चिमी बंगाल में अनधिवासियों की बस्तियां

†२५९९. **श्री घोषाल** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय पश्चिमी बंगाल में विस्थापित अनधिवासियों की संख्या कितनी है; और

(ख) सरकार द्वारा अब तक इस प्रकार की कितनी बस्तियां नियमानुकूलित की जा चुकी हैं?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) १४९ बस्तियां।

(ख) ३१ मार्च, १९५८ तक ६७ बस्तियां पूर्णत: तथा १३ बस्तियां आंशिक रूप से नियमानुकूलित की जा चुकी थीं;

---

†मूल अंग्रेजी में

हिमाचल प्रदेश बड़ी जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि सुधार अधिनियम

२६००. **श्री पद्म देव :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश बड़ी जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि सुधार अधिनियम पूरी तरह से लागू कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो १९५७–५८ में कितने काश्तकारों को भूमि पर स्वामित्व प्राप्त हुआ?

योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र) : (क) हिमाचल प्रदेश बड़ी जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि सुधार अधिनियम, १९५३ दिनांक २६ जनवरी, १९५५ से लागू किया गया था। अधिनियम के लागू किये जाने के तुरन्त बाद जिलों के कुछ भूमिपतियों ने इस कानून की मान्यता के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में याचिका लेख देना शुरू कर दिया। अब तक विभिन्न जिलों के १५९२ व्यक्तियों ने याचिका लेख दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को इस अधिनियम के भीतर प्रार्थियों के विरुद्ध कोई कारवाई करने या उनकी सम्पत्ति पर अधिकार करने या किसी तरह से उनकी सम्पत्ति में दखल देने पर रोक लगाने का आदेश दे दिया है। फिर भी अधिनियम के उपबन्ध अन्य मामलों में लागू किये जा रहे हैं। मुआवजा अधिकारियों की सभी जिलों में नियुक्त की गई है। काश्तकारों द्वारा स्वामित्व अधिकार लेने के सम्बन्ध में दाखिल किये गये ७१४५ मामलों में से १५२२ मामलों का फैसला हो चुका है।

(ख) १९५७-५८ में स्वामित्व अधिकार प्राप्त किये हुए काश्तकारों की संख्या ११२२ है।

हिमालय पर्वतारोहण यात्रायें

२६०१. { **श्री भक्त दर्शन :**
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष किन्हीं विदेशी पर्वतारोही दलों ने भारत स्थित हिमालय की विभिन्न चोटियों पर पर्वतारोहण की अनुमति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन दलों के देशों, सदस्यों, कार्यक्रम और उद्देश्यों पर प्रकाश डालने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा;

(ग) उनमें से किन किन दलों को अनुमति दी जा चुकी है; और

(घ) उपरोक्त विदेशी दलों के साथ किन–किन भारतीय सम्पर्क अधिकारियों को नियुक्त किया गया है?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य-मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) से (घ). जी हां; श्री जे० जी० स्टीफेन्सन के नेतृत्व में यूनाइटेड किंगडम के ६ राष्ट्रिकों के केवल एक विदेशी अभियान–दल (एक्सपेडीशन) को यह इजाजत दी गई है कि वह कुलू और स्पिति घाटियों के निर्बाध क्षेत्र (नान–रेस्ट्रिक्टेड एरिया) में जुलाई और सितंबर, १९५८ के बीच पर्वत पर चढ़ाई करे। चूंकि इस क्षेत्र में कोई पाबंदी नहीं है, इसलिए यह जरूरी नहीं समझा गया कि दल के साथ कोई भारतीय अफसर लगाया जाय।

†मूल अंग्रेजी में

हथकरघा वस्त्र निर्यात व्यापार

†२६०२. **श्री जीनचन्द्रन्** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १८ जुलाई, १९५७ अतारांकित प्रश्न संख्या १०० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को हथकरघा वस्त्र निर्यात व्यापार के संबंध में मंत्रणा देने के लिये फोर्ड प्रतिष्ठान के तत्वावधान में अमरीकी विशेषज्ञों का जो दल भारत आया था क्या उसका अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस दल की मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ग) इन सिफारिशों को लागू करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है;

(घ) क्या सरकार ने हथकरघा वस्त्रों के लिये निर्यात संवर्द्धन निकाय स्थापित किया है; और

(ङ) यदि हां, तो निकाय के सदस्य कौन कौन हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) जी, हां।

(ख) दल द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन की प्रतियां संसदीय पुस्तकालय में रखी जा चुकी है।

(ग) तथा (घ). मामला अभी विचाराधीन है।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

रुई का निर्यात

†२६०३. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत से ब्रिटेन को रुई के निर्यात के संबंध में कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो निर्यात की मात्रा कितनी है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) तथा (ख). चालू वर्ष में ब्रिटेन सहित अनुज्ञेय देशों को रुई की कुल दो लाख गांठें निर्यात करने की अनुमति दी गई है। ब्रिटेन अथवा किसी अन्य देश के लिये कोई विशिष्ट कोटा पृथक रक्षित नहीं किया गया है।

कार्यालयों का बाहर भेजा जाना

†२६०४. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री १९ फरवरी, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या २८० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कार्यालयों के बाहर भेजे जाने के कारण कितने अधिकारियों तथा कर्मचारियों के दिल्ली से बाहर चले जाने की संभावना है; और

(ख) कार्यालयों के बाहर भेजे जाने के परिणामस्वरूप दिल्ली में कार्यालयों की कितनी जगह तथा कितने रिहायशी क्वार्टर खाली हो जायेंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) लगभग १,६००।

(ख) कार्यालयों की जगह १.२५ लाख वर्ग फुट (लगभग)

सरकारी रिहायशी क्वार्टर ३०० इकाइयां (लगभग)

इसके अतिरिक्त गैर-सरकारी क्षेत्र में भी काफी रिहायशी मकान खाली होने की सम्भावना है।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

†२६०५. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने अपने कर्मचारी-विनियमों को अन्तिम रूप दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा वे अनुमोदित किये जा चुके हैं; और

(ग) यदि भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है, तो इस संबंध में क्या कार्यवाहियां की जा रही हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) अभी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) संघ लोक सेवा आयोग से सलाह की गई है और कर्मचारी-विनियमों के प्रारूप के संबंध में उनके टिप्पणों पर विचार किया जा रहा है। आशा है शीघ्र ही विनियमों को अन्तिम रूप दे दिया जायेगा ।

तरल सुनहरी पालिश की प्रयोगशाला

†२६०६ { **श्री रामेश्वर टांटिया** :
श्री भोगजी भाई :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फीरोजाबाद कांच व्यापारी मण्डल ने सरकार से तरल सुनहरी पालिश की एक प्रयोगशाला स्थापित किये जाने के लिये कहा है; और

(ख) कांच की चूड़ियों के व्यापार में कितने श्रमिक नियोजित हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) जी, हां। फ़ीरोज़ाबाद में लघु उद्योगों के विकास आयुक्त द्वारा कांच के सामान के लिये एक विस्तार केन्द्र स्थापित किया जा रहा है। तरल सुनहरी पालिश तथा अन्य वस्तुओं के सम्बन्ध में साधारण परीक्षण करने के लिये इस विस्तार केन्द्र की एक छोटी प्रयोगशाला होगी।

(ख) इस उद्योग से लगभग ८,००० से १०,००० लोगों को प्रत्यक्ष नियोजन और लगभग ३०,००० व्यक्तियों को परोक्ष नियोजन सम्बन्धी सुविधायें प्राप्य हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण में भ्रष्टाचार

†२६०७. श्री हेम बरुआ : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण में भ्रष्टाचार के मामले में और सरकारी रुपये के ग़बन के मामले में अब तक कितने राजनयिक तथा अन्य अधिकारियों को दोष सिद्ध ठहराया गया है और कठोर दण्ड की भिन्न अवधियों की सजायें दी गई हैं और जुर्माने किये गये हैं और अब तक प्रत्येक वैयक्तिक मामले में अन्तर्ग्रस्त रक़म कितनी थी ;

(ख) इन व्यक्तियों को किये गये जुर्माने की रक़में क्या अब तक प्राप्त हो चुकी हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो अब तक कितनी रक़म प्राप्त नहीं हुई है ?

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) से (ग). जानकारी इस प्रकार है :

(१) २७–९–१९५७ को एक राजनयिक अधिकारी को एक वर्ष के कठोर दण्ड और २,५०० रुपये के जुर्माने और जुर्माना न देने की स्थिति में और तीन मास के कठोर दण्ड की सज़ा दी गई थी.

अन्तर्ग्रस्त राशि २,५०० रुपये थी । जुर्माने की रकम वसूल हो चुकी है ।

(२) २५–२–५८ को एक ख़ज़ाञ्ची को छः मास के कठोर दण्ड और २५० रुपये जुर्माने की और जुर्माने की रकम न दिये जाने पर और २ मास के कठोर दण्ड की सज़ा दी गई थी । अन्तर्ग्रस्त राशि २५० रुपये थी । जुर्माने की रकम अभी तक वसूल नहीं हुई है ।

(३) १६–१–५८ को एक मुख्य सहायक को २ वर्ष के कठोर दण्ड और २,००० रुपये के जुर्माने की और जुर्माने की रकम न दिये जाने की स्थिति में और छः मास के कठोर दण्ड की सज़ा दी गई थी । अन्तर्ग्रस्त राशि २,००० रुपये थी । अभी तक जुर्माने की रकम वसूल नहीं हुई है ।

भारतीय सीमान्त प्रशासन सेवा

†२६०८. श्री हेम बरुआ : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय सीमान्त प्रशासन सेवा के विभिन्न वर्गों में अब तक कितने सैनिक अधिकारी भर्ती किये जा चुके हैं ; और

(ख) उत्तर-पूर्वी सीमान्त सेवाओं में अभी तक कितने सैनिक अधिकारी नियोजित हैं ?

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) प्रथम श्रेणी में १२ अधिकारी और द्वितीय श्रेणी में ५ अधिकारी ।

(ख) प्रथम श्रेणी में ७ अधिकारी और द्वितीय श्रेणी में १ अधिकारी ।

ब्रिटेन को भारतीय सूती वस्त्रों का निर्यात

†२६०९. श्री दामानी : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें दिखाया गया हो कि ब्रिटेन को भारतीय सूती वस्त्र के निर्यात की

†मूल अंग्रेजी में

प्रवृत्ति क्या है और क्या १९५६, १९५७ तथा १९५८ की प्रथम तिमाही में निर्यात में प्रगामी वृद्धि होती रही है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : १९५६, १९५७ (अक्तूबर तक) में ब्रिटेन को भारत से सूती वस्त्र के निर्यात की प्रवृत्ति इस प्रकार थी :—

वर्ष	लाख गजों में मात्रा
१९५६	९१८
१९५७	१३२५
(जनवरी-अक्तूबर)	

बाद के आंकड़े अभी प्राप्य नहीं हैं ।

उपरोक्त आंकड़ों से पता चलता है कि १९५७ में १९५६ की अपेक्षा ब्रिटेन को भारतीय वस्त्र के निर्यात में कुछ वृद्धि हुई है ।

आसाम में छोटे पैमाने के उद्योग

†२६१०. श्री हेम बरुआ : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम में छोटे पैमाने के उद्योगों के संवर्द्धन तथा विस्तार के लिये उस राज्य में कोई सर्वेक्षण-कार्य किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त सर्वेक्षण की उपपत्तियों की कार्यान्विति के लिये अब तक क्या कार्यवाहियां की गई हैं ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) पूर्वी क्षेत्र में, जिनमें आसाम, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा और बिहार तथा त्रिपुरा और मनीपुर के संघ राज्य क्षेत्र हैं, चुने हुये १५ उद्योगों के सम्बन्ध में औद्योगिक दृष्टिकोण प्रतिवेदन अब तक तैयार किये जा चुके हैं । सामुदायिक विकास मंत्रालय के कहने पर आसाम में डारांग सामुदायिक विकास अग्रिम परियोजना क्षेत्र के औद्योगिक संभाव्य संसाधनों के सम्बन्ध में क्षेत्र सर्वेक्षण का कार्य भी किया गया है ।

(ख) इन प्रतिवेदनों में की गई सिफारिशों की कार्यान्विति के लिये समुचित अभिकरणों के द्वारा कार्यवाही की जा रही है ।

उत्तर प्रदेश के तिब्बत सीमावर्ती क्षेत्र

२६११. श्री भक्त दर्शन : क्या योजना मंत्री १८ दिसम्बर, १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या १८४८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के तिब्बत सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास करने के लिये प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जो ३६.६ लाख रुपये व्यय किये गये उन में से गढ़वाल, अलमोड़ा और टिहरी-गढ़वाल जिलों के सीमावर्ती क्षेत्रों में कौन-कौन से विकास कार्य किये गये ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इन क्षेत्रों के विकास के लिये जो एक करोड़ रुपये की राशि नियत की गई है उससे उपरोक्त तीन जिलों में से प्रत्येक में क्या क्या कार्य किये जायेंगे ; और

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षों में इस धन राशि से उपरोक्त जिलों में विकास के क्या-क्या कार्य किये जा चुके हैं और उन में से प्रत्येक पर कितना व्यय हुआ ?

योजना उपमंत्री (श्री श्या० ० मिश्र) : (क) प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि में किये गये विकास कार्यों के अन्तर्गत बागबानी के लिये खेतों का प्रबन्ध, पशुधन, ऊन, और दवाइयों की विकास योजनाओं में सुधार, शिक्षा एवं चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था और सड़कों का निर्माण किया गया ।

(ख) जानकारी प्राप्त नहीं हुई है ।

(ग) सड़कों पर किये गये व्यय के अतिरिक्त लगभग ७ लाख रुपये पशुधन के विकास, कुटीर उद्योगों की उन्नति, बागबानी, शिक्षा, चिकित्सा और जन स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाओं का विस्तार (जिसमें पानी की व्यवस्था भी शामिल है) तथा अन्य योजनाओं पर खर्च किये गये हैं । ज़िलेवार जानकारी प्राप्त नहीं हुई है ।

सिलाई की मशीनों का उत्पादन

†२६१२. श्री दलजीत सिंह : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री १९ फरवरी, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३६७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६-५७ में भारत में विभिन्न समवायों द्वारा सिलाई की कितनी मशीनें निर्यात की गई थीं ; और

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सिलाई की मशीनों के उत्पादन के लिये नियत लक्ष्य कितना है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) १,७१,५३९ मशीनें ।

(ख) ३००,००० मशीनें ।

रेयन कपड़े का निर्यात

†२६१३. श्री रामेश्वर टांटिया : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रेयन कपड़े के निर्यात में संवर्द्धन के लिये क्या कार्यवाहियां की गई हैं ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें रेयन कपड़े के निर्यात में संवर्द्धन के लिये की गई कार्यवाहियां दी गई हैं । [देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या १३५]

†मूल अंग्रेजी में

खेलों के सामान के लिये निर्यात संवर्द्धन परिषद्

†२६१४. { श्री भोगजी भाई :
श्री रामेश्वर टांटिया : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि खेलों के सामान सम्बन्धी निर्यात संवर्द्धन परिषद् ने निर्यात की संभावनायें मालूम करने के लिये किन देशों को अपने प्रतिनिधि भेजे हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: खेलों के सामान सम्बन्धी निर्यात संवर्द्धन परिषद् को हाल ही में समवाय विधि अधिनियम के अन्तर्गत पूंजीबद्ध किया गया है और अगले महीने, अर्थात्, मई, १९५८ के मध्य में इसका औपचारिक रूप से उद्घाटन किया जायेगा यथा समय परिषद् द्वारा इस प्रश्न पर विचार किया जायेगा कि निर्यात सम्बन्धी सम्भावनायें मालूम करने के लिये क्या परिषद् के प्रतिनिधियों को विदेश भेजा जाना चाहिये ?

भारत सेवक समाज

†२६१५. **श्री हेम राज** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५८–५९ में भारत सेवक समाज को कोई सहायता देने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो सहायता की रकम कितनी है ; और

(ग) यह सहायता जिन भिन्न मदों के लिये दी जायेगी उनका ब्यौरा क्या है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) से (ग). देश की अन्य स्वैच्छिक संस्थाओं की भांति भारत सेवक समाज जन सहयोग की अनुमोदित योजनाओं के लिये सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकता है। पहले से यह अनुमान लगाना संभव नहीं है कि समाज द्वारा १९५८–५९ में कितनी वित्तीय सहायता प्राप्त की जायेगी ।

उड़ीसा में दस्तकारियां

†२६१६. **श्री पाणिग्रही** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने द्वितीय योजना अवधि के लिये उड़ीसा में भिन्न दस्तकारियों के सम्बन्ध में एक प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र और एक प्रदर्शन एवं सेवा केन्द्र स्थापित किये जाने के लिये कोई योजना अनुमोदित की है ; और

(ख) यदि हां, तो तैयार की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) उड़ीसा में दस्तकारियों के लिये एक प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र के लिये १९५७–५८ वर्ष में एक योजना की मंजूरी दी गई है और इसे कार्यान्वित किया जा रहा है । प्रदर्शन एवं सेवा केन्द्रों के लिये कोई योजना प्राप्त नहीं हुई है ।

•†मूल अंग्रेजी में

(ख) योजना के ब्यौरे का सारांश इस प्रकार है :—

योजना का नाम	संमोदित राशि		आलोचना
	अनुदान	ऋण	
पुरी में बटिक कार्यों (कपड़े की छपाई) के विकास के लिये योजना	६,७०० रुपये	—	बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारम्भ करने के लिये नये डिज़ाइनों और रंगों की योजनायें लागू करने के इस योजना का उद्देश्य है। चार शिक्षार्थियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है।

व्यापार आयुक्त

२६१७. श्री पद्म देव : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय विदेशों में स्थित प्रत्येक भारतीय व्यापार आयुक्त के कार्यालय में कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है, जिसमें यह बताया गया है कि इस समय विदेशों में स्थित प्रत्येक भारतीय व्यापार आयुक्त के कार्यालय में कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं। [देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या १३६]

अम्बर चरखे

†२६१८. श्री जीनचन्द्रन : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७–५८ में देश में (राज्यवार) कितने अम्बर चर्खे बांटे गये थे और धागे की कितनी मात्रा उत्पादित की गई थी ;

(ख) अम्बर कपड़ा बनाने के लिये क्या नये हथकरघे स्थापित किये गये थे ;

(ग) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है ; और

(घ) क्या समस्त अम्बर चर्खा कार्यक्रम केवल सरकारी समितियों द्वारा ही पूरा किया जा रहा है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या १३७]

(ख) तथा (ग). क्योंकि वर्तमान हथकरघा सरकारी समितियों के साथ कई संस्थाओं द्वारा कपड़ा बुनने के लिये प्रबन्ध किया गया था इसलिये अम्बर धागे से कपड़ा बुनने के लिये स्थापित किये गये नये हथकरघों की संख्या प्राप्त नहीं है। किन्तु यह बात मालूम है कि अम्बर धागे से कपड़ा बुनने के लिये दिसम्बर, १९५७ के अन्त तक ८,००० नये बुनकर भर्ती किये जा चुके थे।

(घ) जी, नहीं। खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्रमाणित पंजीबद्ध संस्थाओं के द्वारा भी कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है।

†मूल अंग्रेजी में

उड़ीसा में खादी तथा ग्रामोद्योग

†२६१९. श्री का० च० जेना : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य में खादी तथा ग्रामोद्योग के सुधार के लिये कोई कार्यवाही की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो अभी तक क्या क्या कार्यवाही की गई है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) जी, हां ।

(ख) भारत सरकार ने खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा और राज्य सरकार ने स्वयं उड़ीसा राज्य में खादी तथा अन्य ग्रामोद्योग विकास के लिये कई उपाय अपनाये हैं । इन कार्यवाहियों का मुख्य रूप से उत्पादन, विपणन और कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण से सम्बन्ध हैं । राज्य सरकार ने एक सरकारी खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड स्थापित किया है जो कि उस राज्य में इन उद्योगों के विकास के लिये जिम्मेवार है । देश के अन्य राज्यों के समान उड़ीसा के उद्योगों के लिये वित्तीय सहायता दी जाती है । इन उद्योगों की अन्य प्रकार से भी सहायता की जाती है जिन में से मुख्य मुख्य निम्नलिखित हैं :—

(१) खादी जिसमें अम्बर भी सम्मिलित है :—

(१) उत्पादन केन्द्रों को ब्याज मुक्त ऋण तथा राजकीय सहायता देना ।

(२) कातने वालों को राज सहायता के रूप में चर्खे वितरित करना ।

(३) उन कातने वालों को राजकीय सहायता देना जो कि अपने उपयोग के लिये कातते हैं । (वस्त्र स्वामियों को)

(४) खादी की फुटकर बिक्री पर उपभोक्ताओं को कीमत में कुछ छूट देना ।

(५) कातने वालों, शिक्षकों तथा प्रविधिकों (मिस्त्रियों) के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम ।

(६) एम्पोरियम की स्थापना के लिये वित्तीय सहायता ।

(७) कातने की प्रतियोगितायें तथा प्रदर्शनियां आदि करनी ;

(२) ग्रामोद्योग

(१) उत्पादन के अच्छे उपायों तथा अच्छे उपकरणों आदि को चालू करने के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम ।

(२) राजकीय सहायता के रूप में सामान आदि का संभरण ।

(३) आदर्श केन्द्रों की स्थापना ।

(४) संघटित क्षेत्र तथा कुटीर क्षेत्र के उत्पादों की कीमतों के अन्तर को घटाने के लिये उत्पादन तथा विक्रय के लिये राजकीय सहायता देना ।

(५) सुगम शर्तों पर ऋण देना ।

---

†मूल अंग्रेजी में

केन्द्रीय सरकार ने १९५३–५४ तथा १९५७–५८ के बीच उड़ीसा सरकार को खादी तथा ग्रामोद्योग के विकास के लिये सीधे ही राज्य सरकार को या उस राज्य में काम करने वाले विभिन्न अभिकरणों द्वारा वित्तीय सहायता के लिये ३८,२२,५७० रुपयों का ऋण दिया है ।

डोगरी कार्यक्रम

†२६२०. **श्री हेम राज :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र तथा देश के अन्य केन्द्रों से डोगरी कार्यक्रम को प्रसारित करने के लिये क्या प्रबन्ध किया गया है ; और

(ख) उस कार्यक्रम के लिये कितना समय दिया जाता है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) :** (क) और (ख). डोगरी कार्यक्रम में १०–१० मिनट के दो समाचार बुलेटन और देहाती कार्यक्रम सम्मिलित है । जिसके लिये प्रति मास कुल १५०० मिनट का समय दिया जाता है ।

डोगरी भाषा में समाचार बुलेटिन दिल्ली केन्द्र से प्रसारित किये जाते हैं और जम्मू केन्द्र से रिले किये जाते हैं । देहाती कार्यक्रम केवल जम्मू केन्द्र से ही प्रसारित किये जाते हैं । क्योंकि डोगरी बोलने वाले क्षेत्र में यही एक मात्र केन्द्र है, इसलिये और किसी भी केन्द्र से यह कार्यक्रम रिले नहीं किया जाता ।

कपड़े का बिना बिका स्टाक

†२६२१. **श्री जाधव :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय विभिन्न मिलों में ऐसा कितना कपड़ा पड़ा हुआ है जो कि अभी तक बिका नहीं है ;

(ख) उसके क्या कारण हैं ;

(ग) १९५७–५८ में कितना कपड़ा बेचा गया था, वह कितनी कीमत का था और किन किन देशों को भेजा गया था ; और

(घ) ये आंकड़े १९५६–५७ के आंकड़ों की तुलना में कैसे हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) मार्च, १९५८ के अन्त तक विभिन्न मिलों में ३४४,८०० कपड़े की गांठें पड़ी हुई थी जो कि उस समय तक नहीं बिकी थी ।

(ख) इसका कारण यह था कि मांग की कमी थी । यह स्टॉक वास्तव में अधिक है, क्योंकि वह एक मास से अधिक अवधि का उत्पादन है ।

(ग) और (घ). लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें यह बताया गया है कि १९५६ तथा अक्तूबर, १९५७ तक प्रत्येक देश को कितना सूती कपड़ा भेजा गया । **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या १३८]** सम्बद्ध विवरण से यह पता लगेगा कि १९५७ में किया गया निर्यात १९५६ में हुये निर्यात की तुलना में सन्तोषजनक रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री अवधेश कुमार सिंह का निधन

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे सभा को श्री अवधेश कुमार सिंह के स्वर्गवास के बारे में सूचित करना है। वह बिहार के कटिहार चुनाव क्षेत्र से लोक सभा के वर्तमान सदस्य थे। उनकी मृत्यु १७ अप्रैल, १९५८ को ३२ वर्ष की आयु में पटना में हुई।

यह सभा श्री अवधेश कुमार सिंह के निधन पर शोक प्रकट करती है और उनके परिवार के सन्तप्त सदस्यों के प्रति समवेदना प्रकट करती है।

सभा के सदस्य शोक प्रकट करने के लिये एक मिनट के लिये मौन खड़े हों।

इसके पश्चात् सदस्य एक मिनट के लिये मौन खड़े रहे।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

विनियोग लेखे असैनिक तथा लेखा परीक्षक प्रतिवेदन

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : श्रीमान्, मैं संविधान के अनुच्छेद १५१ (१) के अन्तर्गत विनियोग लेखा (असैनिक), १९५५-५६ (प्रोफार्मा वाणिज्य लेखे सहित) तथा परीक्षा प्रतिवेदन, १९५७ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० ६६३।५८]

धोतियां (सामुहिक अभ्यंश का निर्धारण) नियम

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : श्रीमान् मैं धोतियां (अतिरिक्त उत्पादन शुल्क) अधिनियम १९५३ की धारा ५ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ३९२ दिनांक १ फरवरी, १९५८ में प्रकाशित धोतियां (सामूहिक अभ्यंश का निर्धारण) नियम, १९५८ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई : देखिये संख्या एल० टी० ६६४।५८]

रबड़ नियमों में संशोधन

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : श्रीमान्, मैं रबड़ अधिनियम, १९४७ की धारा २५ की उपधारा (३) के अन्तर्गत रबड़ नियम, १९५५ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक १२ अप्रैल, १९५८ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० २२६ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गयी : देखिये संख्या एल० टी० ६६५।५८]

मजदूर मालिक सहयोग सम्बन्धी गोष्ठी के बारे में पुस्तिका

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : श्रीमान्, मैं मजदूर मालिक सहयोग सम्बन्धी गोष्ठी के बारे में पुस्तिका की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई : देखिये संख्या एल० टी० ६६६।५८]

---

†मूल अंग्रेजी में

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें

विवरण का उपस्थापन

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : मैं १९५४–५५ के आय व्ययक (सामान्य) के बारे में अतिरिक्त अनुदानों की मांगों को एक विवरण उपस्थापित करता हूं।

प्राक्कलन समिति

दसवां प्रतिवेदन

†**श्री ब० गो० मेहता** (गोहिलवांड़ा) : मैं "प्रविधिक शिक्षा––भाग १" विषय पर शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय के बारे में प्राक्कलन समिति का दसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

समितियों के लिये निर्वाचन

प्राक्कलन समिति

†**श्री ब० गो० मेहता** (गोहिलवाड़) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस सभा के सदस्य लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम ३११ के उप-नियम (१) द्वारा अपेक्षित रीति से प्राक्कलन समिति के सदस्य के रूप में काम करने के लिये १ मई, १९५८ से आरम्भ होने वाले और ३० अप्रैल, १९५९ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये अपने में से तीस सदस्य चुनें।"

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं प्रस्ताव को मतदान के लिये सभा के सामने रखूंगा। प्रश्न यह है :

"कि इस सभा के सदस्य लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम ३११ के उप-नियम (१) द्वारा अपेक्षित रीति से प्राक्कलन समिति के सदस्य के रूप में काम करने के लिये १ मई, १९५८ से आरम्भ होने वाले और ३० अप्रैल, १९५९ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये अपने में से तीस सदस्य चुनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

लोक लेखा समिति

†**श्री त्रि० ना० सिंह** (चन्दोली) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस सभा के सदस्य लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम ३०९ के उप-नियम (१) द्वारा अपेक्षित रीति से लोक लेखा समिति के सदस्य के रूप में काम करने के लिये १ मई, १९५८ से आरम्भ होने वाले और ३० अप्रैल, १९५९ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये अपने में से पन्द्रह सदस्य चुनें।"

---

†मूल अंग्रेजी में

†अध्यक्ष महोदय : मैं प्रस्ताव को मतदान के लिये सभा के सामने रखूंगा ।

†श्री त० ब० विठ्ठल राव (खम्मम) : मैं एक निवेदन करना चाहता हूं । गतवर्ष आप से और सरकार से भी यह अनुरोध किया गया था कि लोक लेखा समिति के सभापति के पद पर विरोधी दल के किसी सदस्य को मनोनीत किया जाना चाहिये । ब्रिटेन में भी यही प्रथा है । मैं नहीं जानता कि इस बात को कैसे उठाया जाय इसीलिये मैंने इस समय यह बात कही ।

†अध्यक्ष महोदय : सदस्यों का निर्वाचन हो जाने के बाद ही यह प्रश्न पैदा होता है ।

†श्री त० ब० विट्ठल राव : सदस्यों के निर्वाचन होने के बाद इस बात को उठाने का कोई अवसर नहीं रहेगा ।

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं या मुझे लिख सकते हैं । और मैं इस मामले को ध्यान में रखूंगा । कठिनाई तो यह है कि आज ८ वर्ष बाद भी ५० सदस्यों का एक संगठित विरोध दल नहीं बन पाया है । मैं कहां से मनोनीत कर दूं । मैं इस मामले पर विचार करूंगा । मैं इस प्रस्ताव का मतदान के लिये रखता हूं । प्रश्न यह है :

"कि इस सभा के सदस्य लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम ३०९ के उपनियम (१) द्वारा अपेक्षित रीति से लोक लेखा समिति के सदस्य के रूप में काम करने के लिये १ मई, १९५८ से आरम्भ होने वाले और ३० अप्रैल, १९५९ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये अपने में से पन्द्रह सदस्य चुनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

लोक लेखा समिति में राज्य सभा के सदस्यों का सम्मिलित किया जाना

†श्री त्रि० ना० सिंह (चन्दौली) : श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह १ मई, १९५८ से आरम्भ होने वाले और ३० अप्रैल, १९५९ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये इस सभा की लोक लेखा समिति में सम्मिलित होने के लिये राज्य सभा के सात सदस्य मनोनीत करने और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार मनोनीत सदस्यों के नाम इस सभा को बताने के लिये सहमत हो जायें ।"

†अध्यक्ष महोदय : मैं प्रस्ताव को मतदान के लिये रखूंगा ।

†श्री रंगा (तेनालि) : मैं एक बात कहना चाहता हूं । लोक लेखा समिति में दोनों सभाओं के सदस्य होते हैं और वे मिल जुल कर काम करते हैं जैसे कि वे एक ही सभा के हों । अभी विरोधी दल में से सभापति मनोनीत करने का प्रश्न उठाया गया था । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यद्यपि इसके सदस्य विभिन्न दलों के थे लेकिन उन्होंने मिल जुल कर एक ही दल के सदस्यों की तरह काम किया है । मैं कहना चाहता हूं कि समिति

†मूल अंग्रेजी में ।

का काम बहुत अच्छी तरह चलता रहा है और मैं समिति के सभापति श्री त्रि० ना० सिंह की सेवाओं की प्रशंसा करता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि समिति का काम बहुत अच्छी तरह चलाया गया है, लेकिन एक बात मैं यहां कहना चाहता हूं । मैं इस सभा में प्रशंसात्मक भाषणों का दिया जाना अच्छा नहीं समझता क्योंकि हो सकता है कि कोई खड़ा हो कर यह कहे कि "नहीं, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिये ।" हां, समिति में ही संकल्प पारित किया जा सकता है कि सभापति ने बड़ा अच्छा काम किया है । जहां तक उस के प्रचार का सम्बन्ध है वह संकल्प सभा पटल पर भी रखा जायेगा और समाचार पत्र वाले उस को छाप सकते हैं ।

†**श्री खाडिलकर** (अहमदनगर) : प्राक्कलन समिति का काम भी बड़ी अच्छी तरह से चलाया गया है । समिति के सभापति श्री ब० गो० मेहता की सेवाओं का भी उल्लेख होना चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे बहुत प्रसन्नता है कि दोनों समितियों का काम बहुत अच्छी तरह चलाया गया है । अब मैं प्रस्ताव को मतदान के लिए रखता हूं ।

प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह १ मई, १९५८ से आरम्भ होने वाले और ३० अप्रैल, १९५९ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये इस सभा की लोक-लेखा समिति में सम्मिलित होने के लिये राज्य सभा के सात सदस्य मनोनीत करने और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार मनोनीत सदस्यों के नाम इस सभा को बताने के लिये सहमत हो जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विनियोग (संख्या २) विधेयक

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ राशियों का भुगतान और विनियोग का प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

अधिकांश मांगों के सम्बन्ध में सभा में सविस्तार चर्चा हो चुकी है । अतः मेरे लिये कुछ अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है ।

†**श्री त्रि० ना० सिंह** (चन्दोली): प्रस्ताव को मतदान के लिये रखे जाने के पूर्व मैं एक सुझाव देना चाहता हूं । विनियोग विधेयक प्रतिवर्ष प्रस्तुत किये जाते हैं । यदि प्रत्येक मंत्रालय की मांगों के अन्तर्गत उनकी मदों का कुछ अधिक ब्योरा दे दिया जाये तो अधिक अच्छा हो । बचत की स्थिति में पुनर्विनियोग के लिये यह आवश्यक ही है । अतः यह अधिक अच्छा होगा यदि विनियोग विधेयक मांग के प्रत्येक मद के आगे पूरा ब्योरा दे दिया जाया करे । वर्तमान विधेयक के सम्बन्ध में तो अब यह बात संभव नहीं है पर भविष्य के लिये मैं यह बात सभा के सामने रखता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†श्री मोरारजी देसाई : आगामी वर्षों के लिये मैं इस बात पर विचार करूंगा ।

†अध्यक्ष महोदय : मैं प्रस्ताव को मतदान के लिये रखूंगा ।

प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष १९५८–५९ के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ राशियों का भुगतान और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २ और ३ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड २ और ३ विधेयक में जोड़ दिये गये

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १, अनुसूची अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड १, अनुसूची अधिनियम, सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†श्री मोरारजी देसाई : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

वित्त विधेयक—(जारी)

†अध्यक्ष महोदय : अब सभा श्री मोरारजी देसाई द्वारा १८ अप्रैल, १९५८ को प्रस्तुत किये गये इस प्रस्ताव पर, अग्रेतर चर्चा आरम्भ करेगी :

"कि वित्तीय वर्ष १९५८–५९ के लिये केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को कार्यान्वित करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

सामान्य चर्चा के लिये आंवन्टित आठ घण्टे के समय में से ३ घण्टे २६ मिनट समाप्त हो चुके हैं । और ४ घण्टे ३४ मिनट शेष हैं । इसमें से लगभग १ घण्टा २० निमट श्री मोरारजी देसाई व श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा लेंगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री च० द० पांडे (नैनीताल) : मेरा निवेदन है कि १ घण्टे का समय बढ़ा दिया जाये ताकि अधिक से अधिक सदस्यों को बोलने का अवसर मिले ।

†श्री त्रि० ना० सिंह : (चन्दोली) : मैं श्री पाण्डे की बात का समर्थन करता हूं ।

†अध्यक्ष महोदय : कार्य मंत्रणा समिति में ८ घण्टे का समय रखा गया था । मैंने १२ घण्टे का सुझाव दिया था । उस समय किसी ने नहीं कहा था कि १२ घण्टे कम होंगे । फिर लगभग सभी बातें कही जा चुकी हैं । मैं यथासम्भव प्रत्येक सदस्य को बोलने का अवसर देने का प्रयत्न करूंगा ।

श्री सुबोध हंसदा अपना भाषण जारी करें ।

†श्री सुबोध हंसदा (मिदनापुर—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां) : अध्यक्ष महोदय, उस दिन मैं बता रहा था कि यद्यपि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिये करोड़ों रुपयों की राशि रखी गयी थी पर वह सारी राशि व्यय नहीं की जा सकी । जो उन्नति हुई है वह भी संतोषजनक नहीं है । इन समुदायों के लोग गरीब व बिना भूमि के हैं और बड़ी तकलीफ से अपने दिन काट रहे हैं । अतः वे निर्माण कार्यों के कार्यक्रम में कुछ भी मदद नहीं कर सकते । फिर एक बात और है कि इन समुदायों के विकास के लिये जो सरकारी कर्मचारी उनके क्षेत्रों में काम करने के लिये भेजे जाते हैं उन्हें उनकी भाषा व वहां की संस्कृति व रहन-सहन के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं होता । अतः प्रगति का धीमा होना स्वाभाविक है । अतः कल्याण कार्य में भेजे जाने वाले कर्मचारियों को इस सम्बन्ध में समुचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये ।

केन्द्रीय सरकार ने सामुदायिक विकास मंत्रालय के सहयोग से अनेक बहुप्रयोजनीय खण्ड चालू किये हैं पर मुझे खेद है कि पश्चिमी बंगाल में आदिम जाति क्षेत्र में एक भी खण्ड नहीं खोला गया है । अतः मेरा निवेदन है कि यहां के लोगों का आर्थिक स्तर ऊंचा उठाने के लिये यहां भी खण्ड खोलने की बहुत आवश्यकता है । भूतपूर्व अपराधी जातियों के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि इनकी स्थिति सुधारने के लिये ४ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है । मैंने देखा है कि इनको बसाने के लिये क्वार्टर बना दिये गये हैं और उन्हें कुछ बंजर भूमि दे दी गयी है जिसमें कुछ भी पैदा नहीं होता । अतः जब तक इन लोगों के लिये जीविका कमाने के किसी साधन की व्यवस्था नहीं की जायेगी तब तक वे अपने पुराने ढंग से ही रहेंगे और इनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं होगा ।

केन्द्रीय मूल्यांकन संगठन में विभिन्न खण्डों के लिये सहायक आयुक्त हैं । ये आयुक्त इधर-उधर दौरा करते हैं और आवश्यक जानकारी इकट्ठी करके सरकार के पास भेजते हैं । यदि कोई शिकायत होती है तो ये उस मामले को सरकार के पास भेज देते हैं । इन आयुक्तों को स्वयं कोई कार्यवाही करने का अधिकार नहीं है । यदि इन्हें कार्यवाही करने का अधिकार दे दिया जाये तो अनेक शिकायतें तुरन्त दूर की जा सकती हैं । मेरा निवेदन है कि सरकार को इस बात पर विचार करना चाहिये । आदिम जाति क्षेत्रों के सम्बन्ध में सरकार को राय देने के लिये केन्द्रीय मंत्रणा बोर्ड है जिस में १६ सदस्य हैं और सभी आदिम जाति के हैं पर इस बोर्ड में बंगाल के आदिम जाति क्षेत्र को कोई प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है । फिर, मद्रास की अनेक जातियों जैसे संथाल, मुंडा आदि के लाखों व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें आदिम-जातियों की सूची में नहीं रखा गया है । इसका क्या कारण है ? उन्हें इस सूची में रखा जाना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री सुबोध हंसदा]

सभी राज्यों में आदिम जातियों के विद्यार्थियों को शिक्षा सम्बन्धी सुविधायें हैं पर पश्चिमी बंगाल में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। अतः उच्चतर माध्यमिक श्रेणी तक उनके लिये निःशुल्क शिक्षा की सुविधा दी जानी चाहिये। साथ ही छात्रवृत्तियां भी मासिक नहीं तो तीसरे महीने मिलनी चाहिये अन्यथा बहुत से विद्यार्थी शिक्षा का व्यय न उठा सकने के कारण पढ़ाई छोड़ देते हैं क्योंकि उनको वर्ष के अन्त में छात्रवृत्ति मिल पाती है। चिकित्सा तथा प्रविधिक संस्थाओं में भी आदिम जाति के विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं मिल पाता। अतः ऐसी संस्थाओं के उनके लिये कुछ स्थान रक्षित कर दिये जायें तो बहुत अच्छा हो।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त ने अपने १९५६–५७ के प्रतिवेदन में सिफारिश की थी कि स्थानीय निकायों और ग्राम पंचायतों में इन समुदायों का प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये। पर इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी है? कम से कम पश्चिमी बंगाल में तो उन्हें कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिल सका है। इस प्रतिवेदन में यह भी सिफारिश की गयी थी कि इस प्रतिवेदन पर राज्यों के विधान मंडलों में भी चर्चा होनी चाहिये ताकि राज्यों के दृष्टिकोण के बारे में केन्द्र जान सके। अतः मैं चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार कुछ ऐसी यवस्था करे कि राज्य विधान मंडलों में भी प्रतिवेदन पर हर साल विचार किया जाये।

सरकारी सेवाओं में भी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मेदवार के लिये कुछ प्रतिशत स्थान सुरक्षित हैं। फिर भी इन पदों पर इन्हें नहीं रखा जाता। इसका क्या कारण है। संघ लोक सेवा आयोग और राज्यों के सेवा आयोगों के सामने इन जातियों के उम्मीदवार जाते हैं पर उन्हें नहीं लिया जाता। यदि इन उम्मीदवार को ले लिया जाये और उन्हें समुचित प्रशिक्षण दिया जाये तो वे देश की बहुत सेवा कर सकते हैं।

अंत में, यद्यपि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इन जातियों के कल्याण के लिये करोड़ों रुपये व्यय किये जा चुके हैं पर हमें, वास्तव में, पता नहीं कि हमें कितनी सफलता मिली है। अतः मेरा सुझाव है कि संसद् सदस्यों की एक समिति बना दी जाय जो पता लगाये कि अब तक सरकार ने इस दिशा में कितनी प्रगति की है।

†**श्री मो० रु० मसानी** (रांची–पूर्व): वित्त विधेयक से देश के कराधान के ढांचे पर विचार किया जा सकता है। यह जो सैद्धान्तिक बातें इस सम्बन्ध में की जाती हैं इन्हें लोगों का ध्यान पलटने के लिये किया जाता है।

समाजवाद तथा स्वतन्त्र उपक्रम की आज जो बातें की जा रही हैं वह निराधार हैं। आज स्वतन्त्र उपक्रम में बहुत ज्यादा परिवर्तन आ चुका है और वह उस प्रकार का नहीं रहा जैसा कि कार्ल मार्कस के जमाने में था। दूसरी ओर समाजवाद भी बदल गया है वह केवल राज्य का उपक्रम रह गया है जो पहले स्वतन्त्र उपक्रम से भी बुरा ही है। इसलिये जो वास्तविक मामला है वह राज्य तथा जनता के बीच का है कि कितना काम राज्य करे तथा कितना लोगों पर छोड़ा जाये।

अब स बात का निर्णय कराधान से होता है क्योंकि सरकार इसी से ही निर्णय करती है कि कितना धन लोगों के पास विनियोजन के लिये छोड़ा जाये और कितना लिया जाये। अब इस तरीके से हम लोग तो यह खतरा अनुभव करते हैं कि यदि राजनैतिक तथा आर्थिक शक्ति एक ही हाथ में इकट्ठी हो जाये तो लोकतंत्रात्मक प्रणाली के लिये घातक है। जब सरकार ही

†मूल अंग्रेजी में

नियोजक हो तथा सब कुछ हो तब कौन किसके पास फरियाद करे। अतः राज्य द्वारा समस्त अधिकार लेने व्यक्ति की स्वतन्त्रता के विरुद्ध है।

आज सारी दुनिया के समाजवादी लोकतंत्रात्मक प्रणाली के अनुसार समाजवाद का पुर्नांकन कर रहे हैं। पहले हम सभी समाजवादी थे किन्तु अब जब कि समाजवादी होना आसान है हमें यह सोचना है कि क्या इसके सभी सिद्धान्त ठीक हैं। मैं तो यह समझता हूं कि समाजवाद के परम्परागत तरीके गलत हैं। मैं तो महात्मा गांधी की व्यस्त प्रणाली में विश्वास करता हूं। आप शायद कहें मैं ने यहां सैद्धान्तिक बहस आरम्भ कर दी है किन्तु यह भी उचित है। हाल ही में विनोवा भावे ने इस देश के बारे में कहा है कि आज समस्त शक्ति कुछ ही लोगों के हाथों में केन्द्रित हो गई है। उनकी छोटी सी गलती से ही लाखों लोगों को हानि हो सकती है। यह हालत बड़ी खतरनाक है। श्री जय प्रकाश नारायण ने भी कहा है कि लोगों को ज्यादा काम करना चाहिये और सरकार को कम। यह विचार बिल्कुल ठीक है और मैं नसे सहमत हूं। इसी आधार पर मैं कराधान नीति के बारे में भी कहूंगा।

योजना आयोग ने सुझाव दिया था कि ४५० करोड़ के नये कर सरकार लगाये और ३५० पुराने लगे करों से वसूल हों। उन्होंने कहा था कि इससे आगे बढ़ना देश को हानिकारक होगा। इसमें से २२५ करोड़ केन्द्र ने लगाने थे।

श्री देशमुख ने ३० करोड़ के नये कर लगाये तथा श्री कृष्णमाचारी ने ९० करोड़ के। ४५ करोड़ प्रति वर्ष की ठीक सीमा का उल्लंघन कर दी गई। इस साल भी वही कर जारी रखे गये हैं।

सारी दुनिया केवल १९ प्रकार के प्रत्यक्ष कर जानती है और समस्त देशों में ६ से १० तक प्रत्यक्ष कर लगे हुये हैं। किन्तु भारत ने १५ प्रत्यक्ष कर लगा रखे हैं।

वर्तमान वित्त मंत्री ने यह काम तब सम्हाला है जब कि बजट बन चुका था। खैर अब हम उनसे यह प्रार्थना करते हैं कि वह देखें कि क्या यह कर उचित सीमा तक के हैं या नहीं।

जहां तक व्यक्तिगत कराधान का सम्बन्ध है वह भी दुनियां में सब से ज्यादा है। प्रोफेसर काल्डोर का भी यही कहना है कि अधिक से अधिक आयकर ७४ प्रतिशत तक लगाया जा सकता है उससे ज्यादा नहीं लगना चाहिये। किन्तु आज भारत में १०० प्रतिशत आयकर भी लग सकता है।

स्वीडन, नार्वे, हालैण्ड तथा पश्चिमी जर्मनी में भी ८० प्रतिशत की सीमा निर्धारित है। उससे ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता। मैं ने यहां भी एक संशोधन रखा है जिसका आशय है कि हमारे यहां भी इन्हीं देशों की सी प्रणाली लागू होनी चाहिये। मैं आशा करता हूं कि माननीय वित्त मंत्री इस बात पर ध्यान देंगे।

जहां तक संस्थाओं पर कराधान का सम्बन्ध है वह भी भारत में ही सब से ज्यादा है। यहां ५१ प्रतिशत तक साझी आय पर आयकर लगता है यह भी बहुत ही ज्यादा है। केवल इंग्लैंड मे ५७ प्रतिशत है किन्तु स्वीडन तथा अमेरिका आदि देशों में यह बहुत ही कम है।

इसी प्रकार अप्रत्यक्ष करों का सम्बन्ध है वह भी हमारे ही देश में सर्वाधिक है। पिछले साल हमन उत्पादन शुल्क लगने का विरोध किया था किन्तु संसद् ने उसे नहीं माना।

[श्री मी० रु० मसानी]

अब प्रश्न यह है कि इतने भारी करों से क्या लोग उत्पादन का साहस बनाये रखेंगे। सरकार के मंत्री श्री अ० कु० सेन ने ही "आर्थिक जनरल" में एक लेख में लिखा है कि आयकर से वसूल होने वाली राशि इस बात का द्योतक है कि उत्साह घटना आरम्भ हो गया है। इस प्रकार उपक्रमियों का उत्साह स्वतः क्षीण हो जायेगा। यद्यपि कर भार बढ़ रहा है किन्तु करदाताओं की संख्या घट रही है। इससे साफ जाहिर होता है कि आय लोगों को कम होती है। जब तक लोगों की आय नहीं बढ़ती तक तब सरकार भी उनसे ज्यादा वसूली की आशा नहीं कर सकती। श्रीमान्, मैं ने इस राय का उल्लेख इस कारण किया है कि यह एक मंत्री की राय है जिसपर अवश्य ही उचित ध्यान दिया जाना चाहिये।

यह भी जाहिर है कि इन बचतों में वृद्धि न कर सके। योजना आयोग के अध्ययन वर्ग ने कहा है कि यदि सरकार ज्यादा ऋण लेगी तथा कर लगायेगी तब गैर-सरकारी क्षेत्र विकसित नहीं हो सकेगा। सारा झगड़ा इसी बात का है।

इसके बाद मैं यह कहूंगा कि हमारे कराधान के ढांचे के पुनरीक्षण को आवश्यकता है। हम चाहते हैं कि विदेशी पूंजी हमारे देश में आये तब हमें अपने आप से यह सवाल करना चाहिये कि हमने इस सम्बन्ध में ठीक वातारवण बनाने के लिये क्या प्रयास किये हैं। गत वर्ष मैंने १२ सुझाव दिये थे। उन पर क्या हुआ यह मैं नहीं जानता किन्तु वही सुझाव एप्लाइड अर्थशास्त्र की गवेषणा परिषद् में वित्त मंत्रालय के एक प्रतिवेदन द्वारा दिये गये थे। उसमें बहुत से स्पष्ट सुझाव हैं। मुझे इस बात का खेद है कि इस बजट में मेरा एक भी सुझाव नहीं माना गया। बल्कि और भी एक कड़ी कार्यवाही कर दी गयी है। हमें आशा थी कि विदेशी टैक्निकल कर्मचारियों के साथ साथ विदेशी प्रबन्धकर्ताओं को भी कर से सुविधा दी जायेगी किन्तु अब टेकनिकल व्यक्ति की परिभाषा और भी कड़ी कर दी गई है तथा कठिनाइयों के लिये गुंजाइश पैदा कर ली गई है।

गत युद्ध के बाद मशीनरी की कीमत महंगी हो गई थी अतः कर भी बढ़े जिस कारण कारखाने वाले नयी मशीनें खरीदने तथा पुरानियों को ीक कराने में कठिनाई अनुभव करते थे। इसलिये उन्हें २५ प्रतिशत विकास छूट दी गई थी। यह छूट विकास के लिये थी। यद्यपि इस बजट में माननीय मंत्री ने इस विषय पर विचार किया है किन्तु उन्हें कतिपय कठिनाइया और समझनी चाहियें। मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह इस दिशा में और भी कुछ करें। अब यह व्यवस्था है कि विकास छूट का ७५ प्रतिशत लेखे में जमा होगा तथा २५ प्रतिशत लाभांश के रूप में अंशधारी ले लें। वैसे तो यह ठीक है क्योंकि पहले वाली व्यवस्था गलत थी किन्तु आज यदि कोई समवाय विस्तार करना चाहे और अंशधार से यह कहे तो कोई भी अंशधारी इस प्रस्ताव को स्वीकार न करेगा। जब विकास होता है तो कारखाने का सामान्य बन्द हो जाता है। इसी कारण ने एक संशोधन रखा है कि केवल कर बचत को अलग रखा जाये तथा लाभहानि के लेखे में डाल दिया जाये। वह ठीक होगा। इस क्षेत्र में हम वियुत अधिनियम के उपबन्धों को आदर्श मानकर आगे बढ़ सकते हैं। यदि माननीय मंत्री इसे स्वीकार न करें तो मैं इस पर आग्रह नहीं करूंगा।

एक और चीज़ में संशोधन की जरूरत है। सरकार ने यह व्यवस्था की है कि कोई व्यक्ति किसी सं त्र को लगातार १० वर्ष तक सिवाय सरकार के किसी के पास भी नहीं बेच सकता। इससे क्या लाभ होगा। यदि आप विकास छूट का दु पयोग रोकना ही चाहते हैं तो ऐसा कर दीजिये कि वह कसी को दे तो सरकार की अनुमति से दे। यह बुराई इस से भी रुक जायेगी।

जहां तक घाटे की बजट व्यवस्था का सम्बन्ध है सरकारी आंकड़ों के अनुसार १९५८–५९ में २०५ करोड़ के घा की व्यवस्था होगी किन्तु मैं समझता हूं कि कम से कम ३०० करोड़

के घाटे के बजट की व्यवस्था होगी। तीनों वर्षों में ९०० करोड़ के लगभग यह राशि हो जायेगी। किन्तु माननीय मंत्री ने बताया था कि तीनों वर्षों में ७६० करोड़ के घाटे के बजट की व्यवस्था होगी। मैंने यह आंकड़े कहीं पर भी नहीं देखे और मैं इस सम्बन्ध में बड़ा हैरान हो रहा हूं। हिन्दुस्तान टाइम्स में भी यही आंकड़े दिये हैं। १९५६-५७ के लिये २५० करोड़ तथा १९५७-५८ के लिये ४०० करोड़ दिया है जो दो वर्षों में ही ६५० करोड़ बन जाते हैं। यदि सरकार ठीक आंकड़े दे तो बहुत ही अच्छा होगा। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री उत्तर देते समय ठीक आंकड़े बतायेंगे।

†**श्री च० द० पांडे:** श्रीमान् स वर्ष वित्त विधेयक में गतवर्ष जैसी उलझनें नहीं हैं।

माननीय मंत्री ने पद धारण करने के पश्चात् कई प्रभावपूर्ण कार्य किये हैं। किन्तु उन्हें कुछ बातें और भी करनी चाहियें। पहली बात तो यह है कि आयकर विमुक्ति सीमा में वृद्धि की जानी चाहिये। आज से दो वर्ष पूर्व ४२०० रुपये आय तक छूट थी। अब महंगाई ज्यादा है। लोग उत्पादन शुल्कों के रूप में पहले ही भारी बलिदान कर रहे हैं। जो चीज भी वे लेते हैं उस पर उन्हें शुल्क देना पड़ता है। उनपर और कर लगाना न्यायोचित नहीं है।

वेतन आयोग ने उन कर्मचारियों को ५ रुपये अन्तरिम सहायता दी है जिनका वेतन ३०० रुपये से कम है। इधर तो यह सहायता दी गई है किन्तु उधर उन पर कर लग जाता है। फिर सहायता का क्या लाभ? यह फजूल बात है। सरकार को इस बात पर दोबारा विचार करना चाहिये।

गत वर्ष हम सब इस पर चुप हो गये थे किन्तु इस वर्ष हम चाहते हैं कि यह प्रश्न दोबारा उठे। कहा जाता है कि इंग्लैंड में भी इससे भी कम सीमा है। मैं कहता हूं कि गलत है यह बात। आप दिल्ली का इंग्लैंड से मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि लन्दन में बसें सस्ती हैं, चीजें सस्ती हैं। यहां हर चीज महंगी है। फिर अविवाहितों तथा वृद्धों के लिये अलग सीमायें हैं। फिर इंग्लैंड का सामाजिक ढांचा भी अलग है। जब कोई बच्चा अठारह वर्ष का हुआ तो वह खर्चा जुटाने लगता है यहां एक कमाने वाला होता है और चचेरे, मौसेरे भाई तक उस पर आश्रित होते हैं। मैं आशा करता हूं कि वित्त मंत्री इस बात पर पुनर्विचार करेंगे।

इसके बाद मंत्री का यह कर्तव्य भी है कि वह देश की आर्थिक नीति को ठोस बनायें। हम चाहते हैं कि सरकार सरकारी क्षेत्र को इतना मजबूत बनाये कि गैर-सरकारी क्षेत्र वाले उसे आदर्श मानें और इससे कुछ सीखें।

वास्तव में हमारी अर्थ व्यवस्था ही मिश्रित ढंग की है। इसलिये हमें सरकारी या गैर-सरकारी क्षेत्र की बात ही न करनी चाहिये। यदि आप ही ठीक ढंग से कर एकत्रित करें तो आप समझ जायेंगे कि सभी राष्ट्र की चीजें हैं। मैं यह नहीं कहता कि वह कर एकत्रन में हम कठोरता से काम लेना चाहिये। नरमी बरतनी आवश्यक है। सरकार को गैर-सरकारी क्षेत्र के विरुद्ध किसी भी प्रकार की रंजिश रखनी नहीं चाहिये।

आज योजनाओं के कारण लोगों ने अपने आप पर बड़ा नियंत्रण कर रखा है। योजनायें तो चलती रहेंगी किन्तु लोग कब तक भार सहन करेंगे। इस कारण आप विलास की वस्तुओं पर नियंत्रण लगावें उपयोग की वस्तुओं पर नहीं। हमें उपयोग की वस्तुओं के उत्पादन की गति भी तेज करनी चाहिये। इस्पात के कारखाने तो लग रहे हैं। यह बड़ी खुशी की बात है। किन्तु दोनों प्रकार के उत्पादन में हमें संतुलन रखना होगा। हमें वस्त्रोद्योग का ध्यान रखना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री च० द० पांडे]

कहा जाता है कि कपड़े के भारी स्टाक पड़े हैं। इसका कारण मैं तो यह समझता हूं कि लोगों में खरीदने की ताकत नहीं है। राष्ट्रीय आय बढ़ी है किन्तु क्रय शक्ति नहीं बढ़ी। मुझे आशा नहीं कि १९५८ में भी हम कपड़े के उपयोग का लक्ष्य पूरा कर सकेंगे। हम उपभोक्ता वस्तुओं पर पूरा ज़ोर नहीं दे रहे हैं।

बेकारी की समस्या हल करने के लिये भी सरकार ने ज्यादा कुछ नहीं किया है। इस समय हमारे देश की यही सबसे बड़ी समस्या है और सरकार को इसके लिये स्पष्ट कार्यवाही करनी चाहिये।

हम आस्थगित भुगतानों से इस समय प्रसन्न हो रहे हैं किन्तु बाद में हमें यह भार इकट्ठा देना होगा। १९६१ में हम भार के नीचे ज्यादा दब जायेंगे। इसका इलाज यही है कि हम देश में विदेशी पूंजी के विनियोजन को प्रोत्साहित करें। रुपया उधार लेने के बजाये हम विदेशी पूंजी का विनियोजन ज्यादा ठीक समझते हैं। हमें देश में इसके लिये उपयुक्त वातावरण बनाना चाहिये। हमें यह नहीं समझना चाहिये कि विदेशी पूंजी के विनियोजन से इस देश पर किसी प्रकार का बुरा प्रभाव पड़ेगा। हमें यों ही घबराना नहीं चाहिये। कोई हमें बांधेगा नहीं।

श्री भरूचा कहते हैं कि योजना कैसे कार्यान्वित होगी? मैं पूछता हूं कि क्या पहले कोई कह सकता था कि इतने वर्षों के बाद लोग १००० करोड़ के कर प्रति वर्ष दे सकेंगे। इसलिये योजना के लिये रुपया उगाहना कोई कठिन कार्य नहीं है। मुझे विश्वास है कि संसाधन हम जुटा लेंगे क्योंकि हमारी तत्परता से सन्तुष्ट है। अतः हमें यों ही घबराना या डरना नहीं चाहिये। कर लगाना ठीक है किन्तु यदि सरकार अच्छे परिणाम निकाले तो लोग खुशी से देंगे।

कभी तो लोग कहते हैं आप पूरा काम नहीं कर रहे और फिर वही कहते हैं कि हमारे संसाधन ही नहीं हैं। यह क्या बात है। मैं तो यह कहूंगा कि हमें जो कुछ खर्च करना हो वह बड़े ध्यान से करना चाहिये। हम सभी सरकारी विभागों में बचत कर सकते हैं। श्री त्यागी ने बचत की बातों का उल्लेख किया है। यदि हम ५ प्रतिशत की भी बचत करें तो हम प्रति वर्ष ८० करोड़ रुपया बचा सकते हैं।

अन्त में मैं माननीय वित्त मंत्री को बधाई देता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि उन्हें लोगों को यह जतलाना होगा कि हमारी बुनियादें ठोस हैं और हम हारेंगे नहीं। मुझे आशा है कि इस बात में वे अवश्य ही सफलता प्राप्त करेंगे।

†डा० सुब्बरायन (तिरुचेंगोड) : मैं कपड़े पर उपकर के बारे में कुछ कहना चाहता हूं क्योंकि इसका उस क्षेत्र से सम्बन्ध है जिससे मैं यहां आया हूं। माननीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ने एक आने की छूट की घोषणा की जिससे छूट दो आने दी गई थी। परन्तु यह छूट केवल दो महीने तक ही रही और इसलिये इसका कोई लाभ नहीं हुआ। मैं चाहता हूं कि यह रियायत कम से कम इस वर्ष के अन्त तक के लिये रहनी चाहिये। इससे सम्बन्धित एक और बात मैं बताता हूं जिस पर माननीय वित्त मंत्री आशा है, अवश्य विचार करेंगे। वह यह है कि कोयम्बेटूर, मदुरै तथा तूतीकोरिन की मिलें स्पिनिंग की मिलें हैं जिनका सूत हथकरघा बुनकर ले जाते हैं। परन्तु अब हथकरघा कपड़ा अधिक न बिकने के कारण, बुनकर सूत नहीं खरीदते हैं और इसलिये यह सूत इन स्पिनिंग मिलों में पड़ा रह जाता है जिसके परिणामस्वरूप

†मूल अंग्रेजी में

कोयम्बेटूर मिल ने उत्पादन में २५ प्रतिशत कमी कर दी है। मैं आशा करता हूं कि सूती कपड़े पर उपकर लगाते समय मेरे मित्र वित्त मंत्री इस पर विचार करेंगे।

मेरा एक और सुझाव है कि कपड़े के प्रति गज़ पर उपकर लगाने के बजाय यथा मूल्य उपकर लगाया जाना चाहिये जिससे मोटे और बीच के दर्जे के कपड़े का प्रयोग करने वालों को सहायता मिले, क्योंकि सर्वोत्तम प्रकार के कपड़े खरीदने वाले यदि थोड़ा अधिक भी दे देंगे तो कोई असर नहीं पड़ता है परन्तु मोटे अथवा बीच के दर्जे का कपड़ा खरीदने वालों के लिये यह उपकर अधिक लगेगा।

मैं यह भी बताना चाहता हूं कि जो छूट दी जाती है वह सब सहकारी समितियों में चली जाती है, जब कि ६० से ७० प्रतिशत बुनकर सहकारी समितियों के सदस्य नहीं होते हैं। इसलिये जो कपड़ा यह तैयार करते हैं उस पर छूट न दिये जाने के कारण उनके साथ प्रतिद्वंदिता नहीं कर सकते हैं। मेरा अनुरोध है कि वित्त मंत्री और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री इस पर ध्यान दें अन्यथा कपड़ा इकट्ठा हो जाने पर इसको छूट दे कर ही निकालना होगा।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

मुझे पता लगा है कि उच्चतम प्रकार का सूत अब भी आयात किया जा रहा है जब कि मदुरै और कोयम्बटूर की मिलें एक सौ काउन्ट का सूत भी बनाती हैं।

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : मिलें उच्चतम प्रकार के सूत का आयात नहीं कर रही हैं, वे स्वयं उच्चतम प्रकार के सूत कम उत्पादन कर रही हैं। हथकरघा बुनकर उच्चतम प्रकार के सूत की आकांक्षा करते हैं जो यहां उपलब्ध नहीं है। हम उसका उत्पादन करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

†डा० सुब्बरायन : बुनकर इसको चाहते हैं, यह ठीक है। परन्तु उसकी सभी आवश्यकतायें दक्षिण में पूरी की जा सकती हैं क्योंकि वहां पर मिलें एक सौ काउन्ट का सूत कातती हैं।

अन्त म, मैं यही कहना चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री इस पर ध्यान दें और इस छूट को दो महीने से अधिक के लिये बढा दें।

श्री झुनझुनवाला (भागलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी इच्छा प्लैन पर बोलने की थी, परन्तु उस दिन बीमारी के कारण नहीं आ सका। मैं जब यह देखता हूं कि किस तरह हमारे देश में कर पर कर लगाये गये हैं और करों से जो आमदनी होती है उसको किस तरह खर्च किया जाता है तो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारी जो एकानमी है वह बड़े खराब रास्ते पर चल रही है। मैं बताता हूं कि अगर हम १९५६-५७ से कम्पेअर (तुलना) करें तो सन् १९५७-५८ में हमको १८० करोड़ रुपया मिला। इसमें से हमने जो प्लैन पर खर्च किया है, जिससे हमको प्रोडक्शन मिलता है और हमारे देश की एकानमी की तरक्की होती है, वह कुल ५ या ६ करोड़ रु० है। बाकी का जितना खर्च किया गया है वह सारी की सारी रकम इधर उधर में खर्च कर दी गई है। सन् १९५७-५८ में हमारी प्लैन पर रेवेन्यू से खर्च किया गया ६१.५ करोड़ रु० और १९५६-५७ में खर्च किया गया था ५६ करोड़ रु०। इसके माने यह हैं कि करीब ५.५ करोड़ रु० हमारे प्लैन के प्रोडक्टिव (उत्पादक) कामों में ज्यादा खर्च किया गया। बाकी का सारा हमारे खर्च में चला गया है। इसी तरह हमारा काम चलेगा तो हम नहीं समझ सकते कि किस तरह हम अपनी एकानमी सुधार सकेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री झुनझुनवाला]

अब खर्चे की हालत मैं बतलाता हूं। सन् १९५५-५६ में हमारे रेवेन्यूज़ से ४११.४७ करोड़ रुपये की इनकम हुई, सन् १९५७-५८ में ५५७.६० करोड़ की इनकम हुई और सन् १९५८-५९ में ५७२.३४ करोड़ का एस्टीमेट किया जाता है। अब इधर हमारी बढ़ोतरी कुछ हुई है लेकिन बहुत कम हुई है करीब १५० करोड़ के हुई है और इधर टोटल एक्सपेंडिचर (कुल व्यय) में हमारा खर्चा सन् १९५१-५२ में ३८१.४० करोड़ और सन् १९५६-५७ में ७१२.०४ करोड़ रुपये हो गया है। खर्चा हमारा प्रायः दुगुना हो गया है और हमारी इनकम १०० करोड़ बेशी हो गई है। मैं वित्त मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि आपका किस तरह से काम चलेगा? आप जो टैक्स लोगों से लेते हैं उसका क्या रेट है। वह हमारे दूसरे देशों की अपेक्षा कम नहीं है बल्कि बहुत से मामलों में अधिक रेट है। जो भी कोई एक नई चीज हमारे यहां देखी जाती है वह हमारे यहां ठूंस दी जाती है परन्तु हम उसका व्यवहार कैसे करे यह नहीं जानते हैं। आप भले ही इससे भी ज्यादा टैक्स लगा दें परन्तु उसके खर्चे की ओर भी आपको देखना चाहिये कि जो टैक्स देने वाले हैं जिन लोगों से हम टैक्स लेते हैं वह लोग उनके पास रुपया रहने से वे उस रुपये का किस तरीके से व्यवहार करते हैं और किस तरीके से वह प्रोडक्शन करते हैं, उसकी ओर भी आप देखें। एक ओर आप ऐसे लोगों से रुपया खींच लेते हैं जो लोग कि आपके यहां प्रोडक्शन करते हैं और आपकी एकोनामी को बढ़ाते हैं और वह रकम लेकर आप क्यों खर्चे में बर्बाद करते हैं तो इससे तो एकोनामी बढ़ेगी नहीं। इससे तो हमारे देश की उन्नति नहीं अवनति होती जा रही है।

मैंने अखबार में पढ़ा था कि हमारे वित्त मंत्री महोदय बड़े आशावादी हैं और उनका यह ख़याल है कि हमारे देश की एकोनामी खराब नहीं हो रही है और अच्छी है। मैं खुद भी यही चाहता हूं और सदा ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि उनकी बात सफलीभूत हो परन्तु जब मैं उन आंकड़ों को देखता हूं तो मुझे समझ में नहीं आता कि किस तरीके से यह चीज़ बढ़ रही है और किस तरीके से हमारे देश की तरक्की होगी। हमारे भाई श्री अशोक मेहता ने इन सब बातों को बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को समझाया है और बतलाया है कि किस तरीके से हमारी एकोनामी खराब हो रही है और गड़बड़ हो रही है। अब देखिये हमारे गरीब मुल्क ने जिसने हाल में स्वाधीनता प्राप्त की है उसने १३०० करोड़ रुपये का अन्न विदेशों से मंगवाया है। जब हम अन्न का प्रोडेक्शन देखते हैं और जो तरीके देखते हैं कि किस तरीके से वह पैदा किया जाता है और अन्न प्रोड्यूस करने वालों को क्या भाव मिलता है तो आप देखेंगे कि यह चीज़ जो चल रही है वह दूसरी चीज़ों की भाव की अपेक्षा कोई बहुत अच्छे तरीके से नहीं चल रही है और बहुत ही खराब तरीके से चल रही है।

अब मैं आपको एक बात बतलाना चाहता हूं। हमारे यहां करीब ३८ करोड़ एकड़ जमीन कल्टिवेट की जा रही है जिसमें कि ५० लाख एकड़ ज़मीन ट्रैक्टर्स आदि से कल्टिवेट होती है यानी करीब १ परसेंट ज़मीन ट्रैक्टर्स आदि से बोई जाती है बाकी हमारी जितनी भी ज़मीन है वह सारी बैल आदि साधनों से बोई जाती है। परन्तु आप उन चीज़ों की अवस्था को देखिये, उन बैलों और एनीमल्स की अवस्था को देखिये। उनके खिलाने के लिये हमारे पास चारा नहीं है। उनकी ओर हमारी सरकार बिलकुल ध्यान नहीं देती है। वह समझती है कि यह चीज़ ऐसी है जो पड़ी रह जायेगी। हम लोग तो ट्रैक्टर्स आदि से ही सारा काम निकाल लेंगे। जो हमारी ९९ परसेंट ज़मीन बैलों आदि से जोती जाती है उनकी तरक्की के लिये आप कुछ भी नहीं करते हैं। अब किस तरीके से हमारी आगे यह एकोनामी बढ़ेगी और किस तरीके से हमारे अन्न की पैदावार में [illegible]तरी होगी? आप १३०० करोड़ रुपये का अनाज जो बाहर के देशों से मंगाते हैं और हर

साल मंगाने का प्रोग्राम बनाते हैं, यदि हम बाहर से अन्न न मंगा कर अपने ही देश में काफ़ी मिक़दार में अन्न उपजायें और उसके लिये यहां पर अच्छे तरीक़े से इन्तजाम करे तो हम बाहर के फारेन एक्सचेंज को बचा सकते हैं। बार बार इस बात को कहा जाता है परन्तु हमको सरकार की ओर से कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं मिलता है कि किस तरह से यह चीज़ की जाय। अब जो हमारी ज़मीन बैल आदि से जोती जाती है वह बहुत अच्छी तरह कल्टिवेट नहीं होती है। उनके पास जैसे मैंने पहले भी कहा था कि सब चीज़ मुहैय्या नहीं है, न उनके पास पैसा है न उनके पास बीज है और न उनके पास इर्रीगेशन की सुविधा ही पर्याप्त है। बार बार पेपर में निकलता है और यह बात कही जाती है कि अन्न की पैदावार बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। देश में अन्न की पैदावार बढ़ाना सबसे ज़रूरी काम है। लेकिन मुझे खेद के साथ यह चीज़ कहनी पड़ती है कि अन्न की पैदावार किस तरह से बढ़ाई जा सकती है और उसके लिये किन किन चीज़ों की व्यवस्था करनी चाहिये, उस ओर हम ध्यान नहीं देते हैं। उन लोगों की क्या आवश्यकतायें हैं, उनकी क्या क्या ज़रूरियात हैं उनको हम लोग पूरा नहीं करते हैं। हम लोग केवल इसी बहस में लग जाते हैं कि कोआपरेटिव्स होनी चाहियें या बिना कोआपरेटिव्स के यह काम होना चाहिये या किस तरीके से होना चाहिये। हम केवल थ्योरेटिकल डिसकशन (सैद्धांतिक चर्चा) में लग जाते हैं। और जो लोग अन्न पैदा कर सकते हैं उनकी ओर आप लोगों की नजर नहीं जाती है कि वह किस तरह से पैदावार बढ़ा सकते हैं। उनकी क्या कमी है और उनकी क्या ज़रूरियात हैं उन सब ज़रूरियात को आप लोग पूरा नहीं करते और इधर कहते हैं कि अन्न की उपज बढ़नी चाहिये। यह भी कहते हैं कि जब तक हमारे अन्न की उपज नहीं बढ़ेगी तब तक हमारी एकोनामी नहीं सुधरेगी। आप यह बात कहते तो हैं लेकिन मैं पूछता हूं कि आप अन्य इंडस्ट्रीज़ में रिबेट (छूट) देते हैं और अन्य रियायतें देते हैं लेकिन हमारे खेतिहर भाइयों को न पानी में रिबेट मिलता है, न पावर में रिबेट मिलता है और न ही बीज आदि चीज़ों में उनकी कोई रिबेट अथवा रिआयत मिलती है जिससे कि उनको अन्न की पैदावार बढ़ाने में प्रोत्साहन मिले। कर्ज़ा भी सही आदमियों को नहीं दिया जाता है। ऐसे आदमी को कर्जा नहीं दिया जाता है जो कि ज्यादा प्रोड्यूस कर सकता है और जो उसका अच्छी तरह से व्यवहार करके आपको बेशी उपज करके दे सकता है। क़र्जा खोज करके और छांट करके ऐसे आदमी को दिया जाता है जो कि क़र्जे के लिये गवर्नमेंट को सिक्युरिटी दे। क़र्जा देते समय यह नहीं देखा जाता है कि हम जिसे यह क़र्जा दे रहे हैं वह उस काम में उसको लायेगा भी कि नहीं और वह उस रुपये का ठीक तौर से इस्तेमाल करेगा कि नहीं। सरकार की तरफ से क़र्जे के लिये रुपये देने में कोई कमी नहीं है लेकिन जैसा मैंने पहले कहा सही आदमी को जो कि उस रुपये को उसी खेती बाड़ी के काम में लगाये उसको न दे कर ग़लत शख्स को दिया जाता है जो कि उस रुपये को दूसरे काम में ले आता है। ऐसे आदमियों को रुपया दिया जाता है। जो आदमी उस रुपये को काम में लगा सकता है और उससे उपज बढ़ा सकता है उसको वह रुपया नहीं दिया जाता। जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और जो बड़े बड़े लोग हैं उनको रुपया मिलने में इतनी दिक्कत नहीं होती। वह सीधे दिल्ली आते हैं, बातचीत करते हैं और उनको रुपया मिल जाता है। मैं अपने अनुभव से कहता हूं कि यदि बेचारे किसान को सौ रुपया लोन लेना होता है तो उसको लेने में उसका पचास रुपया तो खर्च हो जाता है और उसको उसके लिये इधर उधर जाने में बड़ा तरद्दुद उठाना पड़ता है। उसकी इस दिक्कत की ओर कोई भी ध्यान नहीं देता। उसको अपना काम छोड़ कर रुपया लेने जाना होता है। वह देखता है कि उसके बदले में उसको कुछ नहीं मिलता। इसलिये वह हताश हो कर अपने घर पर बैठ जाता है। तो मैं सरकार से पूछूंगा कि वह बतलाये कि वह इसके लिये क्या उपाय कर रही है। बहुत बार इसके बारे में बहस हुई है। हमारे जो कृषि मंत्री हैं वह यह कह देते हैं और बड़ी सहूलियत से कह देते हैं, शायद वह कानून पढ़े होंगे, कि यह हमारी जिम्मेवारी नहीं है, यह तो स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है। हम

[श्री झुनझुनवाला]

मानते हैं कि यह स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है। परन्तु रुपया तो आप देते हैं। आप स्टेट गवर्नमेंट से पूछिये कि आप जो रुपया हमसे लेते हैं उसका व्यवहार किस तरह से करते हैं, उसके बदले में आप हमको देते क्या हैं। आप हमारी उपज बढ़ाते हैं या नहीं। यदि आप हमारी उपज नहीं बढ़ाते हैं तो हम आपको रुपया नहीं देंगे। यदि आप इस तरह से नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा।

यह बड़ी खुशी की बात है कि हमारे वर्तमान वित्त मंत्री महोदय काम करने में बहुत ही स्ट्रिक्ट (कड़े) हैं। अगर वह एक बात को समझ लेते हैं कि यह ठीक है तो वह उसके ऊपर उतारू हो जाते हैं, किसी न किसी तरह से उसको काम में लाकर यह देखते हैं कि यह सफलीभूत हो और सफलीभूत करना उनका ध्येय सा रहा है। अगर वह एक बात को पकड़ लेते हैं तो उसके पीछे पड़ जाते हैं। मैं बार बार उनको यह सुझाव देना चाहता हूं कि जब तक आप उन लोगों को सहूलियत नहीं देंगे जो कि वास्तव में आपकी उपज को बढ़ा सकते हैं, तब तक आपकी इकानमी नहीं उठ सकती। उन लोगों की दिक्कतों की तरफ हमारा काफ़ी ध्यान नहीं रहता और हम बाहर से गल्ला गा लेते हैं। भगवान की कृपा से हमारी बाहर साख है, हमारे प्रधान मंत्री जी की सब जगह इज्जत है, इसलिये अगर हम चाहते हैं तो हमको बाहर से गल्ला मिल जाता है। परन्तु यदि हम इस सहूलियत का दुरुपयोग करेंगे तो उसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। हमको इसका सदुपयोग करना चाहिये। अगर हमको बाहर से गल्ला मिल सकता है तो हम इस बात का ध्यान रखें कि हम उसको केवल उसी समय लें कि जब हमको बहुत आवश्यक हो। पर हमारा ध्येय यही होना चाहिये कि इन चीज़ों को हम अपने यहां ही उपजायें।

हमारे यहां दूध की कमी की एक बड़ी समस्या है। शायद हमारे वित्त मंत्री जी इस पर सोचते होंगे। हमारे यहां बाहर से मिल्क पाउडर आता है। लेकिन हमारे यहां सन् १९५१–५२ से देश में पांच करोड़ मन प्रति वर्ष दूध की कमी हो गई है। तो मैं वित्त मंत्री जी से पूछूंगा कि क्या यह बुरी हालत नहीं है। आप सोचें कि दूध की जो आमदनी होती है वह किन लोगों की होती है और किन लोगों का इससे पेट भरता है, किन लोगों को इससे रोज़गार मिलता है। मैं उनसे कहूंगा कि वह इसके प्रति ध्यान दें। इसके लिये कोई प्रेक्टिकल स्कीम बनायें। मैं जानता हूं कि इसमें बहुत दिक्कत हैं, बहुत से आदमियों से काम लेना है, परन्तु यदि ऊपर से हम लोग अच्छा उदाहरण पेश करें और प्रयत्न करें कि जो काम होना है वह सहूलियत से हो, तो नीचे वाले भी उसी नीति का अनुसरण करेंगे।

अब आप देखें कि हमारे यहां कम्युनिटी प्राजेक्ट्स हैं। जैसा कि मैंने आपको बतलाया इस पर खर्च बहुत होता है। लेकिन वह खर्चा खास चीज के लिये नहीं होता है। मेहता साहब की रिपोर्ट म बतलाया गया है कि जो भी खर्चा होता है वह उन लोगों की एमेनिटीज़ के लिये खर्च होता है। मैं भी एक गांव में गया था वहां कम्युनिटी प्राजेक्ट है। गांव के एक किनारे ही जाकर मैंने देखा कि केवल एक घर में सेप्टिक पाखाना बना दिया गया है। लेकिन वहां पर न पानी का प्रबन्ध है और न किसी और चीज का प्रबन्ध है। यह चीज़ लोगों को लुभाने के लिये की जाती है कि देखो तुम्हारे यहां यह चीज़ भी हो रही है। लेकिन मैंने देखा कि सारा गांव गंदा पड़ा हुआ था। मैंने मुखिया से मिलना चाहा और पूछना चाहा कि यहां की क्या हालत है तो मालूम हुआ कि मुखिया साहब अपना धान ले कर मिल पर कुटवाने के लिये गये हैं। मैं दो एक घरों में और गया और पूछा कि तुम्हारी क्या हालत है। लोगों ने मुझे बतलाया कि उनको उस दिन कोई रोज़गार नहीं मिला था, पता नहीं था कि शाम को खाना मिलेगा या नहीं। उन्होंने बतलाया कि पहले तो हम धान कूटते थे लेकिन अब हमारे मुखिया अपना धान कुटवाने के लिये मिल पर ले जाते हैं। तो इन चीजों की यहां पर बात नहीं होती। यहां पर तो भारी भारी प्रोजेक्ट्स पर ध्यान दिया

जाता है। यहां पर लोग सोचते हैं कि यह इतने इतने भारी काम हैं, कौन छोटी छोटी बातों पर ध्यान दे। तो यह हमारी हालत है कि गांव वालों के बारे में सोचते हैं कि उनका काम तो स्टेट गवर्नमेंट करेगी और वह लोग करते नहीं। मैं अपने वित्त मंत्री महोदय से कहूंगा और प्रार्थना करूंगा कि वह उस तरफ ध्यान दें। जब तक हमारे गांव वालों को काम नहीं मिलेगा और वह जो काम करते हैं उसमें उनको उत्साह नहीं दिया जायेगा, उनको जिन चीज़ों की आवश्यकता है वे चीज़ें मुहैय्या नहीं की जायेंगी तो उनकी जो आज खराब हालत है वह और भी खराब होती जायेगी और जब तक अन्न का प्राबलम हल नहीं होगा तब तक आपकी ईकानमी नहीं सुधरेगी।

हमारी सरकार जो नीति चला रही है वह हमारी समझ में नहीं आई। लैंड पालिसी क्या हो, कोआपरेशन आदि के बारे में हम यहां पर डिसकशन करते हैं लेकिन असली चीज़ को हम एक दम भूल रहे हैं। इसलिये अन्त में मैं वित्त मंत्री महोदय से कहूंगा कि आप इस तरफ ध्यान दें ताकि हमारे देश की उन्नति हो केवल ऊपर ऊपर की चीज़ों को ही देख कर उनमें न रह जायें।

†**श्री बिमल घोष** (बैरकपुर) : वित्त मंत्रालय की मांगों का उत्तर देते हुये वित्त मंत्री ने कहा था कि योजना के संसाधनों की स्थिति के बारे में वह बतायेंगे। परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया इसलिये मैं उसी प्रश्न के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं।

आपको याद होगा कि जब योजना बनाई गई थी उस समय यह आशा की गई थी कि योजना के तीसरे वर्ष में हालत कुछ बिगड़ेगी। परन्तु ऐसा उस अवधि से पहले ही हो गया और अब ऐसा समझा जाता है कि वह समय समाप्त हो गया है। ऐसी भावना इसलिये आ गई है क्योंकि हाल में ही विदेशों ने बहुत बड़ी धनराशि ऋण देना स्वीकार कर लिया है। मैं बाहरी आन्तरिक संसाधनों के आधार पर इस पर विचार करना चाहता हूं।

बाहरी संसाधनों के सम्बन्ध में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की मांगों पर विवाद के समय सुझाव दे चुका हूं। इसलिये कुछ थोड़ी सी बातें बतलाऊंगा। प्रथमतः यह ठीक है कि हम ऋण ले रहे हैं परन्तु प्रश्न यह है कि हम इस ऋण को किस प्रकार वापस देंगे। मैं चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री हमें बतायें कि तीसरी योजना के लिये उन्होंने क्या क्या ज़िम्मेदारियां ले ली हैं। मेरा विचार है कि यह जिम्मेदारियां सूद तथा मूलधन के भुगतान के रूप में १०० करोड़ रुपये के लगभग हैं। एक बार यह विचार था कि इस्पात निर्यात करके हम अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें परन्तु आन्तरिक मांग और विश्व की वर्तमान स्थिति देखते हुये मैं जानना चाहता हूं कि क्या वित्त मंत्री का विचार अभी भी इस्पात बेचने का है।

दूसरी बात यह है कि यह विदेशी सहायता विशिष्ट परियोजनाओं के लिये थी परन्तु इसको ऐसी योजनाओं पर व्यय करना पड़ा जो द्वितीय योजना में नहीं थी तो क्या योजना में कुछ परिवर्तन किये जायेंगे।

तीसरी बात यह है कि विदेशी सहायता मिलने से रुपये का व्यय भी बढ़ गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि कितनी विदेशी सहायता मिल रही है तथा हमारी आवश्यकता कितनी है। योजना बनते समय ऐसा प्राक्कलन किया गया था कि यह ११०० करोड़ की होगी। परन्तु वित्त मंत्रालय के जुलाई १९५७ के एक प्रकाशन में बताया गया है कि जुलाई १९५७ तक लगभग ७८३ करोड़ रुपये का प्राधिकरण किया गया था जिसमें से २१३ करोड़ रुपये प्रथम योजना काल में व्यय हो गये। और इस प्रकार जुलाई १९५७ को द्वितीय योजना के लिये

†मूल अंग्रेजी में

[श्री बिमल घोष]

लगभग ५७० करोड़ रुपये शेष थे। साथ ही साथ हमारी स्टलिंग प्रतिभूतियों में लगभग ४०० करोड़ रुपये की कमी हो गई और इस प्रकार यह धन ६७० करोड़ रुपये हो गया। वित्त मंत्री को १६५८-५६ में ३२५ करोड़ रुपये मिलने की आशा है और इस प्रकार यह राशि इस वर्ष १३०० करोड़ रुपये हो जायेगी। जबकि हमारा प्राक्कलन ११०० करोड़ रुपये का था। लेकिन फिर भी हमेशा संकट की स्थिति क्यों बनी रहती है? इसका भी स्पष्टीकरण किया जाना चाहिये।

अब मैं आन्तरिक संसाधनों के बारे में बताता हूं। इनकी तीन शीर्षों के अन्तर्गत जांच की जा सकती है, कराधान, बचत तथा घाटे की अर्थ-व्यवस्था। योजना में ऐसी धारणा बनाली गई थी कि केन्द्र तथा राज्य सरकारे ५००० करोड़ रुपये में से जो उनको राजस्व के रूप में मिलेगा, ३५० करोड़ रुपया बचा लेंगी। इसके अतिरिक्त, कराधान से ४५० करोड़ रुपया उगाहा जायेगा। कमी ४०० करोड़ रुपये की थी। इस प्रकार कुल ५८५० करोड़ रुपया हो जाता है। मैं इसमें १५० करोड़ रुपया और जोड़ देता हूं क्योंकि वित्त आयोग की सिफारिशों के परिणाम-स्वरूप केन्द्र को यह राशि राज्यों को देनी होगी। और इस प्रकार यह राशि ६००० करोड़ हो जाती है। पहले तीन वर्षों में राजस्व से क्रमशः ११०० रुपये, १३०० पये तथा १४०० रुपये मिले अर्थात् कुल ३८०० करोड़ रुपये मिले। यदि राजस्व इसी प्रकार रहे तो अगले दो वर्षों में १४०० करोड़ रुपये प्रति वर्ष मिलेंगे। इस प्रकार पांच वर्षों में राशि ६६०० करोड़ रुपये हो जायेगी जब कि आवश्यकता ६००० करोड़ रुपये की है। अब प्रश्न यह है कि आन्तरिक संसाधनों की कमी कहां है और इतना संकट कैसे है। हो सकता है कि प्रतिरक्षा व्यय तथा योजना के अलावा अन्य व्यय के कारण कठिनाई आई हो। मैं जानना चाहता हूं कि योजना के अलावा व्यय की राशि कितनी है। माननीय वित्त मंत्री शायद यह कहेंगे कि विकास योजनाओं पर फिर लिये गये व्यय का कोई अन्तर नहीं पड़ता है क्योंकि हमने प्राथमिकतायें बना रखी हैं। अगर यह कहा जाता है कि विकास पर कुछ व्यय हुआ है लेकिन वह अच्छे काम के लिये ही हुआ है। तो मेरा उत्तर यह है कि फिर योजना बनाने की क्या आवश्यकता थी। मैं जानना चाहता हूं कि गड़बड़ कहां है।

मैं समझता हूं कि दो बातों की जांच आवश्यक है। एक तो यह कि राज्यों ने कितने प्रयत्न किये हैं। उनसे जितनी आशा की जाती है उससे कम ही मिलता रहा है। प्रथम योजना में जितनी उनसे आशा थी उसका ३५ प्रतिशत ही मिला। इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि क्या ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की जा सकती है जिससे राज्य अपने वादों को पूरा कर सकें। दूसरे मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सरकार वित्त आयोग की इस सिफारिश पर विचार कर रही है कि वित्त आयोग और योजना आयोग एक ही विषय पर यानी राज्यों की आवश्यकताओं के निर्धारण पर जो विचार करते हैं और दोहरा काम करते हैं, उसे दूर किया जाये और इस असंगत स्थिति से छुटकारा पाया जाये। करों के सम्बन्ध में मेरा मत यह है कि अब इनमें वृद्धि करने की कोई गुंजाइश नहीं है। श्री मसानी की इस बात में कोई जोर नहीं था प्रत्यक्ष कर देने वालों को रियायत दी जानी चाहिये। इसके दो कारण हैं। एक तो कर अपवंचन है जो विभाग के अनुसार ३० अथवा ४० करोड़ रुपये का है। भूतपूर्व वित्त मंत्री के अनुसार ६० अथवा ७० करोड़ रुपये का है तथा प्रो० कालडोर के अनुसार २०० अथवा ३०० करोड़ रुपये का है। कुछ भी कर अपवंचन बहुत होता है। धन कर, व्यय कर आदि जो नये कर लगाये गये हैं उनसे २० करोड़ रुपये से अधिक नहीं मिल सकता। इसलिये आय कर कम करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है।

दूसरा कारण यह है कि प्रत्यक्ष कराधान के बारे में गैर-सरकारी आय पर सरकारी ड्र फट १९४८–४९ में २.८ प्रतिशत से १९५४–५५ में २.५ प्रतिशत हो गया है। जब कि अप्रत्यक्ष कराधान का इन्हीं वर्षों में ४.१ से ५.३ प्रतिशत हो गया। इसलिये प्रत्यक्ष करों में कमी करने की बात में कोई ज़ोर नहीं है। अप्रत्यक्ष करों के मामले में छूट की सीमा बढ़ाई जा सकती है क्योंकि केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रति व्यक्ति ८ रुपये के लगभग है; इस में यदि सीमा शुल्क मिला दिया जाये तो यह १५ रुपये प्रति व्यक्ति हो जाता है जो थोड़ी रकम नहीं है। मेरी वित्त मंत्री से अपील है कि वह छूट की सीमा को बढ़ा दें। यदि छूट की सीमा ४२०० रुपये न करना चाहते हों तो कम से कम सब के लिये सीमा को बढ़ा कर ३६०० रुपये कर दें।

बचतों के बारे में सबसे पहले मैं यह जानना चाहता हूं कि दो सरकारी प्रकाशनों के आंकड़ों में इतना अन्तर क्यों है। 'स्पष्टीकरण ज्ञापन' के पृष्ठ ३४७ पर दिया गया है कि १९४७–४८ तथा १९५७–५८ के प्रथम दो वर्षों में कुल १४६ करोड़ रुपये उधार लिये गये थे परन्तु 'आर्थिक सर्वेक्षण' के पृष्ठ २० पर दिया है कि कुल सरकारी ऋण २१३ करोड़ रुपये के लिये गये। मैं नहीं जानता कि इन दोनों में अन्तर क्यों है। परन्तु इतना तो सत्य है कि सरकारी ऋणों तथा बचत दोनों में कमी आ गई है।

अल्प बचत के सम्बन्ध में श्री मसानी का मत है कि इसमें कमी इस कारण से आई है कि क्योंकि जनता योजना के पक्ष में नहीं है और इसीलिये अन्य बचत में अपना धन जमा नहीं कर रही है। परन्तु मैं समझता हूं कि इन बचतों पर जो सूद लिया जाता है वह बहुत कम है और यदि सूद की दरें बढ़ा दी जायें तो अल्प बचत की राशि बढ़ सकती है। मैं इस तर्क से सहमत नहीं हूं कि प्रत्यक्ष कराधान घटा देने से बचत बढ़ जायेगी क्योंकि यदि वस्तुओं के मूल्य बढ़ते गये तो प्रत्यक्ष कराधानों को कम करने का कोई लाभ नहीं होगा। मैं तो यही समझता हूं कि सूद की दरें बढ़ा देने से अल्प बचत निश्चित रूप से बढ़ जायेगी।

मेरा एक सुझाव यह है कि सरकार एक निश्चित आय के ऊपर अनिवार्य निक्षेप लागू करे और उस पर सूद दे जिसकी दर अल्प बचत के सूद से कम हो। इसके दो लाभ होंगे कि एक तो हमें ज्यादा पया मिल सकेगा और दूसरे मुद्रास्फीति का भय दूर हो जायेगा।

घाटे की अर्थ-व्यवस्था के बारे में हम जानना चाहते हैं कि सरकार का इस सम्बन्ध में क्या विचार है। श्री कृष्णमाचारी ने बताया कि ९०० करोड़ रुपये से अधिक की घाटे की अर्थ व्यवस्था नहीं होनी चाहिये, यद्यपि योजना में १२०० करोड़ रुपये की व्यवस्था रखी गई है। हम मदों को जानना चाहते हैं कि सरकार का अब क्या विचार है अर्थात् ९०० करोड़ रुपये की अधिकतम सीमा रखनी है अथवा १२०० करोड़ पये की अधिकतम सीमा रखनी है। वित्त मंत्री यह कह सकते हैं कि वस्तुओं के मूल्य नहीं बढ़ रहे हैं, इसलिये घाटे की अर्थ-व्यवस्था की धनराशि बढ़ाई जा सकती है। परन्तु एक बात का उन्हें ध्यान रखना होगा। पहले दो वर्षों में यानी १९५६-५७ और १९५७–५८ में बहुत अधिक आयात-अतिरेक था जिसके कारण मुद्रास्फीति रुकी रही। अब वैसी स्थिति नहीं है, इसलिये बड़ी सावधानी से आगे बढ़ना है। मैंने बताया कि हमारी बाह्य तथा आन्तरिक स्थिति अच्छी नहीं है यद्यपि आन्तरिक और बाह्य संसाधनों के मामले में हमारी अभिधारणायें पूरी हो चुकी हैं। इसमें विरोधाभास ज़रूर है लेकिन यह चीज़ सच है। हम केवल अल्प बचत योजनाओं का ही लक्ष्य प्राप्त करने में सफल नहीं हुये हैं। आन्तरिक और बाह्य संसाधनों के लक्ष्य पूरे हो चुके हैं। लेकिन फिर भी स्थिति बड़ी गंभीर है और जब तक संसाधनों में वृद्धि करने या योजना के अलावा अन्य व्यय में भारी कमी करने के प्रयत्न नहीं किये जाते तब तक हमारी आशायें पूरी नहीं हो सकतीं।

†श्री रंगा (तेनालि) : श्रीमान्, मैं अपने उन मित्रों से सहमत हूं जिन्होंने आय-कर की विमुक्ति सीमा बढ़ाने के सम्बन्ध में कहा है। सरकार जानती है कि हमारी जनता की आय क्या है क्योंकि इनमें से अधिकांश वेतन भोगी व्यक्ति हैं। मैं नहीं जानता कि सरकार अभी इस सीमा को बढ़ायेगी अथवा नहीं परन्तु इतना अवश्य कह सकता हूं कि सरकार को कम से कम इस पर विचार करना चाहिये।

दूसरे हमें इस पर भी विचार करना चाहिये कि आय कर की छुट की सीमा कम कर देने तथा उत्पादन शुल्क को १५ से १६ पये प्रति व्यक्ति कर देने की क्षमता हमारी जनता में है या नहीं। इसीलिये मैं अपने मित्र श्री पांडे के सुझाव का समर्थन करता हूं कि हमें अपने कराधान के ढांचे की पुनः जांच करनी चाहिये। हमें राज्यों की आय के ढांचे पर भी विचार करना चाहिये और इसीलिये मेरा सुझाव है कि जिन क्षेत्रों में मद्यनिषेध लागू किया जा चुका है उन क्षेत्रों को छोड़ कर अन्य क्षेत्रों में मद्यनिषेध लागू नहीं किया जाये। केन्द्रीय सरकार को चाहिये कि वह राज्य सरकारों को ऐसा सुझाव दे।

कुछ लोगों ने नमक-कर लगाने का सुझाव दिया। मैं इसका विरोध करता हूं क्योंकि जैसा कि मैंने बताया उत्पादन शुल्क बहुत बढ़ गया है और मैं इसे ठीक नहीं समझता कि देश की जनता पर और अधिक कर भार डाला जाये। मैं इससे पूर्णतया सहमत हूं कि मितव्ययता की जा सकती है। श्री पांडे ने सरकारी मांगों में ५ प्रतिशत कमी करने को कहा परन्तु इसका तब तक कोई असर नहीं पड़ता जब तक सरकार ही मितव्ययता करने के सम्बन्ध में नहीं सोचेगी।

हमें इस ओर भी अधिक प्रयास करना चाहिये कि जनता केवल सरकार पर निर्भर न करे बल्कि अपनी सहायता अपने आप करके प्रगति करे; सरकार को चाहिये कि लोगों में, आत्म-निर्भरता की भावना उत्पन्न करे। मैं जानता हूं कि सामुदायिक विकास योजना के द्वारा इस दिशा में प्रयत्न किये जा रहे हैं। लेकिन यह काफ़ी नहीं है, सभी राजनैतिक दलों और आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्र के विभिन्न व्यक्तियों के सहयोग से और अधिक प्रयत्न किये जाने चाहियें।

तीसरे यह शिकायत की जाती है कि स्थानीय स्तरों पर एक दल का ही प्रतिनिधित्व है। मैं चाहता हूं कि सलाहकार समितियों में सभी दलों का प्रतिनिधित्व होना चहिये। अंग्रेजों के शासन काल में हममें से बहुत से साथी सलाहकार समितियों में थे और हमने बड़े सुन्दर सुझाव उस समय दिये थे। मैं चाहता हूं कि उस व्यवस्था को पुनः चालू कर दिया जाये तथा मेरे मित्र वित्त मंत्री की सलाह के लिये एक स्थायी वित्त समिति बनाई जाये जिसमें सभी दलों के लोग रखे जायें। मुझे इसका खेद नहीं है कि सरकार अपने वेतन भोगी कर्मचारियों के वेतन, भत्ते आदि में वृद्धि कर रही है परन्तु मैं चाहता हूं कि सरकार को राज्यों के उन कर्मचारियों को भी कुछ अधिक धन देने की व्यवस्था करनी चाहिये जो राष्ट्र सेवा में लगे हुए हैं।

श्री अशोक मेहता ने यह सुझाव दिया कि क्या हमने यह प्रयत्न किया है कि किसानों को मिलने वाले अतिरिक्त मूल्य में से सरकार कुछ अपने लिये रोक ले। यह उसी प्रकार का सुझाव है जैसा उत्तर-प्रदेश तथा बिहार में पहले प्रचलित था कि गन्नों के मूल्य किसानों को देते समय निश्चित प्रतिशतता गवेषणा आदि के लिये रख ली जाती थी। उसी प्रकार सरकार को अब पारिश्रमिक मूल्य देते समय २५ प्रतिशत डाक बचत प्रमाण पत्र अथवा अल्प बचत के रूप में रोक लेना चाहिये। इस प्रकार अतिरिक्त संसाधन बढ़ जायेंगे और मुद्रास्फीति का भय टल जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री घोष के इस सुझाव से मैं सहमत हूं कि अल्प बचत के सूद की दरों को बढ़ा देना चाहिये। जब सहकारी समितियां किसानों को ६ से ९ प्रतिशत सूद पर ऋण दे सकती हैं तो क्या सरकार ६ प्रतिशत सूद नहीं दे सकती है।

कुछ समय पूर्व, कुछ प्रमुख व्यक्तियों ने यह सुझाव दिया था कि प्रधान मंत्री को अब प्रधान मंत्रित्व से त्यागपत्र दे देना चाहिये और कांग्रेस को संगठित करने का काम करना चाहिये। मैं अधिक कुछ न कह कर केवल इतना कहना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री को छोटी छोटी जिम्मेदारियां अपने अन्य साथियों पर डालनी चाहियें। महात्मा गांधी समझते थे कि उन्हें अपनी जिम्मेदारियों को कब कम करना है और इसीलिये कांग्रेस से १९३४ में अलग हट गये थे जब कि उनका परामर्श सभी बातों में लिया जाता था। इसी प्रकार मैं समझता हूं कि हमारे प्रधान मंत्री को भी चाहिये कि अपनी छोटी ज़िम्मेदारियों को दूसरे साथियों पर डाल कर स्वयं प्रधान मंत्री के अतिरिक्त समस्त देश के प्रभावशाली नेता के रूप में भी काम करें।

श्री राम शरण (मुरादाबाद) : वित्त अधिनियम या फाइनेंस बिल जिस तरह का पिछले वर्ष था उसी तरह का कुछ सुधारों के साथ इस वर्ष भी पेश किया गया है। कुछ माननीय सदस्यों ने कम से कम जितनी आय पर कर लगता है, उसको ३,००० से बढ़ा कर ४,००० या ४,२०० पर जैसी कि पहले थी, कर लगाये जाने का आग्रह किया है। इस के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि इस समय इस लिमिट को बढ़ाना तो ज़रा कठिन मालूम होता है। लेकिन मैं आपका इस तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो तीन हज़ार पर आयकर लगता है उसका मतलब यह है कि जिसको आमदनी ढाई सौ रुपया महावार होती है, उसको ही कर देना पड़ता है और जिस की इससे कम होती है उस पर कोई कर नहीं लगता है। इसके साथ ही साथ यह भी व्यवस्था की गई है कि जिन लोगों के बच्चे हैं उनको छूट दी जाये और उनको ३६०० पर कर देना पड़ेगा उससे नीचे की रकम पर नहीं। पिछले वर्ष यहां पर यह कहा गया था कि इससे कम जिन व्यक्तियों की आमदनी है, उनके साथ किसी भी प्रकार की ज़ोर जबर्दस्ती नहीं होनी चाहिये और वित्त मंत्री जी ने भी यह कहा था कि उनके साथ ऐसा नहीं होगा। लेकिन पिछले वर्ष के अनुभव से पता चलता है कि उन लोगों के ऊपर जिन की आमदनी ढाई सौ या दो सौ से भी कम है, टैक्स लगाया जा रहा है और उनके पास इस तरह के अक्सर नोटिस भेज दिये हैं जिससे वे लोग बड़ी परेशानी में फंस गये हैं। जिन पर टैक्स नहीं लगना चाहिये उन पर भी इस तरह से लग रहा है। जो मेरा हल्का है, वहां पर बहुत सारा बरतनों का व्यापार होता है और वहां पर इस धंधे में चालीस पचास हज़ार व्यक्ति लगे हुए हैं। उनमें से भी जो साधारण कार्य करने वाले हैं, जो साधारण बरतन बनाने वाले हैं, उनके पास भी बिना किसी भेदभाव के इंडिसक्रिमिनेटली नोटिस भेज दिये गये। वे लोग यहां वित्त मंत्रालय के पास भी पहुंचे हैं। जो हमारा यहां कामर्स एंड इंडस्ट्री का मंत्रालय है, उसके पास भी वे पहुंचे हैं और साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश की सरकार है उसके पास भी वे लोग पहुंचे हैं, लेकिन अभी तक कहीं भी उनकी सुनवाई नहीं हुई है और न उनको किसी प्रकार का एश्योरेंस ही दिया गया है। मुझे मालूम हुआ है कि उन्होंने केन्द्रीय सरकार के पास भी तथा उत्तर प्रदेश की सरकार के पास भी इस तरह का नोटिस भेजा है कि जो बिना सोचे विचारे उनके पास इस तरह के इनकम-टैक्स की डिमांड के नोटिस भेज दिये गये हैं उनको वापिस लिया जाना चाहिये वरना साथ ही उन्होंने यह भी तय किया है कि वे १७ मई से अपना कार्य बन्द कर देंगे। जब काम बन्द करने तक की नौबत आ जाये और वह भी केवल इस कारण से कि उनके पास वित्त मंत्रालय के द्वारा या उसके अधिकारियों के द्वारा बिना सोचे विचारे साधारण से साधारण व्यक्ति से भी आय कर वसूल करने के नोटिस भेजे जायें और आय कर वसूल करने का प्रयत्न किया जाय तो यह चीज़ हमारे लिये और खास तौर

[श्री राम शरण]

पर सरकार के लिये सोचने की हो जाती है कि क्या जो हम कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं या नहीं। यह व्यवसाय ऐसा है जो कि लाखों का नहीं बल्कि करोड़ों का विदेशी विनिमय उपार्जित करता है। इसलिये मैं वित्त मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि उन लोगों से जिन की आय तीन हज़ार से कम है और कम से कम जिस आय पर आय कर लगता है, यदि उसकी सीमा को नहीं बढ़ाया जा सकता है, तो कम से कम उन लोगों से जिन की इससे कम आय है, उनसे तो यह कर वसूल न किया जाय और उन लोगों की जो डिमांड है उस पर अवश्य ध्यान दिया जाय ।

इसी सम्बन्ध में दूसरी बात जो मुझे कहनी है वह यह है कि आज आय कर तीन हज़ार या इससे ऊपर जिन की आमदनी है उन पर ही लगता है। इसमें एक भेद यह किया गया है कि अविवाहितों के लिये तो एक हज़ार की छूट दी गई है और जो विवाहित हैं उन के लिये तीन हज़ार की छूट होती है और इसके बाद ....

†श्री त्यागी (देहरादून): इससे विवाह अधिक होंगे ।

श्री राम शरण : अविवाहितों को एक हज़ार की छट के बाद, अगर उसकी तीन हज़ार आमदनी है, तो दो हज़ार के ऊपर कर देना पड़ता है और जो विवाहित हैं उनके लिये पहले एक हज़ार की छूट थी और अब तीन हज़ार तक की छूट कर दी गई है । यह जो अन्तर है यह आगे तक चलता है। जहां तक कम आमदनी वाले व्यक्तियों का सम्बन्ध है मैं एक सुझाव देना चाहता हूं जोकि वित्त मंत्रालय के फायदे का भी होगा। इससे साधारण आमदनी वाले लोगों को भी कुछ राहत मिल जायेगी। दोनों को जो आप छूट देते हैं यह एक सी होनी चाहिये और उसके बाद विवाहितों और अविवाहितों के लिये जो परसेंटेज कर की है, यानी उन पर जो तीन परसेंट लगाई जाती है, अविवाहितों के लिये उसको चार परसेंट कर दिया जाये और इस प्रकार से योग्यता के अनुसार जैसे जैसे किसी की आमदनी बढ़ती चली जाये, वैसे वैसे उस पर कर की मात्रा को भी आप बढ़ाते चले जायें। इस से एक लाभ यह होगा कि जो कम आमदनी वाले लोग हैं उनको कुछ थोड़ी सी राहत मिल जायेगी और योग्यता के अनुसार, केपेसेटी टू पे के अनुसार जैसे जैसे उसकी आमदनी बढ़ेगी वैसे वैसे उसके ऊपर अधिक कर, यदि परसेंटेज में भेद रख कर, लगता चला जायेगा ।

अब मैं देश की आर्थिक स्थिति के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। देश की विकास योजनाओ को कार्यान्वित करने के लिये एक तो आप ऋण लेते हैं, दूसरे आपने छोटी बचत की योजनाओं को शुरू किया है और तीसरे आपके सेविंग्स बैंक के डिपाजिट्स होते हैं। इन तीनों को देखने से पता चलता है कि चालू वर्ष में कुल ६८ करोड़ रुपया ही बतौर ऋण के प्राप्त हुआ है और इसमें से तीस करोड़ पया ऐसा है जो कि तीन महीने की छोटी अवधि के लिये ही था। जो लम्बी अवधि के ऋण हमें प्राप्त हुए हैं वे केवल ३८ करोड़ के ही रह जाते हैं । छोटी बचतों में यह विचार किया गया था कि १०० करोड़ रुपया हर साल हम को मिलेगा लेकिन देखने से पता चलता है कि चालू वर्ष में हमें केवल ३७ करोड़ रुपये ही प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार से सेविंग्स बैंक में पिछले दो सालों में किसी प्रकार की बढ़ती होने के बजाय कमी ही होती चली गई है। सब ओर कमियां होने का कारण तथा लक्ष्य को प्राप्त न कर सकने का कारण यही हो सकता है कि कीमतों में वृद्धि होने के कारणों की क्रय-शक्ति कम हो गई है और क्रय-शक्ति कम होने की वजह से वे कम बचा पाये हैं।

†मूल अंग्रेजी में

इस प्रकार हमारी आर्थिक स्थिति बजाय सुधरने के, ऐसा मालूम होता है कि, खराब होती चली जा रही है। एक तरफ तो सेविंग्ज़ को यह हालत है और दूसरी तरफ हमारा जो खर्चा है वह बढ़ता चला जा रहा है। हमने कर तो अधिक से अधिक लगा रखे हैं, दुनिया के जो दूसरे देश हैं और जिन्होंने अधिक से अधिक कर लगा रखे हैं, उन्हीं को तरह से हमारे देश में भी कर लगे हुए हैं और दूसरो तरफ ऋण प्राप्त करने को वह हालत है जो मैं अभी बयान कर चुका हूं। इस स्थिति में से निकलने के यही उपाय हो सकते हैं कि या तो हम विदेशों से रुपया लें या फिर डिफिसिट फाइनेंसिंग की शरण लें जैसा कि हम दो वर्षों से लेते आ रहे हैं। पिछले दो वर्षों में हमने ५०० करोड़ से ऊपर और ६०० करोड़ के करीब डिफिसिट फाइनेंसिंग किया। सरकार का १२०० करोड़ का डिफिसिट फाइनेंसिंग दूसरे प्लान में करने का विचार है। लेकिन जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है और इस ओर आपका ध्यान भी दिलाया है अगर इसको हम बढ़ाते चले गये तथा कर्ज़ों को मियाद पूरी हो गई तो हमारी स्थिति और भी खराब हो जायेगी। हम इसको और अधिक नहीं बढ़ा सकेंगे। जहां तक ऋण की बात है वह भी इस वर्ष जितना हम चाहते थे उतना हमको नहीं मिला है। आखिरी तरीका डिफिसिट फाइनेंसिंग का है और यदि हमने इसकी शरण ली तो स्थिति सुधरेगी नहीं, कीमतें बढ़ जायेंगी और इससे स्थिति में सुधार होने के बजाय बिगाड़ ही अधिक होगा। इसलिये अच्छा तो यही तरीका है कि खर्चे को घटाने का प्रयत्न किया जाये और केवल वही खर्चा किया जाय जो जरूरी है। एक माननीय सदस्य ने कहा कि पांच परसेंट या दस परसेंट एक दम इसको घटा दिया जाये। इस तरह से आर्बिट्रेरीली इसको घटाना तो ठीक नहीं होगा लेकिन जैसे कि आपने हाई पावर कमेटी प्लांड प्राजैक्ट्स के बारे में बनाई है और नान-प्लान्ड प्राजैक्टस के बारे में फाइनेंस डिपार्टमेंट में एक रिआर्गेनाइज़ेशन कमेटी है, उसी तरह से खर्चा कम करने के लिये अगर ज्यादा से ज्यादा कोशिश की जाये, तो अच्छा होगा। अभी तक मुझे पता नहीं है कि इनके द्वारा कितना खर्चा कम हुआ है लेकिन अधिक से अधिक प्रयत्न खर्चे को कम करने के अवश्य किये जाने चाहियें। यदि खर्चे को कम नहीं किया गया तो जो हमारी आर्थिक विकास की योजनायें चल रही हैं या दूसरी योजनायें चल रही हैं, उनको पूरा करने में आपको सफलता नहीं मिलेगी और हमारी आर्थिक दशा भी नहीं सुधर सकेगी। इस लिये इस तरफ ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता मालूम होती है।

एक बात जिस की तरफ मैं खास तौर पर ध्यान दिलाना चाहता हूं, यह है कि गवर्नमेंट के जो भिन्न भिन्न विभाग हैं, जब तक उन में अच्छी तरह से कोआर्डिनेशन अर्थात् सहयोग नहीं होगा तब तक न तो प्लैनिंग ठीक तरह से चल सकती है और न हमारी योजनायें ठीक से चल सकती हैं जो कि हमारे देश में चल रही हैं। इसी तरह से हमारे कम्यूनिटी प्रोजेक्ट विभाग के सम्बन्ध में भी कहा जाता है और यहां भी कहा गया है कि बहुत सारे विभागों में आपस में सहयोग नहीं है। लेकिन जहां तक कम्यूनिटी प्रोजेक्ट का सम्बन्ध है, यह खुशी की बात है कि वहां अब एक कमेटी बन गई है जो कि एक तरफ खादी कमिशन से, दूसरी तरफ कम्यूनिटी प्रोजेक्ट मंत्रालय है उस से और तीसरी तरफ जो उद्योग विभाग का मंत्रालय है उससे सम्बन्ध रक्खेगी और उन सब को मिला कर जब वह काम करेगी तब सारा कार्य ठीक तरह से हो सकेगा, वर्ना अगर हर विभाग अलाहदा अलाहदा कार्य करेंगे तो न तो सब का सहयोग मिल सकेगा और न कार्य ही ठीक से चल सकेगा। जिस प्रकार से कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स के सम्बन्ध इस प्रकार की कमेटी बना कर और तीनों विभागों को मिला कर उन के सहयोग से काम चलाने का प्रयत्न किया गया है उसी प्रकार से दूसरे विभागों को भी, जहां जरूरत हो, मिलाने का प्रयत्न किया जाय तो उन के आपस के सहयोग से काम ठीक तरह से चल सकता है। कम्यूनिटी प्रोजेक्ट्स के सम्बन्ध में

[श्री राम शरण]

यह देखने में आता है कि सब से नीचे काम करने वाला ग्राम सेवक है, उसके ही पास गांव की जो आर्थिक समस्यायें हैं या दूसरी दिक्कतें हैं आती हैं। लेकिन यदि उस का सम्बन्ध वहां के रेवेन्यू विभाग से अच्छा न हो, हालांकि सारी चीज़ें उस के पास आती हैं, लेकिन शिकायतों को दूर न करने के कारण उस का कोई असर नहीं पड़ता है और एक बड़ी कमी यह आ जाती है कि उसके प्रति लोगों में अश्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। इस वास्ते यह जरूरी है कि वहां पर उस का सम्पर्क ग्राम लोगों से हो। पर जब तक ग्राम सेवक का सम्बन्ध वहां के रेवेन्यू विभाग से नहीं होगा, उस के साथ सम्पर्क और सहयोग नहीं होगा, तब तक गांवों में उस के काम करने का जो ढंग है वह सफल नहीं होगा ।

जहां तक आर्थिक नीति का सवाल है यह सब से महत्व का प्रश्न है कि हमारी आर्थिक नीति कैसी होनी चाहिये। इस के विषय में माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार प्रकट किये हैं। हमारी आर्थिक नीति मिश्रित नीति कहलाती है। मिश्रित आर्थिक नीति का मतलब यह है कि एक तरफ तो बड़े बड़े उद्योग भी चलते हैं, दूसरी तरफ छोटे उद्योग भी चलते हैं, इस के अलावा घरेलू उद्योग और ग्रामोद्योग भी चलते हैं। जब तक सब का आधार ठीक प्रकार से न हो, जब तक हमारी आर्थिक नीति स्पष्ट न हो, तब तक सब का एक साथ चलना बड़ा कठिन होगा। मिसाल के तौर पर कंज्यूमर्स गुड्स में कपड़े को ले लीजिये। इसके लिये एक तरफ मिल भी काम करती है, दूसरी तरफ अम्बर चर्खा से भी काम लिया जाता है, तीसरी तरफ हैंडलूम भी कार्य कर रहा है। जब तक हर एक के बारे में हमारी नीति स्पष्ट नहीं होगी तब तक तीनों के प्रयत्न ठीक से नहीं चल सकेंगे। जब तक उन में स्पर्धा न हो, अर्थात् ऐसी योजनायें न हों, जिन में अधिक से अधिक आदमी लग सकते हैं या अधिक से अधिक काम मिल सकता है, यानी जब तक एक प्रकार से हमारी आर्थिक नीति स्पष्ट न हो, जब तक इस प्रकार की आर्थिक नीति न हो जिस से कि अधिक से अधिक आदमी एक तरफ काम पर लग सकें और दूसरी तरफ देश सांस्कृतिक और सामाजिक स्थिति का विचार रख सके, तब तक हम जिस प्रकार की तरक्की देश की करना चाहते हैं, वह नहीं कर सकेंगे। मेरा यह विचार है और चूंकि नये वित्त मंत्री महोदय का इस तरफ ध्यान है, इसलिये उन से प्रार्थना करना चाहता हूं कि वे भिन्न भिन्न प्रकार के विभागों में और भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ों में ऐसी नीति अपनायें जिस से स्पष्ट तौर पर विदित हो जाय कि हमारी आर्थिक नीति क्या है, और हिन्दुस्तान की आर्थिक नीति वही होनी चाहिये जिस से बेरोजगार लोगों को काम मिल सके, और वे अच्छी तरह से रह सकें। उन्हें खाना, कपड़ा, मकान, निःशुल्क शिक्षा और खेल कूद की चीज़ें उपलब्ध होनी चाहियें। जो भी एक व्यक्ति की जरूरियात की चीज़ें हैं, कम से कम उतनी चीज़ें जब तक उनके लिये उपलब्ध नहीं होंगी तब तक साधारण व्यक्ति को सुख नहीं मिलेगा। साधारण व्यक्ति से मतलब है वह व्यक्ति जो गांव में रहता है, इस तरह का व्यक्ति जो कि अन्तिम हो। हमारे देश का अन्तिम व्यक्ति वह है जो ऐसे समुदाय से आता है जिस के पास साधन नहीं हैं और साधन न होने की वजह से योजना के अन्तर्गत जो बहुत सारी रियायतें हैं वे भी उन को उपलब्ध नहीं होती हैं क्योंकि उन के पास जमानत देने के लिये कोई चीज नहीं है। उन के पास इस तरह के कोई साधन नहीं हैं, सिवा इस के कि उन के पास अपनी साख है, यदि साख पर उस को मदद की जायेगी तभी उस का भला होगा। कोई दूसरा यदि उस के लिये जमानत नहीं देता है तो वह इस तरह की रियायतों का उपभोग नहीं कर सकेगा। इसलिये इस अन्तिम व्यक्ति की तरफ ध्यान दे कर, जो कि देहात में रहता है, और ऐसों की संख्या बहुत अधिक है, अगर हम अपनी आर्थिक नीति नहीं बनायेंगे तो देश का निर्माण होना कठिन जान पड़ता है।

†डा० कृष्णस्वामी (चिंगलपट): उपाध्यक्ष महोदय, इस बात से सभी सहमत होगे कि हम इस समय बड़ी विकट वित्तीय स्थिति का सामना कर रहे हैं। गत २० मास में हमारी जो नीति रही है उसने हमारी स्थिति और भी खराब कर दी है। वित्तीय नीति के मूल आधारों की ओर आने से पूर्व मैं दो बातों पर विचार करना चाहता हूं।

डा० सुब्बारायन ने हथकरघा उद्योग का उल्लेख किया। हम सब चाहते हैं कि कपड़े पर उत्पादन शुल्क में कमी हो, परन्तु ऐसा करने से पूर्व हमें हथकरघा उद्योग के लिये कुछ रियायत लेनी ही होगी। केवल ो मास के लिये आ आने की अतिरिक्त छूट दे से कोई लाभ नहीं ोगा। हमें सके लिये कोई स्थायी व्यवस्था करनी होगी।

विकास छूट के बारे में मैं जानना चाहता हूं कि इस छूट द्वारा हमें क्या लक्ष्य पूरा करना है? इस प्रकार की छूट विशेष कठिनाइयों को दूर करने के लिये ही दी जाती है। यह जरूरी नहीं कि इस विकास छूट के सारे लाभ को एक ही वर्ष में प्रयोग कर लिया जाय। ऐसी हालत में यह सुझाव देना बिलकुल गलत होगा कि विशेष वर्ष में विकास छूट से ५० तिशत कर की बचत हो जायगी। काफी तीव्रता से विस्तार करने वाले समवाय इस विकास छूट का समुचित लाभ नहीं उठा पायेंगे।

इस स्थिति में दो सुझाव अपने माननीय मित्र के समक्ष रखता हूं। खण्डों को प्रस्तुत करते समय वह इन पर विचार कर सकते हैं। एक सुझाव तो यह है कि समुचित लाभांश की घोषणा के अनुसार ही किसी विशेष वर्ष में विकास छूट की राशि निकाली जा सके ऐसे नियम बनाये जायें। एक अन्य हलका सा सुझाव यह है कि कर निर्धारण कर वाले पदाधिकारी को यह अधिकार दे दिया जाय कि यदि स्पष्टतः उसे यह मालूम हो कि इस छूट का उपयोग लाभांश बढ़ाने के लिये किया जा रहा है तो वह इस रियायत को बन्द कर दे। किसी भी वर्ष में उद्योग में लगी पूंजी पर या पिछले ३ वर्षों में दिये गये लाभांशों पर दोनों में जो अधिक हो—६ प्रतिशत देने के बाद विकास छूट की शेष राशि स्थायी मानी जायेगी। इस प्रकार अधिक लाभांश की घोषणा पर रुकावट हो जायगी और उद्योग के हितों को भी लाभ होगा। विकास छूट देने या न देने का अधिकार सरकार को स्वयं अप हाथ में रखना चाहिये। अधिक से अधिक हजार या दो हजार समवायों को यह छूट दी जा सकेगी और यदि सरकार देखे कि छट का दुरुपयोग हो रहा है तो वह इसे बन्द कर दे।

आज हमारे सामने मुख्य प्रश्न यह है कि क्या हम कराधान के सम्बन्ध में उचित पद्धति का अनुसरण कर रहे हैं? क्या कर व्यवस्था ऐसी है कि राष्ट्रीय उत्पादन का अधिक से अधिक लाभ उठाया जा सकता है और राष्ट्रीय उत्पादन की वृद्धि को भी प्रोत्साहित कर सके? क्या हमारी कर व्यवस्था उस सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप है जो कि हमारे संविधान के निदेशिक तत्वों में उल्लिखित है अर्थात् समाजवादी समाज की व्यवस्था। और यह अन्तिम बात सब से अधिक महत्वपूर्ण है। हमारा लक्ष्य समाज के उस आदर्श की ओर है जहां आय, धन और अवसर सम्बन्धी विशेषतायें बिलकुल समाप्त हो जायेंगी। इन सब बातों को समक्ष रख कर यदि हम गत २० मास की नीति का परीक्षण करें तो हमें पता चलेगा, कि हम ठीक दिशा की ओर नहीं बढ़े हैं। हमारा देश संसार का पहला देश है जिसने कालडोर की प्रस्थापनाओं को पूर्णतः स्वीकार किया है। पर कालडोर के सिद्धांतों के बिलकुल विपरीत काम किया जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० कृष्णस्वामी]

कालडोर को विचार था कि व्यय कर और धन कर बहुत अधिक प्रगतिशील उपरिकर का स्नानापत्र होना चाहिये । दान कर सम्पदा शुल्क के स्थान पर होना चाहिये था पर हमारे यहां दोनों कर हैं । समवायों पर धन कर लगाने का तो कालडोर ने कभी विचार भी नहीं किया था। हमने अपने वित्त अधिनियमों में बिना कुछ सोचे विचारे सभी बातें ठूस दी हैं ।

इस नीति का परिणाम यह हुआ है कि हमारी कर व्यवस्था में ऐसी कोई विशेषता नहीं रही, जिसका श्री कालडोर दावा करते थे । इससे हमारे देश में उपक्रम की भावना दब गई है और हमारी अर्थ-व्यवस्था को काफी हानि पहुंची है । गैर-सरकारी क्षेत्र के विकास में काफी बाधायें खड़ी की गई हैं । हमारे ९६ प्रतिशत उद्योग गैर-सरकारी हाथों में हैं और यदि हम सरकारी क्षेत्र का उत्पादन दोगुना और बढ़ा दें तो भी यह उसका एक छोटा अंश ही होगा । हमें नारेबाजी में न पड़ कर बड़ी गम्भीरता से स्थिति पर विचार करना है । हमें सरकारी और गैर-सरका ी का विचार छोड़ इस बात का ध्यान रखना है कि हमारी अर्थ व्यवस्था के विकास को कोई हानि तो नहीं पहुंच रही है । सी दृष्टिकोण से हमें अपने सभी कृत्यों का निर्णय करना चाहिये ।

हमारी कर व्यवस्था ऐसी है कि किसी को प्रेरणा मिल ही नहीं सकती । इस बात का हमने गम्भीरता से प्रयत्न ही नहीं किया कि नये करों को कार्यान्वित करने के लिये कोई अपेक्षित प्रशासनिक ंचा तैयार किया जाय । यह बात भी ठीक है कि पुराने वातावरण को छोड़ कर नये वातावरण के अनुकूल होने में कुछ कठिनाइयां तो आयेंगी ही, परन्तु दुःख है कि हम कठि-नाईयों को दूर करने के लिये हाथ-पैर भी नहीं हिलाते । जिन साधनों से आराम से कुछ कर एकत्रित हो जाता है हम उसी पर सन्तोष कर रहे हैं । अन्यथा समवायों पर धन कर का कोई औचित्य सिद्ध नहीं हो सकता । हम समाजवादी समाज की बातें करते हैं परन्तु हम यह अनुभव नहीं करते कि इस प्रकार सरलता से कर इकट्ठा करने से इस लक्ष्य की पूर्ति में कोई सहायता नहीं मिलेगी ।

यदि हम चाहते हैं कि लोगों का दृष्टिकोण बदले तो हमें कर संग्रह के ंचे आदि में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन करना चाहिये । विकसित अर्थ व्यवस्था के लिये सुसंगठित व सुप्रशिक्षित प्रणाली अपेक्षित है । क्या इस काम के लिये योग्य कर्मचारियों को भर्ती करने और इस प्रकार की ऊंची जिम्मेदारियों का पालन करने के सम्बन्ध में उन्हें प्रशिक्षित करने की किसी व्यवस्था का आपने प्रबन्ध किया है ? मेरे विचार से इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है । नये वित्त मंत्री महोदय को इस ओर ध्यान देना चाहिये । सब से भयावह बात यह है कि आज तक किसी जिम्मेदार मंत्री अथवा अन्य किसी जिम्मेदार व्यक्ति ने यह बात नहीं कही कि वर्तमान कर पद्धति अस्थायी है और भविष्य में नई पद्धति को जिसे श्री कालडोर ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है, लागू करने के लिये कदम उठाये जायेंगे । मेरा विश्वास है कि यदि मंत्री उस न ी पद्धति को लागू करने के लिये नयी नीति को निश्चित करेंगे तो केन्द्रीय राजस्व बोर्ड नयी व्यवस्था को लागू करने के लिये कोई न कोई हल निकाल ही लेगा । आज की अवस्था जारी रही तो देश की अर्थ व्यवस्था खराब हो जायगी । देश में कार्य कर रहे ३०,००० समवायों की संख्या तीव्र गति से कम हो जायेगी ।

हमें अपनी कर व्यवस्था का पुनरीक्षण करना चाहिये, और अब वह समय आ गया है कि देश का नये ढंग से और समुचित नेतृत्व किया जाय । आशा है कि हमारी बात का ध्यान रखते हुए नये वित्त मंत्री ऐसे कदम उठायेंगे जिससे संसद में जिम्मेदारी और एकसूत्रता का वातावरण उत्पन्न हो ।

†डा० सुशीला नायर (झांसी) : मैं आर्थिक मामलों की विशेषज्ञ तो नहीं हूं परन्तु सामान्य व्यक्ति की दृष्टि से मैं कुछ विचार व्यक्त करूंगी । अभी श्री कृष्णस्वामी ने कहा है कि वर्तमान कराधान व्यवस्था देश में प्रेरणा को समाप्त कर रही है और लोग अधिक कमाने की ओर प्रोत्साहित नहीं हो रहे हैं । संविधान के जिन निदेशक तत्वों का उल्लेख उन्होंने किया है, उनके अनुसार हमें उत्पादन को बढ़ा कर देश की समृद्धि बढ़ाने के साथ साथ यह भी देखना है कि अर्जित धन का सब में समान रूप से वितरण हो । हमने अपने समक्ष निश्चित रूप में समाजवादी समाज की रचना का लक्ष्य रखा है । उस लक्ष्य की दृष्टि से यदि सरकार की नीति का परीक्षण किया जा तो यह ठीक ही सद्ध होती है ।

हमें नया दृष्टिकोण भी अपनाना होगा । पुरानी प्रेरणाओं को भी बदलना होगा, जिसका लक्ष्य केवल मात्र धन एकत्रित करना ही रहा है । अब हमारी प्रेरणा का लक्ष्य राष्ट्र को समृद्ध और सुखी बनाना, और देश से गरीबी ओर अज्ञानता को दूर करना होना चाहिये । इससे धनी लोगों का भी लाभ है, क्योंकि धन की रक्षा की निरन्तर लगी रहने वाली चिन्ता से उनको भी छुटकारा मिल जायगा । आज संसार में जो असन्तोष और गड़बड़ दिखाई देती है इसका एकमात्र कारण आर्थिक विषमता है । इसी कारण विश्व शान्ति और मानवता का भविष्य खतरे में है ।

श्री मसानी ने नये उपक्रमों को दस वर्ष तक न बेचने की रोक को हटाने के लिये कहा है । उन्हें ध्यान रखना चाहिये कि छोटे उपक्रमों के लोग जब यह देखते हैं कि उन्हें अब कर देना होगा तो वे अपने उपक्रम को किसी के हाथ बेच देते हैं । इस प्रकार कर अपवंचन किया जाता है । ७५ टन वनस्पति उत्पादन पर कोई उत्पादन शुल्क नहीं लगता । कई बार जब उत्पादन ७५ टन से आगे बढ़ने लगता है तो उपक्रम का नाम भी बदल दिया जाता है या उसे बेच दिया जाता है । इस पर उपक्रमों के विक्रय पर सरकार को रोक लगाना चाहिये ।

मैं इस मामले में सहमत हूं कि कर संग्रह व्यवस्था का पुनर्गठन होना चाहिये । इस विभाग में सत्यनिष्ठ व्यक्तियों को बहुत ही परेशानी उठानी पड़ती है । यहां ऐसे कर्मचारियों की भर्ती करना चाहिये जो ठीक ढंग से इस कार्य को करें । इन लोगों का वेतन इत्यादि भी अच्छा होता चाहिये ताकि वे किसी लालच की ओर आकृष्ट न हों । इसके अतिरिक्त कर संग्रह करने वालों को , जहां तक संभव हो, छोटी-मोटी छूट देने के अधिकार भी दिये जाने चाहियें । इससे ईमानदार नागरिकों की बहुत सी कठिनाइया दूर हो जायेंगी ।

आय कर से छूट की दर में भी वृद्धि होनी चाहिये । आज की अवस्था में २५० रु० प्रतिमास की सीमा, उचित नहीं कही जा सकती । अच्छा तो यह है कि लघु बचत की ओर लोगों को प्रेरित किया जाये और इस सम्बन्ध में श्री बिमल घोष का सुझाव ठीक है कि इस लघु बचत योजना में ब्याज की दर ४ के स्थान पर ६ प्रतिशत होनी चाहिये । इस ढंग से वित्त मंत्री महोदय को अधिक धन उपलब्ध हो सकेगा । इसके साथ ही आय कर के सम्बन्ध में विवाहित और अविवाहित का जो भेद-भाव है उसे भी हटाया जाना चाहिये । इसके अतिरिक्त, बच्चों के लिये जो छूट दी गई है, वह भी काफी नहीं है । प्रत्येक बच्चे के लिये १२०० पया वार्षिक तक की छूट होनी चाहिये ।

वित्त मंत्री का सब से बड़ा कार्य यह है कि राजस्व द्वारा अधिक से अधिक धन एकत्रित करके उसे देश के कल्याण के लिये बुद्धिमत्ता से व्यय किया जाय । इसी कारण योजना आयोग का निर्माण किया गया है जो दर की प्राथमिकता और दिशाओं का निणय करती है । परन्तु कई बार

†मूल अंग्रेजी में

[डा० सुशीला नायर]

देखा गया है कि वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि व्यय के मार्ग में अधिक से अधिक अनुचित रुकावट पैदा कर देता है। द्वितीय योजना में शिक्षा मंत्रालय के लिये ११०० करोड़ की मांग थी। इसे काट कर ३०७ करोड़ किया गया जो कि पांच वर्षों में खर्च किया जाना है। अभी तक दो वर्षों में केवल ६५ या ६६ करोड़ रुपया ही खर्च किया गया है। इसका कारण यह है कि वित्त मंत्रालय हर अवस्था में प्रत्यक प्रकार के व्यय पर आपत्ति करता रहता है। इससे स्वीकृत खर्च का भी अपेक्षित लाभ समुचित रूप में प्राप्त नहीं हो सकता।

दूसरी बात यह है कि इस मामले में बहुत ही गलतफहमी है कि केवल धन प्राप्त करने वाली चीज ही महत्वपूर्ण होती हैं। परन्तु अब तो हमें 'समाज सेवाओं' जैसी सेवाओं का भी ध्यान रखना है ताकि हमारे देश की समृद्धि बढ़ सके। इसलिये हमें शिक्षा और स्वास्थ्य के मामलों को भी महत्वपूर्ण स्थान देना होगा। वित्त मंत्री को यह गलतफहमी यथासम्भव शीघ्र ही दूर करने का यत्न करना चाहिये। समाज सेवाओं के अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, आदिम-जातियों तथा श्रमिकों का कल्याण, पुनर्वास, गंदी बस्तियों की सफाई इत्यादि सभी प्रकार की सेवाएं आ जाती हैं। परन्तु इन पर कुल १९ प्रतिशत रखा गया है। प्रतिरक्षा पर हम ४५ प्रतिशत खर्च कर रहे हैं, परन्तु हमें भूलना नहीं चाहिये कि वास्तविक प्रतिरक्षा तो देश की जनता है। उनके नैतिक विकास और आत्म विश्वास से ही देश की रक्षा सम्भव हो सकेगी। इसी भावना से ही हमने अहिंसा के मार्ग पर चल कर भारत को स्वतन्त्र किया है। हमें अपने देश और उसकी स्वतन्त्रता की रक्षा करनी है, इस भावना को जागृत करने के लिये हमें देश के मानव तत्वों और संसाधनों का विकास करना होगा। देश का धन खर्च करके केवल विदेशों से शास्त्र मंगवाने से ही कोई लाभ नहीं होगा।

†**आर्थिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)**: मैं, श्री अशोक मेहता तथा विरोधी पक्ष के कुछ अन्य सदस्यों द्वारा उठाई गई बातों को स्पष्ट करने का प्रयत्न करूंगी। आय-व्ययक के वाद-विवाद में श्री अशोक मेहता ने कहा कि मूल्यों के सम्बन्ध में सरकार की कोई नीति नहीं है इस गलत फहमी को स्पष्ट करना मैं अपना कर्त्तव्य समझती हूं। माननीय सदस्य का कहना है कि सरकार की कोई मूल्य नीति नहीं है और एक अच्छी नीति निर्धारित की जानी चाहिये विशेषकर कृषकों के लिये, और संसाधनों का विकास करने से योजना को भी लाभ होगा। इस बात में कोई मतभेद हो ही नहीं सकता कि हमें कीमतों के सम्बन्ध में वैज्ञानिक आधार पर नीति निर्धारित

[**श्री पट्टाभिरामन** पीठासीन हुये]

करनी चाहिये और केवल कृषि क्षेत्र के लिये ही नहीं, प्रत्युत हमारी अर्थ व्यवस्था के सभी क्षेत्रों के लिये एक वैज्ञानिक मूल्य नीति होनी चाहिये। मैं श्री अशोक मेहता की इस बात से सहमत हूं कि कीमतों में समय-समय पर जो उतार-चढ़ाव होता रहता है, उसे रोकना बहुत महत्वपूर्ण है, परन्तु वे भी इस बात से सहमत होंगे कि किसानों की आय में कुछ अन्तर तो आयेगा ही। यह अपरिहार्य है, क्योंकि फसलों के सम्बन्ध में कोई भविष्यवाणी करना सम्भव नहीं हो सकता। यह ठीक है कि हमें मूल्यों का उतार चढ़ाव, जहां तक सम्भव हो, कम करना होगा, और इसके लिये समुचित खरीद और सग्रह सम्बन्धी कदम उठाये जायेंगे। इसके लिये दो मत नहीं हो सकते हैं कि इस मामले का समर्थन करके हमारे अर्थ विशेषज्ञों, श्री अशोक मेहता और श्री रंगा, ने अच्छा काम ही किया

†मूल अंग्रेजी में

है। श्री रंगा ने किसानों की हानि के सम्बन्ध में कुछ आंकड़े भी प्रस्तुत किये। आय-व्ययक विवाद में उन्होंने दो आंकड़े प्रस्तुत किये। उन्होंने बताया कि १००० करोड़ से लेकर १५०० करोड़ तक की हानि हुई है। शायद वह यह निर्णय नहीं कर सके कि इस सम्बन्ध में १००० करोड़ का आंकड़ा सही है या १५०० करोड़ का आंकड़ा। इस लिये, यह आवश्यक है कि इस मामले का पूरा परीक्षण किया जाय मैं श्री अशोक मेहता की इस बात का पूरा विश्लेषण करूंगी।

शायद श्री मेहता ने कृषि क्षेत्र के उत्पादन की उस कीमत को लिया है जो कि प्रथम योजना के आरम्भ में विद्यमान कीमत थी। अर्थात् १९५०–५१ की कीमत के आधार पर उन्होंने अन्दाजा लगाया है और उस वर्ष के उत्पादन को वर्षों को संख्या से गुणा करके प्रत्येक वर्ष के उत्पादन को उसमें से घटा कर हानि का हिसाब लगाया है। नीचे किसानों की कुल आय का विवरण दिया जाता है :—

	करोड़
१९५०–५१ . . .	४८.९०
१९५१–५२	५०.२०
१९५२–५३	४८.१०
१९५३–५४	५३.१०
१९५४–५५	४३.५०
१९५५–५६	४५.३०

जो कुछ ऊपर कहा गया है उसके आधार पर १९५१-५२ से लेकर १९५५-५६ तक १०८० करोड़ की कमी रही और यदि १९५१ की चालू कीमतें वैसी ही रहतीं तो यह कमी न होती। इसी आधार पर श्री अशोक मेहता ने अपनी युक्ति दी है। यह ठीक है कि अनुमान देखने में ठीक लगता है, परन्तु यह हिसाब लगाने में उन्होंने जिस बात की उपेक्षा की है, उसे मैं सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूं। यह बात तो प्रकट ही है कि १९५१-५२ में कृषि सम्बन्धी कीमतें बहुत ही ऊंची थीं। उस वर्ष का खाद्य वस्तुओं का सूचनांक ३९८.६ और कच्चे मालों का सूचनांक ५९१.९ और सामान्य सूचनांक ४३४.६ था।

परन्तु अशोक मेहता समिति ने अथवा देश के किसी भी अन्य अर्थ-शास्त्री ने यह सुझाव नहीं दिया कि कृषकों अथवा कृषि क्षेत्र की अर्थ-व्यवस्था के लिए १९५१-५२ का मूल्य स्तर ही ठीक स्तर होगा। और मुझे याद है कि सारे देश में यह मांग की गई थी कि मूल्यों के स्तर को कम किया जाय। १९५६-५७ में कृषि उत्पादों के मूल्य में पुनः वृद्धि हो गई। इसलिये यदि हम श्री अशोक मेहता की दलील को मान भी लें तो जो १०८० करोड़ का घाटा हुआ था उसमें से ६७० करोड़ रुपये की पूर्ति हो गई क्योंकि इस वर्ष मूल्यों में फिर वृद्धि हो गई है।

तथापि अशोक मेहता ने इस महत्वपूर्ण बात की ओर ध्यान नहीं दिया कि कुल कितने कृषि उत्पाद की बिक्री हुई। वह विद्वान अर्थ-शास्त्री हैं और इस बात को भली प्रकार जानते हैं कि ५० प्रतिशत से अधिक कृषि उत्पाद की बिक्री नहीं होती है, ५० प्रतिशत स्वयं उपभोग इत्यादि के लिये रख लिया जाता है। अतः इस अंश पर कीमतों के परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं होता है और इस पर होने वाली हानि भी गणित तक ही सीमित है। श्री अशोक मेहता ने कुल घाटे का हिसाब लगाया है।

[श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा]

इसलिये १६५२ के अंकों की तुलना का आधार मानने पर कृषि क्षेत्र को होने वाली कुल आय इस प्रकार है :—

१६५१-५२	२१० करोड़ रुपये
१६५३-५४	५०० करोड़ रुपये
१६५४-५५	४६० करोड़ रुपये
१६५५-५६ . . .	२८० करोड़ रुपये
१६५६-५७	८८० करोड़ रुपये

अर्थात् १६५२-५३ के आंकड़ों को आधार मान कर कृषि क्षेत्र में प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि में कुल ३० करोड़ का घाटा हुआ । उसी आधार पर कृषकों को १६५६-५७ में ८५० करोड़ रुपये की आय हुई । लेकिन यदि आप यह निश्चय करें कि वास्तविक आय का एक उचित प्रतिशत कृषि क्षेत्र को जाना चाहिये तो यह आपको अन्यथा ज्ञात होगा । श्री अशोक मेहता ने भी खाद्यान्न जांच समिति के सभापति के रूप में यह सुझाव नहीं दिया है कि १६५२-५३ के मूल्य स्तर को मापदंड के रूप में माना जाय । इसलिये वास्तविक महत्व की बात मूल्यों में कमी या वृद्धि होना नहीं है अपितु यह है कि व्यापार के लिये कितनी मात्रा का परिवहन हुआ । मैंने इसका हिसाब लगाया है । यदि हम व्यापार से प्राप्त होने वाली आय और कृषि की वास्तविक आय के बीच हिसाब लगायें तो १६४८-४६ की तुलना में कृषकों की आय १६५१-५२ से १६५५-५६ तक इस प्रकार थी ।

४७००.१ करोड़, ४६००.६ करोड़, ५१००.३ करोड़, ४३००.३ करोड़ और ४५००.२ करोड़ ।

उक्त आंकड़ों से कृषकों की क्रय शक्ति में परिवर्तन ज्ञात होता है और हम कह सकते हैं कि कृषि को आपेक्षित मूल्यों में परिवर्तन के फलस्वरूप १६४८-४६ की अपेक्षा प्रथम पंचवर्षीय योजना में ६६० करोड़ रुपये की हानि हुई । किन्तु १६५६-५७ में ४७० करोड़ रुपये का लाभ हुआ । इसलिये इन आंकड़ों के आधार पर कृषि क्षेत्र को कोई विशेष हानि नहीं हुई । मैं एक दूसरी बात भी कहना चाहूंगी । सभा में जिन हानियों का उल्लेख किया गया है उनसे हमारी अर्थ-व्यवस्था को कोई वास्तविक हानि नहीं हुई है । १०५० करोड़ रुपये यों ही खतम नहीं हो सकते हैं । राष्ट्रीय आय बढ़ गई है । यदि एक क्षेत्र की आय में कमी हुई होगी तो दूसरे क्षेत्र की आय अवश्य बढ़ी होगी । मैं यह बात मानने को तैयार नहीं हूं कि इस से राष्ट्रीय आय में कोई वृद्धि नहीं हुई है । विक्रय शक्ति का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानान्तरण करने की आवश्यकता हो सकती है तथापि राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई है इसलिये सभी क्षेत्रों को इससे लाभ हुआ है ।

मैं इससे सहमत हूं कि ग्रामीण बचत का उपयोग किया जा सकता है । मैं श्री अशोक मेहता की इस बात से सहमत नहीं हूं कि मूल्य वृद्धि या मूल्य परिवर्तनों से ग्रामीण बचत में प्रभाव होता है । वस्तुतः हमें कृषकों को बचाने की क्षमता और लघु बचतों की वृद्धि करने का प्रयास करना चाहिये । तथापि मेरे विचार से मूल्य परिवर्तन से लघु बचत में कोई प्रभाव नहीं होता है ।

साम्यवादी दल के सदस्यों ने पुरजोर यह बात कही है कि विदेशी व्यक्तियों द्वारा विनियोजन को प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिये । श्री नागी रेड्डी ने चुनौती दे कर यह बात कही है कि किसी देश को विदेशी विनियोजन से लाभ नहीं हुआ है । मैं भी चुनौती दे कर कह सकती हूं कि किसी भी अविकसित देश का विकास इसके बिना संभव नहीं हो सका है । स्वयं अमेरिका के विकास में उस

पूंजी से बहुत सहायता मिली थी जो प्रव्रजक लोग अपने साथ गये या ब्रिटेन या अन्य पश्चिमी देशों ने वहां विनियोजित की। कनाडा का विकास भी अमेरिका और पश्चिमी यूरोपीय देशों की पूंजी के द्वारा ही संभव हो सका है। न्यूयार्क टायम्स में उल्लिखित गोर्डन रिपोर्ट में कहा गया है कि समिति ने सिफारिश की है कि "वे अमरीकी पूंजी का आगमन नहीं रोकेंगे क्योंकि पूंजी का आगमन देश के गतिशील विकास के लिये बहुत आवश्यक है" उस समिति ने कुछ परिमाण रखे थे। वे हमारे द्वारा निश्चित परिमाणों की तुलना में कुछ नहीं थे। उन्होंने मुख्य तीन परित्राण रखे थे। कि बन्ध पत्रों तथा बन्धकों में विदेशी विनियोजन का अधिक अंश होना। कनाडा की पूंजी और हितों के साथ विदेशी पूंजी विनियोग को सम्बद्ध करना, कनाडा के व्यापार, वित्तीय हितों तथा जीवन बीमा निगमों के नियंत्रण पर आश्वासन।

हमने विदेशी विनियोजन के सम्बन्ध में अधिक कड़े परित्राण रखे हैं मुझे विश्वास है कि इससे हमारे हितों पर आघात नहीं होगा।

दक्षिणी अमेरिका के देशों में पर्याप्त विदेशी राशि का विनियोजन हुआ है और उन्होंने अपने विकास के लिये पर्याप्त विदेशी ऋण भी लिया है। दक्षिण अमेरिका में विनियोजित अमेरिकी पूंजी की राशि १९४३ में २८ अरब थी वह बढ़ कर १९५५ में ६६ अरब हो गई। इस में कोई संदेह नहीं किया जा सकता है कि पिछले वर्षों में दक्षिणी अमेरिका के देशों में अत्यधिक उन्नति हुई है।

अब मैं रूस का मामला लेती हूं। एक विश्लेषण के अनुसार अक्टूबर की क्रांति के पश्चात् रूसी सरकार ने विदेशों से ऋण लेने का प्रयत्न किया। लेकिन क्योंकि रूसी सरकार ने पिछले ऋण नहीं चुकाये थे, इससे उनके प्रयत्न सफल नहीं हुए। इसलिये उन्होंने तरकीब ढूंढने के लिये एक आयोग नियुक्त किया। उन्होंने यह निश्चय किया कि रूस में पूंजी को आकर्षित करने के लिये विदेशी पूंजी विनियोजकों को रियायतें दी जांये। यह उद्धरण मैं रूस की अर्थ-व्यवस्था सम्बन्धी एक बहुत बड़े लेखक हैरी स्वाज़ से दे रही हूं। १९२० में रूस ने सभी उद्योगों के सम्बन्ध में विदेशियों को रियायतें देने का निश्चय किया। १९२८ तक ९७ विदेशी फर्में रूस में काम कर रही थीं। तथापि जुलाई १९२७ तक वहां विनियोजित कुल राशि कुल लगी हुई पूंजी के एक या दो प्रतिशत से कम थी। क्योंकि विदेशी पूंजीपतियों को वहां पूंजी लगाने में कुछ उत्साह नहीं था। अतः वे इच्छित पूंजी नहीं पा सके जिससे उन्हें हानि उठानी पड़ी। हम वही गलती नहीं दुहराना चाहते हैं। हम विदेशियों के हृदय में भय उत्पन्न करना नहीं चाहते हैं। हम विदेशी विनियोजकों को यह आश्वासन देना चाहते हैं कि उनकी पूंजी का आदर किया जायेगा तथा उनकी इच्छा पर उसे वापस भी किया जा सकता है। तथापि उन्हें हमारी शर्तों को मानना होगा जिससे हमारे उद्योगों तथा राष्ट्रीय उपक्रमों को कोई हानि न हो।

इसलिये हमें विदेशी विनियोजकों के हृदय में भय पैदा नहीं करना चाहिये, क्योंकि हमारी आवश्यकता के अनुपात में हमारी विनियोजन क्षमता बहुत कम है। आज कई देश विदेशी विनियोग विदेशी ऋण, टेकनीकल जानकारी व वित्तीय सहायता की मांग कर रहे हैं। अतः हमें अपने रवये या बातों के द्वारा ऋणदाता देशों के दिमाग में भय या अनिच्छा की भावना नहीं पैदा करनी चाहिये।

आज अमेरिका विश्व का सब से बड़ा ऋणदाता देश है। १९५५ के अन्त तक अमेरिका की विदेशों में विनियोजित कुल राशि १९२ अरब डालर थी। जिनमें मोटे तौर पर एक तिहाई दक्षिण अमरीकी देशों में, एक तिहाई कनाडा में और अवशेष यूरोप तथा अन्य देशों में थी। अर्थात् अमेरिका द्वारा एशिया में बहुत कम राशि विनियोजित की गई है। विनियोग की गति क्रमशः धीमी ही रही है। पिछले दस वर्षों से अमेरिका प्रति वर्ष १० अरब डालर विदेशों में विनियोग

[श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा]

कर रहा है। अतः इस देश में अधिक विद्वेष का वातावरण पैदा कर, हमें इस गति को और धीमा नहीं करना चाहिये। इसीलिये मेरा निवेदन है कि राष्ट्रीय हितों का ध्यान रख कर हमें उन्हें सभी सुविधायें प्रदान करनी चाहिये। विरोधी पक्षों की भांति सभी देशों के साथ वैमनस्य और अनिच्छा का वातावरण नहीं पैदा करना चाहिये। हम सभी विदेशी ऋणदाता देशों को यह आश्वासन देना चाहते हैं कि उनकी पूंजी की प्रतिष्ठा की जायेगी।

भारत की ठोस अर्थ-व्यवस्था तथा लोकतंत्र में श्रद्धा के कारण विदेशी विनियोग की राशि जो १९४८ के मध्य में २८८ करोड़ रुपये थी १९५५ में बढ़ कर ४८१ करोड़ रुपये हो गई। हमें आशा है कि सदिच्छा का वातावरण बनाये रख कर और अपनी अर्थ-व्यवस्था को ठोस स्तर पर रख कर हम विदेशों में अग्रेतर विदेशी विनियोजन के लिये अच्छा वातावरण तयार करेंगे।

विदेशी पक्ष के कुछ सदस्यों ने बताया है कि एक ओर देश में उपभोग घट रहा है दूसरे कीमतें भी बढ़ रही हैं, उन्होंने इसे एक अचम्भा कहा है। वस्तुतः उपभोग की गति में कोई कमी नहीं हुई है। वस्तुतः कुछ क्षेत्रों में अस्थायी समय के लिये उपभोग की कुछ कमी हुई है। किन्तु यदि हम उपभोग की पूरी तस्वीर सामने रखें तो कुल उपभोग में कोई कमी नहीं हुई है। वस्तुतः हम स्वयं उपभोग्य वस्तुओं का उपभोग घटा कर अपने संसाधनों को महत्वपूर्ण वस्तुओं के उत्पादन में लगाना चाहते हैं। वस्तुतः हम ने उपभोग घटाने का प्रयत्न किया है लेकिन कोई ठोस सफलता नहीं मिली। हम ने कपड़े की खपत घटा कर विदेशों को निर्यात की मात्रा में वृद्धि करने का प्रयास किया। किन्तु कपड़े का अन्तर्देशीय बाजार विदेशी बाजार से अधिक लाभकारी होने के कारण हम इस में सफल नहीं हुए। यह अर्थशास्त्र सम्बन्धी नियम है कि यदि कुछ क्षेत्रों में उपभोग घटता है तो कुछ क्षेत्रो में बढ़ता है। विश्व की कोई नीति इस सीमित क्षेत्र में उपभोग का स्तर गिरने और मूल्यों के बढ़ने से नहीं रोक सकती है। मैं यह बताना चाहती हूं कुल स्तर में कोई कमी नहीं आई है।

मेरे माननीय मित्रों ने केवल कृषि क्षेत्र में खाद्यान्न की प्रति व्यक्ति उपलब्धि देख कर परिणाम निकाले हैं। १९५५-५६ में प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धि में कुछ कमी हुई है लेकिन १९५७ में प्रति व्यक्ति उपलब्धि १९५४ के बराबर ही अर्थात् काफी अच्छी हो गई। खाद्यान्नों की पूर्ण उपलब्धि बाजार में उपलब्ध खाद्यान्न के बराबर नहीं समझी जानी चाहिये। कृषकों के द्वारा रखी गई राशि थोक और फुटकर व्यापारिओं के भंडार में परिवर्तन को भी सामने में रखना चाहिये। मूल्यों के गिरने पर जैसा कि १९५५ में हुआ था व्यापारी लोग अपने भंडार को खाली करना चाहते हैं। यह भी संभव है कि कृषक मूल्यों के बढ़ने पर अपना भंडार घटायें और मूल्यों के घटने पर भंडार भर लें। इसलिये प्रति व्यक्ति खपत का बिल्कुल सही हिसाब लगाना बहुत कठिन है। मैं नहीं समझ पाई कि उन्होंने किस आधार पर हिसाब लगाया है क्योंकि खाद्यान्न की प्रति व्यक्ति खपत का हिसाब लगाना बहुत कठिन होता है।

१९५३ और १९५६ के बीच अन्य वस्तुओं की प्रति व्यक्ति खपत की मात्रा में पर्याप्त वृद्धि हुई। इसका ज्ञान इस बात से होता है कि कई वस्तुओं के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई। मेरे पास वस्त्र, चीनी, वनस्पति, चीनी इत्यादि के आंकड़े हैं। इन वस्तुओं के अलावा अपेक्षाकृत स्थायी उपभोक्ता वस्तुओं यथा बाइसिकल, सिलाई की मशीनें, तथा रेडियो सटों इत्यादि की संख्या में बहुत वृद्धि हुई। उक्त वस्तुओं के निर्यात में पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई फलतः अधिकांश उत्पादन की खपत देश में ही हुई। इसलिये हम यह नहीं कह सकते हैं कि हमारी उपभोग की मात्रा में कमी हुई है।

अब मैं मूल्यों की प्रवृत्ति को लेती हूं। निस्संदेह मूल्यों में वृद्धि हुई है। इस वृद्धि का एक कारण उत्पादन शुल्क में परिवर्तन, तथा कीमतों का पंजीयन किया जाना था जैसा कि इस्पात के सम्बन्ध में किया गया। ईंधन, विद्युत् तथा प्रकाश देने वाली वस्तुओं के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि का कारण कोयले के मूल्यों का पुनरीक्षण और पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन शुल्क में वृद्धि होना था। यद्यपि १९५४-५५ से इन वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हुई तथापि मूल्यों का गिरना भी प्रारम्भ हो गया है। इन वस्तुओं का देशनांक जो १९४९ में ८९ था १९५७ में ११२ हो गया। अन्न तथा खाद्य तेलों के मामलों में पर्याप्त वृद्धि हुई। निस्संदेह निर्मित वस्तुओं के मूल्यों में भी वृद्धि हुई। तथापि अल्पाधिक रूप से मूल्यों में गिरावट भी आ रही है, तथा थोक वस्तुओं के मूल्य देशनांक .५ प्रतिशत गिर गये हैं।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** (नवद्वीप) : मुझे यह सुन कर प्रसन्नता हुई कि देश में विदेशी पूंजी का विनियोजन बढ़ता जा रहा है। निस्संदेह हमें ऐसा वातावरण तैयार करना चाहिये कि विदेशी विनियोजन को प्रोत्साहन मिले। वस्तुतः अन्य देशों के लोग यह देख रहे हैं कि इस देश में लोकतंत्र सफल हो और इसी से वे हमारे देश को सभी तरह की सहायता देने को तैयार हैं।

यदि हम योजना को देखें, तो हमें अपने करों के ढांचे के बारे में मालूम पड़ जाता है। वह काफी अच्छा है, लेकिन हमें उसकी कुछ बातों पर विचार करना चाहिये। अन्य देशों की तुलना में, हमारे देश की जनता पर करों का बोझ बहुत अधिक है। हम ने करों में वृद्धि तो की है, लेकिन प्रोफेसर काल्डोर की सिफारिशों के अनुसार आय-कर में कमी नहीं की है। इसका सारे देश, और विशेषकर मध्य वर्ग, पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ेगा। अमरीका जैसे, संसार के सब से अधिक सम्पन्न देश में भी करदाताओं का बोझ कम करने की कोशिश की जा रही है। अमरीका में भी आय-कर से विमुक्ति की सीमा को ६०० से बढा कर ७०० डॉलर किया जा रहा है। इस से अमरीका के उद्योगों को ही बल मिलेगा। सरकार को विचार करना चाहिये कि इस देश में भी ऐसा किया जा सकता है, या नहीं।

दूसरी चीज़ यह है कि द्वितीय वित्त आयोग ने राज्यों के सम्बन्ध में कुछ सिफारिशें करते हुए कहा था कि यदि उसकी पूरी-पूरी सिफारिशों को नहीं अपनाया जायेगा, तो राज्य अपनी-अपनी योजनायें पूरी करने में समर्थ नहीं बन पायेंगे। वित्त आयोग की एक सब से महत्वपूर्ण सिफारिश यह थी कि कुछ विशेष मदों को छोड़ कर अन्य सभी ऋणों को एकीकृत किया जाना चाहिये। यह अभी तक नहीं किया गया है। इसके फलस्वरूप, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता जैसे औद्योगिक राज्य योजना सम्बन्धी नीतियों को कार्यान्वित करने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं।

अब समय आ गया है कि वित्त आयोग की सभी सिफारिशों का फिर से पुनरीक्षण किया जाये, जिससे कि राज्यों को अपने पैरों पर खड़े होने में सहायता मिल सके। केन्द्र को राज्यों को इतनी अधिक दर पर ऋण नहीं देना चाहिये जिस पर कि केन्द्र स्वयं ऋण न लेता हो। अन्य देशों से मिलने वाले दान पर भी राज्यों से ब्याज लिया जाता है। यह बड़ी विचित्र सी बात है। केन्द्र को राज्यों की सहायता करनी चाहिये, क्योंकि यदि राज्य अपनी योजनायें पूरी न कर सकेंगे, तो केन्द्र को भी कठिनाई महसूस होगी।

अध्यापकों और स्थानीय निकायों के कर्मचारियों की तनखा के बारे में भी बड़ा असंतोष है। नगरपालिका और ज़िला बोर्डों की सफ़ाई सेवाओं के कर्मचारियों को भी बहुत कम तनख़ा मिलती है। उन्हें ५ या ६ रुपये प्रति मास मिलते हैं। इस पर विचार किया जाना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती इला पालचौधरी]

मैं ने भी वित्त विधेयक के खण्ड ७ में संशोधन की सूचना दी है। नौ निर्माण उद्योग को अधिक विकास छूट तो ठीक दी गई है, लेकिन उसके साथ जो शर्तें लगाई गई हैं, उन से बड़ी कठिनाई पैदा होगी। यदि वे समवाय अपने पोतों को बेच नहीं पायेंगे, तो उनकी कठिनाइयां और बढ़ जायेंगी।

उदाहरण के लिये, यदि कहीं किसी पोत को मिलने वाले यातायात में बहुत कमी हो जाये, तो वह अपने यात्री पोत में काफ़ी परिवर्तन करने के बाद ही उसे लदान के काम में ले सकता है। इसी प्रकार, यदि लदान में कमी हो जाये तो उसके पोत में काफी परिवर्तन करने के बाद ही उसे यात्री पोत बनाया जा सकता है। निरर्थक पोतों या मशीनों को अप्रयुक्त तो पड़ा नहीं रहने दिया जा सकता। हमें अधिक चाल से चलने वाले नये-नये पोतों को खरीदना और पुराने कम चाल वाले पोतों को बेचना ही पड़ेगा। इन शर्तों से उसमें कठिनाई पड़ेगी।

हमें निजी और सरकारी क्षेत्रों में विभेद नहीं करना चाहिये। निजी क्षेत्र भी समान रूप से देशभक्त हैं।

[उपाध्यक्ष **महोदय** पीठासीन हुए]

पुनर्वास वित्त प्रशासन ने ऋण देने के लिये एक गारंटी देने वाले की जो शर्त लगा दी है, उस से अधिकांश लोग ऋण नहीं ले पाते। ये गारंटी देने वाले पेशेवर बन गये हैं जो ६,००० के ऋण की गारंटी देने के लिये २,००० रुपये मांगते हैं। इससे ऋण लेने वालों को कोई लाभ ही नहीं हो पाता। क्या इस नियम में परिवर्तन नहीं किया जा सकता?

अन्त में, मैं चाय का प्रश्न लेती हूं। चाय से हमें विदेशी मुद्रा मिलती है। भारत की ५० प्रतिशत चाय सामान्य किस्म की होती है, और सरकार ने उस पर छः आने प्रति पौण्ड शुल्क लगा दिया है। अन्य सभी शुल्कों को मिला कर, भारतीय चाय विदेशों के बाज़ारों में काफ़ी मंहगी हो जाती है। इस प्रकार हम अन्य देशों से प्रतियोगिता कैसे कर सकेंगे? चाय की किस्म में सुधार करना शीघ्र ही सम्भव नहीं है, क्योंकि वह जलवायु और वर्षा पर निर्भर रहती है।

भारतीय चाय को विदेशों के बाज़ारों की प्रतियोगिता में सफल बनाने के लिये सभी चाय पर छः आने प्रति पौण्ड का शुल्क घटा कर तीन आने यथा मूल्य शुल्क कर देना चाहिये। तभी हम चाय से विदेशी मुद्रा पा सकेंगे। चाय बोर्ड को इस पर विचार करना चाहिये। हमारे यहां से चाय का सब से अधिक निर्यात इंगलैण्ड को ही होता है।

वित्त मंत्री ने कर-अपवंचन को रोकने के लिये उपाय करने का वचन दिया है। कर-अपवंचन तो सभी देशों में होता है।

एक कठिनाई यह है कि देश के विभिन्न राज्यों में बहीखाते विभिन्न भाषाओं में लिखे जाते हैं। आय-कर अधिकारी जब तक उस भाषा विशेष को जानेगा नहीं, तब तक वह उनकी ठीक से जांच भी नहीं कर सकता। कलकत्ता के मारवाड़ी लोग मुण्डी भाषा का प्रयोग करते हैं। इसलिये उनकी भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही उनके बहीखातों की पूरी-पूरी जांच की जा सकती है।

मैं वित्त विधेयक का समर्थन करती हूं।

†**श्री वासुदेवन् नायर** (तिरुवल्ला) : माननीया उपमंत्रिणी को विरोधी दल के सदस्यों की बातों को तोड़-मरोड़ कर पेश नहीं करना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

हम विदेशी पूंजी के विरुद्ध नहीं हैं। हम कई बार स्पष्ट तौर पर कह चुके हैं कि हम अपने देश में निजी पूंजी के विनियोजन का ही विरोध करते हैं। हम विरोध इसका करते हैं कि विदेशी पूंजी हमारे उद्योगों का नियंत्रण करने लगे। हम नहीं चाहते कि विदेशी पूंजी हमारे उद्योगों पर छा जाये। इसलिये माननीया उपमंत्रिणी का यह लांछन उचित नहीं है कि हम विदेशी पूंजी के ही विरुद्ध हैं।

आय-व्ययक सम्बन्धी सामान्य वाद-विवाद के समय, हमारे प्रधान मंत्री ने सभा को आश्वस्त करने की कोशिश की थी कि कुल मिला कर देश की अर्थ-व्यवस्था एक दृढ़ आधार पर है और हमें उसके भविष्य के बारे में अधिक चिन्तित नहीं होना चाहिये। उन्होंने देश में काम करने वाली कुछ "फूट परस्त शक्तियों" के बारे में चिन्ता भी प्रकट की थी। उन्होंने इस सिलसिले में पश्चिमी बंगाल के शरणार्थी आन्दोलन और भाषा सम्बन्धी आन्दोलन का भी, उल्लेख किया था।

मैं इस बात को मानता हूं कि देश में कुछ फूटपरस्त शक्तियां हैं जो पंचवर्षीय योजना की राह में रोड़े अटकाती हैं। लेकिन हमें उनको परखने की कसौटी यह बनानी चाहिये कि कौन शक्तियां पंचवर्षीय योजना के पक्ष में हैं और कौन सी उसके विरुद्ध हैं। देश में कुछ ऐसी शक्तियां अवश्य हैं जो सरकारी क्षेत्र के विकास से प्रसन्न नहीं हैं। वे चाहते हैं कि निजी क्षेत्र ही हावी रहे।

भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल के वार्षिक सम्मेलन की कार्यवाही देखिये। हमारे देश में निजी क्षेत्र और जनता के बीच एक शीत युद्ध सा चल रहा है। निजी क्षेत्र चाहता है कि अभी तक जितना राष्ट्रीयकरण किया गया है, उसे भी रद्द कर दिया जाय। वह व्यय-कर और सम्पदा-कर के भी विरुद्ध हैं। वाणिज्य तथा उद्योग मंडल के सम्मेलन में समाजवादी ढंग के समाज के उद्देश्य पर भी चोटें की गई थीं। और जिन्होंने यह चोटें की थीं, उन्हीं श्री चिनाय को कांग्रेस दल के टिकट पर राज्य-सभा का सदस्य चुना गया है। मुझे यह भय है कि सरकारी नीतियों के विरुद्ध शीत-युद्ध चलाने वाले लोगों को कुछ सफलता मिलती जा रही है। माननीय वित्त मंत्री ने भी विकास छूट के बारे में उनको और अधिक रियायतें दी हैं। हमें निहित स्वार्थों के सामने इस प्रकार आत्म-समपर्ण नहीं करना चाहिये।

माननीय मंत्री निजी क्षेत्र के साथ कुछ पक्षपात कर रहे हैं। इसीलिय हम सभी को एक होकर मांग करनी चाहिये कि निजी क्षेत्र को एसी रियायत न दी जाय। श्री मसानी ने तो एक ऐसी तसवीर खींची थी जैसे कि वर्तमान करारोपण के कारण निजी पूंज पति चौपट होते जा रहे हैं, लेकिन विचित्र सी बात तो यह है कि विनियोजन कम होने पर भी उनके मुनाफे बढ़ते ही जा रहे हैं।

अब आय-कर का प्रश्न लीजिये। श्री नागी रेड्डी ने अभी दो-तीन दिन पहले सभा में बताया था कि १९४८-४९ से लेकर १९५५-५६ तक आय-कर के संग्रहों में बहुत कमी आ गई है। १९४८-४९ में, १९७ करोड़ रुपये आय-कर के रूप में संग्रह किये गये थे, लेकिन १९५५–५६ में १८० करोड़ रुपये ही संग्रहीत हुए हैं, और १९५४–५५ में तो १६७ करोड़ रुपयों का ही संग्रह हुआ था। हमारा दावा है कि उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय आय और मुनाफों में भी बढ़ती हुई है। तब आय-कर और निगम-कर के संग्रह में कमी क्यों हुई? सरकार इसका कारण क्या बताती है? सभी जानते हैं कि ३१ दिसम्बर, १९५७ तक २६३ करोड़ रुपयों के करों का अपवंचन हुआ था। माननीय वित्त मंत्री ने पिछली बार कहा था कि कुछ मामलों के विचाराधीन होने के कारण लगभग ३२ करोड़ रुपये का संग्रह नहीं किया जा सका था। सरकार दस वर्ष में भी इन मामलों का निबटारा नहीं कर सकी थी। इससे स्पष्ट है कि योजना के विरुद्ध काम करने वाली शक्तियां काफी प्रभावशाली हैं। हम चाहते है कि सरकार पंचवर्षीय योजना के घोषित उद्देश्यों पर दृढ़ता से जमी रहे। सरकारी दल को निहित स्वार्थों के सामने आत्म समर्पण नहीं करना चाहिये।

[श्री वासुदेवन् नायर]

पिछली बार वित्त मंत्री ने आलोचनाओं का सीधा-सीधा उत्तर नहीं दिया था, मसलों को टालन की कोशिश की थी। माननीय वित्त मंत्री लोकतांत्रिकता की बड़ी दुहाई देते हैं, लेकिन देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि ऐसे संकट के समय हमारे वित्त मंत्री का दृष्टिकोण गैर-लोकतांत्रिक है।

†श्री मोरारजी देसाई : इस विधेयक पर जितने भी माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त कये ह, मैं सबका आभारी हूं, सबसे अन्त में बोलने वाले माननीय सदस्य का भी, जिन्होंने मुझे कुछ ल ाह और कुछ सुझाव दिये हैं। मैंने सब कुछ जानने का, सर्वज्ञ होने का, दावा तो कभी किया ही नहीं था। वास्तव में सीखने के लिये बहुत कुछ पड़ा है। सबसे अन्त में बोलने वाले माननीय सदस्य मुझ से सलिये नाराज हैं कि मैंने पिछली बार कुछ ऐसी बातें कहीं थीं जो उन्हें बुरी लगी हैं। मैं उन्हें नराज नहीं करना चाहता, लेकिन इस का यह अर्थ तो नहीं होता कि वे चाहे जितना बुरा-भला कहते जायें और उसका उत्तर भी न दिया जाये।

इसका अर्थ यह तो नहीं होता कि कांग्रेस दल को प्रतिगामी और उनके दल को प्रगतिशील ही मान लिया जाये। मुश्किल तो यह है कि यदि मैं उन की बातों का उल्लेख भी न करूं तो वह और अधिक नाराज होंगे कि उनकी उपेक्षा की जा रही है। मैं इस सम्बन्ध में केवल इतना कहता हूं कि यदि मैं ने कुछ चीजों को सीखने की कोशिश नहीं की है, तो मैं उनको सीखने के लिये तैयार हूं। लेकिन, मैं इतना लचकीला भी नहीं बनना चाहता कि वह जैसे चाहे मुझे चलाने लगें।

माननीय सदस्य का मत है कि मैं निजी पूंजी, या निजी उद्योग के साथ पक्षपात करता हूं, और इसीलिये इस समय मेरा वित्त मंत्री होना एक दुर्भाग्य की बात है। यदि उनका दल मुझे दुर्भाग्य मानता है, तो मुझे लगता है कि मैं कुछ ठीक दिशा में ही जा रहा हूं। यह इसलिये कि उनका दल तो किसी और को सही मानता ही नहीं। मैं तो उनके दल में भी कुछ अच्छाई देखता हूं, लेकिन उनका दल तो मुझ में कोई अच्छाई मानने तक के लिये तैयार नहीं है। तब लचकीले दृष्टिकोण की कमी किसमें है? मैं तो उन्हें भी अपना मित्र ही मानता हूं। मैं उन से नाराज नहीं हूं।

यदि उन का बस चले तो संसार में मेरा अस्तित्व तक न रहने दें। सौभाग्य की बात है कि इस पर उनका बस नहीं चलता और यह बात ईश्वर के अधीन है।

उनका दल ईश्वर में इसलिये विश्वास नहीं करता कि उन्हें बिना किसी रोकटोक के अपनी मनमानी करने की छुट मिल जाती है। उपयोगता की दृष्टि से काम करना बहुत आसान होता है, लेकिन मैं उसे नहीं अपनाना चाहता। मैं उचित साधनों को ही अपनाना चाहता हूं और उचित साधनों में यह भी शमिल है कि मैं उन्हें भी अपना मित्र ही समझूं और आशा करूं कि वह सदा ही आज की भांति तर्क-विरुद्ध दृष्टिकोण अपनाये नहीं रहेंगे।

मेरे मित्र, श्री विमल घोष ने पूछा है कि व्याख्यात्मक ज्ञापन और आर्थिक सर्वेक्षण में सरकार द्वारा लिये गये ऋण के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न आंकड़े क्यों दिये गये हैं। इसका कारण यह है कि व्याख्यात्मक ज्ञापन में केन्द्र द्वारा लिये गये ऋण के आंकड़े हैं और आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों में केन्द्र तथा राज्यों दोनों ही के ऋण सम्मिलित हैं। मैं अलग अलग आंकड़े बताता हूं : केन्द्र द्वारा लिया गयाऋण १४६ करोड़ रुपये है, और ६७ करोड़ रुपये राज्यों का। यदि इन दोनों को जोड़ दिया जाये, तो आंकड़ों में अन्तर नहीं दिखेगा।

फिर एक प्रश्न घाटे की अर्थ-व्यवस्था के बारे में पूछा गया था। पहले वर्ष में २३८ करोड़ रुपये के घाटे की व्यवस्था थी। दूसरे वर्ष में, १९५७-५८ में ४६४ करोड़ रुपये के घाटे की व्यवस्था की गई थी। इस प्रकार दो वर्षों में ७०२ करोड़ रुपये के घाटे की व्यवस्था थी, जब कि हमने पहले ६००

†मूल अंग्रेजी में

करोड़ रुपये के घाटे की बात ही सोची थी। इसलिये मैं नहीं कह सकता कि मैं योजना के लिये केवल ९०० करोड़ रुपयों के घाटे की सीमा तक ही रहूंगा। वास्तव में, योजना के लिये कुल १,२०० करोड़ रुपयों के घाटे की अर्थ-व्यवस्था का अनुमान लगाया गया है। हमारी कोशिश इसी सीमा में रहने की होगी। लेकिन हमारी कोशिश यह है कि हमारी घाटे की अर्थ-व्यवस्था से मुद्रा-स्फीति को बल न मिल सके और अर्थ-व्यवस्था का विकास न रुके। हमने घाटे की अर्थ-व्यवस्था करने की यही कसौटी बनाई है। इसे ध्यान में रखकर ही हम घाटे की अर्थ-व्यवस्था करेंगे। और मुझे आशा है कि तब माननीय सदस्यों को भी उस पर कोई आपत्ति नहीं होगी। और यह तो आप स्वीकार करेंगे ही कि हमने अभी तक घाटे की जितनी भी अर्थ-व्यवस्था की है उससे कोई अधिक मुद्रा-स्फीति नहीं हो पाई है। मूल्यों में वृद्धि के बारे में गुबार तो बहुत मचाई गई है, लेकिन और देशों की तुलना में हमारे यहां कोई अधिक मूल्य-वृद्धि भी नहीं हुई है।

हमारे देश जैसी विकासशील अर्थ-व्यवस्था में मूल्यों में थोड़ी-बहुत वृद्धि तो होगी ही। यदि आय के साथ रहन-सहन का स्तर भी ऊंचा उठेगा, और यदि उसकी सारी वृद्धि बचत में नहीं खपती, तो वस्तुओं का उपभोग तो बढ़ेगा ही, और उनके मूल्य भी बढ़ेंगे ही। इसीलिये हम अपनी योजना की कार्यान्विति के दौरान में मुद्रा-स्फीति न होने देने का उस पर नियंत्रण रखने का भरसक प्रयास कर रहे हैं।

आपने यह भी देखा होगा कि खाद्यान्नों के जो मूल्य पिछले वर्ष बहुत ऊंचे चढ़ रहे थे, इस वर्ष गिर गये हैं और उचित स्तर पर आगये हैं, इसलिये अब उनके कारण अन्य क्षेत्रों में मुद्रा-स्फीति पैदा होने का भी कोई भय नहीं रह गया है।

माननीय सदस्यों ने मुझ से ब्याज की दरें बढ़ाने के लिये कहा है, जिस से कि बचत अधिक हो और ऋण भी अधिक लिया जा सके। अभी गत जून मास में ही ब्याज की दरें बढ़ाई गई थीं, बारह-वर्षीय राष्ट्रीय योजना बचत प्रमाणपत्रों पर ब्याज की दर ४.१६ प्रतिशत से बढ़ाकर ५.४१ प्रतिशत की गई थी, दसवर्षीय राज कोषीय बचत निक्षेप प्रमाण पत्रों के ब्याज की दर में आधे प्रतिशत की वृद्धि कर के उसे चार प्रतिशत कर दिया गया था; पन्द्रहवर्षीय वार्षिकियों के ब्याज की दर साढ़े तीन प्रतिशत से बढ़ाकर साढ़े चार प्रतिशत की गई थी; और डाक बचत बैंक के मामले में भी आधे प्रतिशत की वृद्धि करके उसे ढाई प्रतिशत कर दिया गया था। साथ ही, हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि बैंक दरों या अन्य दरों की तुलना में, इन बचत प्रमाण पत्रों के ब्याज की दर में एक और लाभ यह है कि ये आय-कर से मुक्त हैं और इससे ब्याज की वास्तविक दर भी बदल जाती है। इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि सरकार ने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया है। सरकार इसके बारे में सोचती और ऐसे विभिन्न उपाय करती रही है जिससे कि बचत और उधार में वृद्धि होती रहे।

पिछले दिनों कुछ कठिनाइयों के कारण बचत और उधार में कुछ कमी हुई है, लेकिन आशा है कि आगामी तीस वर्षों में इसकी कमी पूरी की जा सकेगी। लेकिन यह भी आशा है, ऐसे मामलों में पहले से कोई निश्चित बात नहीं कही जा सकती। हमारी अर्थ-व्यवस्था बल के आधार पर या बिलकुल राज्य द्वारा नियंत्रित या शासित अर्थ-व्यवस्था तो है नहीं कि हम नागरिकों की सुविधा का बिलकुल ध्यान न रखें और उनकी सुविधाओं को अर्थ-व्यवस्था के अधीन रखें। हम यह करने को तैयार नहीं हैं। हम नागरिकों के सुख के लिये ही अपनी योजनायें बनाते हैं, हम योजना के ढांचे में जनता को फिट नहीं करना चाहते। यही हमारा उद्देश्य और सिद्धांत है।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि हमारी योजनाओं में कोई त्रुटि ही नहीं रहेगी, या कोई गलत अनुमान नहीं होगा।

[श्री मोरारजी देसाई]

अब योजना का प्रश्न लीजिये । इस सम्बन्ध में मुझ पर आरोप लगाया गया है कि मैं ने मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में उत्तर देते हुए आर्थिक पक्ष के बारे में कुछ भी नहीं कहा है ।

उस समय इसके लिये समय नहीं रह गया था । माननीय सदस्य ने जो आंकड़े उद्धृत किये हैं, वे मैं स्वयं ही उद्धृत कर चुका हूं । मैं अर्थशास्त्री होने या आर्थिक सिद्धांतों का विशेषज्ञ होने का दावा नहीं करता । मैं तो अपने को केवल एक व्यावहारिक व्यक्ति ही मानता हूं, एक ऐसा साधारण व्यक्ति जिसे परिस्थितिवश यह कर्त्तव्य निभाने का दायित्व सौंप दिया गया है । मैं इसका भी दावा नहीं करता कि इसके लिये मुझ में कोई विशेष अर्हता है । लेकिन मैं अपने दल और दल के सिद्धान्तों के प्रति सच्चा हूं । मेरे दल के सिद्धान्त ही देश का भला कर सकते हैं । और उन सिद्धान्तों की दृष्टि से ही मैं कहता हूं कि १९४८-४९ में अधिक आय होने का कारण अत्यधिक लाभ कर था, और युद्ध-काल में अत्यधिक लाभ हुआ भी था । वह अत्यधिक लाभ ही कुछ वर्षों तक जारी रहा था और उसी के कारण सभी ओर वृद्धि दिख रही थी । यह १९५४-५५ में कम हो गया था, इसके भी कई कारण हैं । उसके बाद इसमें लगातार वृद्धि होती जा रही है । माननीय सदस्य १९५४-५५ और उसके बाद के आंकड़े नहीं देखते । वह उससे पहले के ही आंकड़े देखते हैं । माननीय सदस्य के साथ यही एक कठिनाई है, और जब मैं इसे बताता हूं तो वह नाराज हो जाते हैं और समझते हैं कि मैं उनका विरोध कर रहा हूं ।

मैं ऐसा कुछ करना नहीं चाहता । मैं तो उनसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि वे वर्तमान को देखें, हमारा सम्बन्ध मानव समाज से है न कि मशीनों से । मानव समाज अनेक भावनाओं से प्रेरित होता है, उस की केवल आर्थिक आवश्यकताएं ही नहीं होतों । यह बात विचारणीय है और इसी के आधार पर योजना का निर्माण करना है ।

देश में हमारी आर्थिक आवश्यकता क्या है ? यही तो कि हम देश के वर्षों से उत्पीड़ित करने वाले दारिद्रय को समाप्त कर दें । मेरे मित्र श्री मसानी ने समाजवाद और गैर-सरकारी उपक्रम के बारे में एक सिद्धान्त बताया है । मैं स्वयं ऐसे सिद्धांतों में अधिक अभिरुचि नहीं रखता । मैं उनसे सहमत हूं कि इन मामलों के बारे में कोई विवाद नहीं होना चाहिये । वे कहते हैं कि ये बातें समाप्त हो चुकी हैं । यदि वे इन्हें मृत समझते हैं तो जब कभी भी वे बोलते हैं इन्हें स्मरण क्यों करते हैं । मैं उन से कहूंगा कि वे इन्हें भूल जाएं और मुझे स्मरण न कराया करें । क्योंकि मेरे मित्र मुझे सदा यह स्मरण कराते हैं कि हमारी आत्माएं मर चुकी हैं हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं, हम वास्तविकता को नहीं समझते और आर्थिक स्थिति को हानि पहुंचा रहे हैं । इसी कारण मेरे माननीय नेता ने इस का उल्लेख किया था ।

यह कैसी विडम्बना है कि १९३२-३३ में जब वह मेरे साथ जेल में था, वह बहुत प्रगतिशील और क्रान्तिकारी था जब कि मैं दक्षिण पक्ष का व्यक्ति था किन्तु आज वे मुझे क्रांतिकारी समझ रहे हैं और अपने आपको मेरा विरोधी । यदि मैं उन्हें इस बात का स्मरण करा दूं तो उन के लिए ऐसी बात समझना बहुत कठिन नहीं होगा । आखिर हम सीखते हैं, जीवन के साथ साथ सीखते हुए चलते हैं और प्रगति करते हैं ।

उन्होंने समाजवाद के बारे में कहा किन्तु जिस समाजवाद के अन्तर्गत तानाशाही राज्य में विश्वास किया जाता है वह समाजवाद का एक प्रकार है और उसे वैज्ञानिक समाजवाद कहा जाता है। जब मैं उनके साथ था तो मैं ने सीखा था ५६ प्रकार के समाजवाद होते हैं। मुझे पता नहीं कि यह संख्या ६६ तक पहुंच गई है। किन्तु किसी को इसमें खो नहीं जाना चाहिये। मेरे मित्र ने माननीय मित्रों के जो सभी के मित्र हैं, अभी "गैर-सरकारी उपक्रम" शब्दों का उच्चारण किया था। हमें इस प्रकार के नारे नहीं लगाना चाहिये क्योंकि फिर कोई स्थिति पैदा हो जाने पर हम घबराने लगते हैं। यहां कोई विवाद नहीं थे सब राष्ट्रीय प्रयत्न हैं। किन्तु शर्त केवल यह है कि जो कोई भी इसे करे एक राष्ट्रीय प्रयत्न समझ कर करें। चाहे कोई भी उद्योग हो वह अपने लाभ के लिए नहीं बल्कि देश के हितों के लिए काम करे। निस्सन्देह कुछ लाभ अपने लिए भी होना चाहिये। किन्तु वह लाभ ऐसा नहीं होना चाहिये कि उस से देश की अर्थ-व्यवस्था में असंतुलन पैदा हो अथवा देश के लोगों को उत्पीड़ित करने वाली गरीबी और अधिक बढ़ जाए। उसे राष्ट्रीय प्रयत्न नहीं कहा जा सकता। अतः सभा का यह हमारा पक्ष सदा यह सोचता है कि देश के प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर प्राप्त हो। हम कष्ट और उत्पीड़िन को दूर करना चाहते हैं दारिद्रय को दूर करना चाहते हैं। और यथासंभव जीवन स्तर को ऊंचा करना चाहते हैं और ऐसा करते हुए यदि वे लोग जिन का जीवन स्तर बहुत ही ऊंचा है और जो काफी धनाढ्य हैं यदि वे अपने को दूसरों के लिए उपयोग में लाएं तो क्या हर्ज है ?

मेरे माननीय मित्र कहते हैं कि अब वे महात्मा गांधी के न्यासभाई ही होने के सिद्धांत को मानते हैं। १६३३ में जब मैं उन से कहता था तो वे समझते थे कि मैं कुछ नहीं जानता। किन्तु अब वे इस सिद्धांत को मानने लगे हैं। हम चाहते हैं कि राज्य का विनियमन ऐसा होना चाहिये कि कोई भी व्यक्ति दूसरों को हानि पहुंचा कर अपनी इच्छा पूर्ति न करें। हम चाहते हैं कि सब को पूर्ण स्वतंत्रता हो जिससे वे मानसिक, नैतिक और शारीरिक दृष्टि से अधिकाधिक विकास प्राप्त कर सकें। किन्तु हम अन्य लोगों को हानि पहुंचा कर किसी का विकास नहीं चाहते। प्रत्येक व्यक्ति को अपने लिए यह सीमा निर्धारित करनी चाहिये अन्यथा राज्य को यह प्रबन्ध करना होगा कि कोई अपनी सीमा को पार न करे। निस्सन्देह हम चाहते हैं कि सरकार कम से कम शासन करे। किन्तु जब बच्चे से कहें कि उसे स्वयं चलना चाहिये और कि उसे कोई सहायता नहीं मिलनी चाहिये तो ऐसी बात प्रलाप मात्र होगी। हमारी प्रगति का अभी प्रारम्भ है अतः हमें सभी प्रकार की सहायता अथवा विधि आदि की सहायता मिलनी चाहिये। विश्व में सब कहीं लोक तंत्र को विधि की ही सहायता प्राप्त होती है। विधियां दमनकारी नहीं होनी चाहियें किन्तु जब नागरिक चोरी छुपे विधि का उल्लंघन करते हैं और यद्यपि विधि का पालन कठिन होता है वे लोग इनका पालन नहीं करते तो विधियां दमनकारी बन जाती हैं। हम यही चाहते हैं कि वह उत्पीड़न भी न रहे और लोगों में ऐसी विधि का उल्लंघन करने के लिए प्रलोभन ही न पैदा हो। हम समझते हैं हम व्यावहारिक लोग हैं। हम यह आशा नहीं करते कि सभी लोग श्रेष्ठ हैं किन्तु न्यूनतम अच्छे व्यवहार के स्तर और ऐसी सामाजिक चेतना की आशा अवश्य करते हैं जिस से हम देश को उस उन्नति के शिखर पर पहुंचा सकें जहां हम उसे पहुंचाना चाहते हैं। यदि सरकार यह कार्य न कर सकी तो क्या यह समझा जाएगा कि सरकार ने अपने कर्तव्य का पालन कर दिया है। निस्सन्देह यह कार्य लोकतन्त्रात्मक ढंग और विधियों द्वारा करना है। सरकार उन्हीं विधियों को तो कार्यान्वित करती है जिन का निर्माण यह संसद करती है। सरकार अन्य विधियों को लागू नहीं कर

[श्री मोरारजी देसाई]

सकती और ऐसे उदाहरण हैं जिन में इस सरकार ने उन विधियों को छोड़ दिया है जिन्हें संसद पसंद नहीं करती। किन्तु यह कहना कि देश के बहुत सी निर्वाचित सरकार उन लोगों के आगे बुद्धि गिरवीं रख दें जिन्हें लोकमत प्राप्त नहीं, सर्वथा मूर्खता है। हम यह करने के लिए तैयार नहीं। हमें जो परामर्श और सहायता दी जाती है हम उसे प्राप्त करने के लिए तैयार हैं क्योंकि वह लोगों के हित में है। परन्तु आखिर हमें यह अवश्य सोचना चाहिये कि यह ठीक है। यदि हम ऐसा विचार नहीं करते तो हम क्या करना चाहते हैं ?

योजना के बारे में मैं ने पिछली बार कहा था कि हम इस की पुनः जांच कर रहे हैं, और यह किये बिना मैं अपने विचार इस बारे में कैसे बता सकता हूं। क्या मुझे योजना आयोग के सामूहिक विचार में विश्वास नहीं करना चाहिये ? योजना आयोग इस की यथाशीघ्र जांच कर रहा है। यदि यह कार्य पंद्रह दिन पहले हो जाता तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती क्योंकि फिर तो मैं इसे सभा के समक्ष रख सकता। यह सुगम कार्य नहीं है। यद्यपि मेरे माननीय मित्र श्री अशोक मेहता को इन विषयों में विशेषज्ञता और अनुभव प्राप्त है किन्तु यदि उन्हें भी यह कार्य सौंपा जाता तो हमें जितना समय लग रहा है उस से दुगना समय इन्हें यह कार्य करने में लगता।

†**श्री अशोक मेहता** (मुजफ्फरपुर) : क्या आप यह कार्य मुझे सौंपने के लिए तैयार हैं ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : यदि आप इस के लिए अर्हत हैं तो मैं तैयार हूं। माननीय सदस्य को यह दिखाना होगा कि वे इस कार्य के योग्य हैं। यदि वे ऐसा न कर सके तो मैं उन्हें कैसे यह कार्य सौंप सकता हूं ? मैं स्वयं किसी को कैसे कोई कार्य सौंप सकता हूं ? मैं देश की इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकता। ऐसा करना कदापि लोक-तंत्रात्मक नहीं होगा। और मैं समझता हूं कि माननीय मित्र यह नहीं चाहेंगे कि मैं लोकतन्त्र विरोधी कार्य करूं क्योंकि उन्हें भी लोकतन्त्र में इतना ही विश्वास है जितना कि मुझे है। मुझे ऐसा करने में प्रसन्नता होती यदि वे अपना मार्ग न छोड़ देते। मैं कामना करता हूं कि वे ठीक मार्ग पर आ जाएं। इस देश के सभी नागरिकों के प्रति, केवल मेरे मित्र के प्रति ही नहीं, यही दृष्टिकोण है।

मेरे माननीय मित्र श्री घोष ने योजना के बारे में राजस्व संसाधनों का प्रश्न उठाया था। उन्होंने कहा कि राजस्व संसाधन ६,६०० करोड़ रुपये तक बढ़ गये हैं। हम केवल ६,००० करोड़ रुपये चाहते हैं। फिर आन्तरिक संसाधनों की कमी की चीख पुकार क्यों हो रही है। उन के बोलने के पश्चात के इस थोड़े से काल में मैं सब आंकड़े एकत्र नहीं कर सका नहीं तो मैं उन्हें उन के सामने रखता। किन्तु उन्होंने कुछ विशेष आंकड़ों का उल्लेख किया था। यह नहीं हो सकता। यदि हमारे पास ये सब संसाधन होते तो हम इन की खोज क्यों करते फिरते ? हम अब अवश्य उन का व्यय करते।

†**श्री विमल घोष** : योजना के अतिरिक्त व्यय होता है।

†**श्री मोरारजी देसाई** : मैं यह स्वीकार करता हूं कि योजना के अतिरिक्त कुछ ऐसा व्यय होता है जिस की बचत हो सकती थी किन्तु यदि मैं बम्बई राज्य के अपने

---

†मूल अंग्रेजी में

अनुभव की बात कहूं जहाँ हमें योजना के अतिरिक्त कार्यों पर व्यय करना पड़ता था, तो मैं अपने माननीय मित्र को यह बताऊंगा कि मैं ने योजना के अतिरिक्त व्यय की प्रत्येक मद की जांच की थी और मैं ने देखा था कि वह सब अनिवार्य था । बहुत से ऐसे कार्य हैं जिन का सम्बन्ध योजना के साथ ही होता है और यदि उन्हें न किया जाए तो योजना को भी कार्यान्वित नहीं किया जा सकता । योजना का निर्माण ही ऐसा है उस के लिए ऐसे सब कार्यों की आवश्यकता है । अतः योजना के अतिरिक्त व्यय के बिना भी काम नहीं चल सकता । किन्तु फिर मैं यह नहीं कहता कि कुछ स्थानों पर, बम्बई में जिस की ओर संभवतः मेरा ध्यान न गया हो ऐसा व्यय हो सकता है जिस के बिना काम चल सकता है । हम निश्चय ही उसे बन्द करने का प्रयत्न करेंगे अथवा उस बारे में तर्क किया जा सकता है । मैं आंकड़े तथा तथ्य प्रस्तुत करूंगा और उन्हें भी यह देखने के लिए तैयार होना चाहिए । इस बा में श्री रंगा ने कहा है कि हमें स्थायी समितियों का पुनरीक्षण करना चाहिये । मंत्रणा समितियां भी हैं । न जाने क्यों माननीय मित्र समझते हैं कि कोई समिति नहीं है । ये समितियां तो हैं । मेरा यह अनुभव है कि ये समितियां जल्दी बैठकें नहीं करतीं और जब बैठक होती भी है तो वे लोग जल्दी में होते हैं । मैं ने उन्हें सब तथ्य और आंकड़े देने का प्रयत्न किया है और भविष्य में उन की सब प्रकार की सहायता करने के लिए तैयार हूं । वे जब चाहें मैं उनके साथ परामर्श करने और अन्य सभी प्रकार के कार्यों के लिए तैयार हूं ।

†**श्री रंगा** : हमारा कोई कार्यक्रम भी होना चाहिए ।

†**श्री मोरारजी देसाई** : मंत्रणा समिति का कार्यक्रम है । मैं ने भी कहा है कि माननीय सदस्य जो भी कार्यक्रम भेजें मैं उस के लिए तैयार हूं । और वे क्या चाहते हैं ? स्थायी समिति क्या होती है ? आखिर यह स्थायी समिति ही तो है ।

†**श्री रंगा** : वे निर्णय करती हैं ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : निर्णय का अधिकार सरकार उन्हें नहीं दे सकती ।

†**श्री त्रि० ना० सिंह** : पुरानी स्थायी समिति और वर्तमान समितियों के कार्यों के बारे में कुछ गलत धारणा है । जब भी कोई नया व्यय होता था अथवा वर्ष भर में नीति में कोई परिवर्तन या रूपभेद होता था तो उसे उस पुरानी समिति के समक्ष रखा जाता था ।

†**श्री मोरारजी देसाई** : जिस समिति की ओर माननीय सदस्य निर्देश कर रहे हैं मैं समझ गया हूं । किन्तु मेरे माननीय सदस्य मित्र यह भूल जाते हैं कि वह समिति इस लिए बनाई गई थी कि वह सरकार लोगों के समक्ष उत्तरदायी नहीं थी । आज माननीय सदस्य चाहे ऐसा न मानें किन्तु यह सरकार लोगों के समक्ष उत्तरदायी है । केरल की सरकार का निर्माण भी इसी प्रकार हुआ है । वे समझते हैं कि केरल की सरकार तो जनता की सरकार है किन्तु यह सरकार लोक सरकार नहीं । लोकतंत्र के सम्बन्ध में यह विचित्र धारणा है ।

आज की लोकतंत्र सरकार के होते हुए उस प्रकार की समिति नियुक्त नहीं की जा सकती ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**पंडित गोबिन्द मालवीय** (सुल्तानपुर) : जब तक माननीय सदस्य इस विषय में अन्य लोगों से बातचीत नहीं कर लेते उन्हें अनुदार नहीं होना चाहिये और फिर बाद में निश्चय करना चाहिये ।

†**श्री मोरारजी देसाई :** जो माननीय मित्र मुझे उदार रहने के लिए कहते हैं उन्हें चाहिये कि मुझे कहने की बजाए वे स्वयं उदार बनें । उन्होंने तो यह निश्चय कर लिया है कि ऐसा अवश्य होना चाहिये और मुझ से कहते हैं कि मुझे उदार होना चाहिये और उन की बात स्वीकार करनी चाहिये । हम जब भी चर्चा करते हैं हमारा मन उदार होता है और हम विषय पर विचार के लिए तैयार होते हैं । निश्चय तो हो चुका है अब और निर्णय का प्रश्न पैदा नहीं होता । यदि नया निर्णय करना है तो उस पर विचार किया जाएगा और हम अवश्य विचार करेंगे । कोई भी ऐसी बात नहीं जिस पर यह सरकार किसी भी समय विचार करने के लिए तैयार न हो । मैं जब यह कहता हूं कि ऐसी स्थायी समिति नहीं बनाई जाएगी तो इस का यह अभिप्राय नहीं है कि यदि हम उसे स्थापित करना ठीक समझेंगे तो भी उसे स्थापित नहीं करेंगे । वे जब कहते हैं कि उन का मन उदार है तो वस्तुतः वे सर्वथा अनुदार होते हैं ।

विदेशी विनियोग, विदेशी पूंजी और स्थगित भुगतान का भी प्रश्न उठाया गया था । हम से पूछा गया था कि स्थगित भुगतान के सम्बन्ध में हम ने क्या किया है कहीं उस से हम विपत्तिग्रस्त तो नहीं हो जाएंगे । यह सच है कि यदि इस का विचार न किया जाता तो चार वर्ष पश्चात हमारा दिवाला निकल जाता । हम ने स्थगित भुगतान की व्यवस्था ऐसे ढंग से की है कि हम योजना की कार्यान्विति के परिणामस्वरूप होने वाली बचत से भुगतान करेंगे क्योंकि उन योजनाओं से विदेशी मुद्रा की बचत भी होगी और उस की आय भी होगी । हम इस लिए कच्ची सामग्री को स्थगित भुगतान के आधार पर आयात नहीं कर रहे और हम ने सिवाय उन मामलों के जिन में विदेशी मुद्रा की बचत हो सकती है और विदेशी मुद्रा की आय हो सकती है अन्य स्थगित भुगतान बन्द कर दिये हैं । भविष्य में हमें काफी राशि का भुगतान करना होगा किन्तु हम उसे कर सकेंगे । इस देश ने कभी भी अपना कोई भुगतान करने से इनकार नहीं किया । इस सरकार को यह श्रेय प्राप्त है । चाहे कैसी भी हालत हो हम अपना भुगतान करेंगे । इस से हमें शक्ति मिलती है और इसी शक्ति से हम योजना की अधिकतम कार्यान्विति कर सकेंगे ।

मैं ने प्रथम योजना की जांच की थी । वह लगभग २३५० करोड़ रुपये की थी । उस में १९५० करोड़ रुपये की पूर्ति हुई थी किन्तु उस में कमी भी है जो कि किसी भी योजना में स्वाभाविक है । यदि आप उस अनुपात से देखें तो ऐसी बात किसी भी योजना में हो सकती है और उस आधार पर मैं समझता हूं कि हमें भविष्य में भी हानि नहीं होगी किन्तु जब तक हम इस की जांच कर रहे हैं मैं अभी इस बारे में कुछ नहीं कह सकता । यदि कुछ फेर रखा गया तो मुझे विश्वास है कि मैं योजना की उपयुक्तता के सम्बन्ध में सदस्यों को संतोष दिला सकूंगा । और यह बता सकूंगा कि हमारा मन इस बारे में अनुदार नहीं है, और सभा ने जिस प्रणाली को स्वीकार किया है हम उसे नहीं छोड़ेंगे तथा हमें यह भी ध्यान है कि हमें कितनी प्रगति करनी है ।

रोजगार के बारे में भी एक प्रश्न पूछा गया था । सारा व्यय रोजगार के लिए ही हो रहा है और इस की गणना करना कठिन है । हम आशा करते हैं कि हम द्वितीय

---

†मूल अंग्रेजी में

योजना में ६० लाख नौकरियों की व्यवस्था कर सकेंगे। कुछ सर्वेक्षण किया गया था और उस से पता लगा है कि गत दो वर्षों में २० लाख नौकरियों की वृद्धि हुई है। मेरे लिए अभी यह प्रमाणित करना कठिन है। सर्वेक्षण करने वालों ने मुझे ये आंकड़े दिये हैं। हम इस की ओर जांच कर रहे हैं। और हम यथासंभव अधिकाधिक रोजगार पैदा करना चाहते हैं। इसलिए हम केवल बड़े बड़े कारखानों पर ही जोर नहीं दे रहे हैं हम छोटे पैमाने के उद्योगों और कुटीर उद्योगों पर भी जोर दे रहे हैं जिन से अधिक रोजगार की व्यवस्था होती है। हम अधिकाधिक लोगों को नियुक्त कर रहे हैं और इस पर अधिकाधिक व्यय कर रहे हैं। इस में लाभ यह है कि बड़े कारखानों के लिए जितनी पूंजी की आवश्यकता है उतनी इन उद्योगों में आवश्यक नहीं है। किन्तु बड़े कारखानों की भी बहुत अधिक आवश्यकता है। ऐसी बात तो नहीं जैसा कि कुछ लोग समझते हैं कि हम इस्पात के लिए अत्यधिक उत्सुक हैं। इस का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। किन्तु यदि हम यह नहीं चाहते कि भविष्य में हम सदा विदेशी मुद्रा के व्यय के बारे में विपत्तिग्रस्त रहें तो हमें अवश्य ऐसे साधन अपनाने चाहियें जिन से हम विदेशी मुद्रा की अधिकाधिक बचत कर सकें। इसी को दृष्टिगत रखते हुए इस्पात कारखानों की स्थापना का विचार किया गया था।

निस्संदेह कुछ लोगों को यह आशंका है कि हम इस प्रकार अधिकाधिक व्यय करते जाएंगे और सामाजिक सेवाओं में अधिकाधिक कमी करते जाएंगे। ऐसा विचार बिल्कुल नहीं है। सामाजिक सेवाओं को घटाने का कोई प्रश्न नहीं है। गत योजना में भी इन सेवाओं में कमी हो गई थी हालांकि रुपया भी उपलब्ध था। यह सेवायें आसान नहीं हैं। हम तो सब कुछ करना चाहते हैं किन्तु यह देश में होने वाले विकास पर निर्भर हैं तथा इस बात पर आधारित हैं कि देश में इन सेवाओं को प्राप्त करने का कितना सामर्थ्य है। अतः हम इन सेवाओं का असीम रूप से विस्तार नहीं कर सकते।

आप शिक्षा को ही ले लीजिये। केवल अधिक कालेज तथा स्कूल बना लेने ही से यह अर्थ नहीं निकलेगा कि हम ठीक शिक्षा पा रहे हैं। हमें पहले सब चीजों का ठीक प्रकार से समन्वय करना है और फिर इसके बाद हम विस्तार कर ही सकते हैं। यदि हम अन्यथा इन सेवाओं का विस्तार करते गये तो हमें किसी न किसी दिन दुख उठाना होगा। इसका यह मतलब भी नहीं कि हम सामाजिक सेवाओं को योजना के आवश्यक भाग पर बलिदान कर रहे हैं।

वास्तव में हमें इस्पात भी सामाजिक कार्यों के लि ही चाहियें। प्रत्येक चीज जो इस देश में होती है उसकी आवश्यकता हमें सामाजिक सेवाओं के लिये ही किसी अन्य बात के लिये नहीं। किन्तु जब तक हमारे पास साधन ही नहीं हैं तो तब तक यह कहना कि वह करो कहां तक ठीक है। कई बार हम आशायें तो करते हैं कि हमारे यहां भी अमरीका के समान चीजें हों किन्तु यह भूल जाते हैं कि हमारे संसाधन बहुत कम हैं। हम इसी चीज को भूल जाते हैं और फिर जब हम इस प्रकार की किसी चीज को करना चाहते हैं तो हमसे [illegible] दिया जाता है कि हम असंभव बातें करना चाहते हैं। हम इनके साथ भाग नह [illegible] है--माननीय मित्र तो कहते हैं कि हमें हिदायतें देने पर बाध्य होना पड़ता है। रियायतें क्या हैं--वह करों में तो नहीं हैं--उनमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं की गई है। यदि विकास छूट में परिवर्तन किया गया वह इस कारण कि यह आवश्यक था और इस दिशा में परिवर्तन उचित था।

[श्री मोरारजी देसाई]

विकास छूट के सम्बन्ध में क्या किया गया है ? हम कह रहे थे कि वह विकास छूट का शत प्रतिशत रक्षण में रखें । हम उसमें ५१.५ आय दे रहे हैं जो विकास छूट में बच जाती है क्योंकि इसे आय में से घटा दिया जाता है जहां आय-कर नहीं घटाया जाता । हम ५१.५ प्रतिशत दे रहे हैं । यदि हम चाहते हैं कि हमारे नवीन उपक्रम चलें हमारे लिये वह आवश्यक है । इसी कारण हम लोगों को यह प्रोत्साहन देते हैं । जब हम उसे कहते हैं कि वह वहां रखा जाय तो हमें भी २३.५ तिशत वहां रखना होगा । इसलिये वह यह शिकायत नहीं कर सकते कि हम कोई गलत बात कर रहे हैं ।

मुझे प्रसन्नता है कि श्री मसानी यह समझते हैं कि यह काफी रियायत है---चाहे वह यह न समझें कि यह रियायत पूरी नहीं है । मैं समझता हूं कि उद्योगों की दूसरे लोगों की कीमत पर ५१.५ प्रतिशत की विकास छूट देने का कोई कारण नहीं था यदि वे पूरे जोर से न कहते । अतः इस छूट देने का मुख्य कारण यह है कि हम चाहते हैं कि उद्योगों का विकास हो ताकि लोग समृद्ध हों और सब को इनसे फायदा पहुंचे । इसी कारण हम इसे दे रहे हैं । किन्तु यदि उद्योगों ने इस धन का उपयोग उद्योगों के विस्तार के लिये न किया और यह रकम ऐसे ही पड़ी रही तो मैं समझता हूं कि भविष्य में इस प्रकार की छूट देने का कोई भी मतलब न होगा । इसलिये यह कहना कि अब लाभांश भी नहीं दिये जायेंगे गलत होगा । हो सकता है कि नये समवाय लाभांश न दे सकें किन्तु वैसे भी नये समवाय साधारण रूप से दो तीन वर्ष तक लाभांश देने की स्थिति में नहीं होते । कोई बात नहीं उन्हें मजबूत होने दिया जाये तब यह अच्छे लाभांश देंगी । अंशधारी केवल लाभांश की बात क्यों सोचते हैं उन्हें संस्था के ठोसपने तथा बाद में होने वाले ज्यादा लाभों के बारे में सोचना चाहिये । इससे सभी को लाभ होगा ।

अंशधारियों को देश का ध्यान भी रखना चाहिये । उन्हें लाभ इसी कारण मिल रहा है क्योंकि देश उन्नति कर रहा है तथा उन्हें भी उन्नत होने में सहायता दे रहा है । इसी कारण उन्हें देश हित की बात सब से पहले सोचनी चाहिये ।

इस मामले में भी यह कहा गया कि हमारे यहां कराधान सब से ज्यादा है । किन्तु उन्होंने स्वीकार किया कि इंग्लैण्ड में हम से भी ज्यादा अर्थात ५७ प्रतिशत है । खैर इसे सब से ज्यादा नहीं कहा जा सकता । किन्तु यदि आप आय-कर की रियायतों तथा अन्य छूट फूट की रियायतों को इसके साथ गिनकर मुकाबला करें तो आप समझ जायेंगे कि हमारे यहां करभार ज्यादा नहीं है । इन चीजों को सारे भूल जाते हैं । इस प्रकार की बातें सरकार से सहानुभूति की थोड़े ही हैं । हम ऐसे कर नहीं चाहते जिनसे उद्योगों का नामो-निशान खत्म हो जाये । यह तो आत्महत्या के समान होगा । हम चाहते हैं कि उद्योग धन पैदा करें और उस धन का एक अंश हमें भी प्राप्त हो । इस तरीके से इस देश की कराधान नीति को हमने ढाला है । हम चाहते हैं कि उत्पादन बढ़े --लोग समृद्ध हों तथा देश भी विकसित हो । इसी नीति पर हम ने कर लगाये हैं ।

यह संभव है कि कुछ लोग कोई अलग कराधान का चित्र प्रस्तुत कर सकें । हम उस पर भी वचार करने को तैयार हैं किन्तु उन सब बातों पर इस सभा को भी संतुष्ट होना होगा । यदि यह सभा किसी भी बात को स्वीकार करेगी तो हमें उसी प्रकार के

कार्य करें में क्या आपत्ति हो सकती है । यह कहना आसान है कि कर ठीक नहीं हैं किन्तु वैकल्पिक करों का सुझाव देना आसान नहीं है जिनसे काम निकल सके । मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि वह हमें वैकल्पिक सुझाव दें ताकि हम उन पर विचार कर सकें । वह केवल इतना हो कि तना पया हमें आता रहे और भविष्य में ज्यादा आये । हां यदि ५/१० आदमी यह सुझाव न दे सकें तो फिर क्या होगा । कोई शर्त रखी जाये । यदि यह सरकार असफल रह गई तो हट जायेगी । इसी जोखिम पर तो सरकार ठीक उपाय कर रही है और जो कुछ करती है सोच विचार के करती है । इस कार्य में हमारी जो सफलता की जायेगी हम उसे स्वीकार करेंगे ।

फिर यह भी कहा गया है कि शक्ति ५ या ६ आदमियों के हाथों में ही है और इस सम्बन्ध में विनोबा जी का उद्धरण दिया गया । माननीय मित्र उस प्रकार नहीं रहते जिस प्रकार विनोबा जी रहते हैं और न ही उस प्रकार सोचते हैं जिस प्रकार वे सोचते हैं किन्तु आदर्श तो उन जैसा ही है । उनका उद्धरण दिया जाता है । ऐसा क्यों किया जाता है ? क्या यह ठीक है ? पहले महाशय उन की तरह रहें और फिर मुझे उपदेश दें मैं मान लूंगा । किन्तु अन्यथा मैं तो यही कहूंगा "चिकित्सक तू पहले अपना इलाज कर ।" मैं ने भी विनोबा जी से आदर्श पर बहुत बहुत सी बातें की हैं किन्तु उनका विचार है कि यथार्थ जीवन में बहुत सी बातें करनी ही पड़ती हैं । किन्तु हमें याद रखना चाहिये कि हम सदैव आगे ही आगे बढ़ते जायें । हम यही प्रयास कर रहे हैं । ५/६ व्यक्ति राज्य कैसे चला सकते हैं । राज्य तो यह सभा चला रही है । यह कहना कि राज्य ५/६ लोग चला रहे हैं इस सभा की महत्ता को कम करना है । जो व्यक्ति भी यह बात कहता है वह सभा का सम्मान नहीं करता । सभा से बाहर ये बातें कहीं जा सकती हैं किन्तु यहां बातें कहना ठीक नहीं है ।

कई लोगों के कई विचार होते हैं--कई तो कटुता के कारण, कुछ निराशा के कारण, कुछ अधिक ज्ञान के कारण और कुछ ऊंचे सिद्धान्तों के कारण या अहम् भावना के कारण बातें कहते हैं । यदि हमें इस सम्बन्ध में कोई व्यवहार्य सिद्धान्त बताया जाये तो हम उसे मानने के लिये तैयार हैं । अतः हम यहां ठीक न चल रहे हों वहां हमें यों ही बातें न बना कर रचनात्मक कार्य करना चाहिये ।

हमें विरोधी दल के सदस्यों ने बताया कि हम गांधी जी के मार्ग पर नहीं चल रहे। हम ने जो कुछ सीखा है हम वहां तक पहुंचने का संभव प्रयास कर ही रहे हैं किन्तु हम यह नहीं कहते कि पूरे तौर से उस रास्ते पर चल रहे हैं क्योंकि इतना तो हमारे अन्दर सामर्थ्य ही नहीं है । हम उस मार्ग पर जाना चाहेंगे । किन्तु मैं नहीं जानता कि क्या होगा यदि मैं ने उनकी सलाह मान ली। वह यह चाहते हैं कि मैं लोगों से कहूं कि काम करो और आराम न करो । यदि वह काम न करें तो उनसे काम करवाया जाये । यह कहना उनके लिये आसान है । यदि मैं इधर से यह बात कह दूं तो फिर पता नहीं क्या प्रतिक्रिया हो । विरोधी दल में रहते हुए बात कह देनी आसान है । किन्तु विरोधी दल वालों को यह समझना चाहिये कि कोई दिन ऐसा आ सकता है जबकि उन्हें ये क्रियान्वित करनी पड़ेंगी और विरोधी दल का मत लोकतंत्र में यही होता है । जब तक यह बात नहीं समझी जाती तब तक ठीक रास्ते पर काम नहीं चल सकता । मैं समझता हूं कि हम महात्मा जी के सामान्य स्तर पर उसी प्रकार कायम हैं और उसी मार्ग पर चल रहे हैं और हम नहीं चाहते कि किसी का शोषण हो या अवसर की समानता न हो । हमें शनै

[श्री मोरारजी देसाई]

शनै जनता को निडर बनाना है । क्या इस बात को प्राप्त करने के लिये माननीय सदस्य हमारी सहायता भी करेंगे ? क्या लोगों में गलत प्रचार करना वह भी कुछ लोगों की पीठ के पीछे क्या यह चीजें हिंसात्मक नहीं हैं ? क्या लोगों में भय समावेश करना हिंसा नहीं है ? हिंसा का मतलब यह नहीं है कि लाठी ही चले । इसका यह मतलब नहीं कि तलवार ही चलाई जाये । अतः हमें ऐसे तरीके भी कभी नहीं अपनाने चाहियें जिनसे हमारे अन्दर कातरता आती है । हमें निडर होकर दूसरों को भी निडर बनाना चाहिये । महात्मा गांधी जी ने हमें यही शिक्षा दी थी । यदि यह बात हम करने में समर्थ हो सकते हैं तो हमें इस चीज का उत्तर मिल जायेगा जो कि सभी के लिये संतोषप्रद होगा । मैं यह दावा नहीं करता कि हमने महात्मा गांधी का उस सीमा तक अनुसरण किया है जिस तक हमें करना चाहिये था । हम भटक हैं किन्तु हम ठीक रास्ते पर आने के प्रयास सदैव ही करते रहे हैं । यदि इस में माननीय सदस्य हमारी सहायता करेंगे तो हम बड़ी प्रसन्नता से उसे स्वीकार करेंगे ।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि वर्ष १९५८-५९ के लिये केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को कार्यान्वित करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

इसके पश्चात् लोक-सभा बुधवार, २३ अप्रैल, १९५८ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

मंगलवार, २२ अप्रैल, १९५८

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	५०८३—५१०७
तारांकित प्रश्न संख्या	
१७५५ ढाका में खाकसारों का प्रदर्शन	५०८३—८५
१७५७ भिलाई में विस्थापित व्यक्ति	५०८५—८६
१७५८ डालमिया दादरी सीमेण्ट लिमिटेड	५०८६—८८
१७६० श्रमिकों के रहने की दशा	५०८८—८९
१७६१ खुला सामान्य लाइसेंस	५०९०
१७६२ तिब्बत के साथ व्यापार	५०९०—९३
१७६४ दण्डकारण्य योजना	५०९३
१७६६ दण्डकारण्य	५०९४—९६
१७६५ सिंचाई की मशीनों का निर्यात	५०९६—९७
१७६८ संगठित उद्योगों में स्त्रियों का नियोजन	५०९७—९८
१७६९ हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स (प्राइवेट) लिमिटेड	५०९९
१७७० खान-मजदूरों को मजूरी न देना	५०९९—५१००
१७७१ हरी चाय	५१००—०१
१७७२ हिमाचल प्रदेश में उद्योग	५१०१—०३
१७७३ नमक श्रमिकों की छंटनी	५१०३
१७७५ न्यू कर्नाटक मिल्स, हुबली (मैसूर राज्य)	५१०३—०४
१७७८ इमारती सामान	५१०४—०५
१७७९ निर्बन्धित राज्य लेखापरीक्षक	५१०५—०६
१७८१ छोटे चाय उत्पादन	५१०६
१७८० पावरलूम मिलों का बन्द किया जाना	५१०६—०७
प्रश्नों के लिखित उत्तर	५१०७—३३
तारांकित प्रश्न संख्या	
संख्या	
१७५६ विदेशों मिशनों में विज्ञान सहचारी	५१०७
१७५९ शोलापुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड	५१०८

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर : (क्रमशः)		
तारांकित प्रश्न संख्या (क्रमशः)		
१७६३	टायरों का निर्माण	५१०८
१७६७	बम्बई में छोटे पैमाने के उद्योग	५१०८
१७७४	सीमेण्ट का सम्भरण	५१०९
१७७७	मिस्र के साथ व्यापार	५१०९
अतारांकित प्रश्न संख्या		
२५७२	दिल्ली-मथुरा सड़क के पास वाली भूमि का विकास	५११०
२५७३	रेशम उद्योग में कर्मचारी	५११०
२५७४	विदेशों में रचनात्मक संगठन	५१११
२५७५	विदेशों में भारतीय सामाजिक संगठन	५१११
२५७६	औद्योगिक बस्तियां	५१११–१२
२५७७	अशोक होटल	५११२
२५७८	द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्य	५११२
२५७९	उड़ीसा खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड	५११२–१३
२५८०	विभिन्न उद्योगों में रोजगार उपलब्ध होने की क्षमता	५११३–१४
२५८१	सरकारी विज्ञापन	५११४
२५८२	लंका से निष्काषित भारतीय	५११४
२५८३	आन्ध्र के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना	५११५
२५८४	दिल्ली में औद्योगिक सहकारी समितियां	५११५–१६
२५८५	अफगानिस्तान के साथ व्यापार	५११६–१७
२५८६	गांधी जी की रचनायें	५११७
२५८७	जरलीना	५११७
२५८८	बिजली का सामान और रेडियो रिसीवर	५११७–१८
२५८९	कोयला खानों के बाहर स्थित स्नानागार और खान शिशु-गृह नियम	५११९
२५९०	ग्राह्यता प्रमाण-पत्र	५११९
२५९१	मोटर साइकिल	५११९–२०
२५९२	फरीदाबाद बिजलीघर	५१२०
२५९३	ट्रैक्टरों का आयात	५१२१
२५९४	राज्यों के घाटे के आयव्ययक	५१२१

	विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर: (क्रमशः)

अतरांकित

प्रश्न संख्या: (क्रमशः)

२५९५	लोह-अयस्क का निर्यात	५१२१–२२
२५९६	पंजाब में विस्थापित व्यक्ति	५१२२
२५९७	अम्बर चरखा	५१२२–२३
२५९८	सरकारी पत्रिकाओं में प्रकाशनार्थ लेख भेजना	५१२३
२५९९	पश्चिमी बंगाल में अनधिवासियों की बस्तियां	५१२३
२६००	हिमाचल प्रदेश बड़ी जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि सुधार अधिनियम	५१२४
२६०१	हिमालय पर्वतारोहण	५१२४
२६०२	हथकरघा वस्त्र निर्यात व्यापार	५१२५
२६०३	रूई का निर्यात	५१२५
२६०४	कार्यालयों का बाहर भेजा जाना	५१२५–२६
२६०५	कर्मचारी राज्य बीमा निगम	५१२६
२६०६	तरल सुनहरी पालिश की प्रयोगशाला	५१२६
२६०७	उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण में भ्रष्टाचार	५१२७
२६०८	भारतीय सीमान्त प्रशासन सेवा	५१२७
२६०९	ब्रिटेन को भारतीय सूती वस्त्रों का निर्यात	५१२७–२८
२६१०	आसाम में छोटे पैमाने के उद्योग	५१२८
२६११	उत्तर प्रदेश के तिब्बत सीमा-वर्ती क्षेत्र	५१२८–२९
२६१२	सिलाई की मशीनों का उत्पादन	५१२९
२६१३	रेयन कपड़े का निर्यात	५१२९
२६१४	खेलों के सामान के लिये निर्यात संवर्द्धन परिषद्	५१३०
२६१५	भारत सेवक समाज	५१३०
२६१६	उड़ीसा में दस्तकारियां	५१३०–३१
२६१७	व्यापार आयुक्त	५१३१
२६१८	अम्बर चर्खे	५१३१
२६१९	उड़ीसा में खादी तथा ग्रामोद्योग	५१३२–३३
२६२०	डोगरी कार्यक्रम	५१३३
२६२१	कपड़े का बिना बिका स्टाक	५१३३

विषय **पृष्ठ**

निधन सम्बन्धी उल्लेख ५१३४

अध्यक्ष ने श्री अवधेश कुमार सिंह के, जो लोक-सभा के वर्तमान सदस्य थे, निधन का उल्लेख किया।

इस के पश्चात् सदस्य दिवंगत आत्मा के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिये एक मिनट तक मौन खड़े रहे।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ५१३४

निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखे गये :—

(१) संविधान के अनुच्छेद १५१(१) के अन्तर्गत विनियोग लेखा (असैनिक), १९५५–५६ (प्रोफार्मा वाणिज्यिक लेखे सहित) तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, १९५७ की एक प्रति।

(२) धोतियां (अतिरिक्त उत्पादन शुल्क), अधिनियम, १९५३ की धारा ५ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ३९२, दिनांक १ फरवरी, १९५८ में प्रकाशित धोतियां (सामूहिक अभ्यंश का निर्धारण) नियम, १९५८ की एक प्रति।

(३) रबड़ अधिनियम, १९४७ की धारा २५ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत रबड़ नियम, १९५५ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक १२ अप्रैल, १९५८ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० २२६ की एक प्रति।

(४) मजदूर मालिक सहयोग सम्बन्धी गोष्ठी के बारे में पुस्तिका की एक प्रति।

वर्ष १९५४-५५ के लिये अतिरिक्त अनुदानों की मांगों के बारे में विवरण ५१३५

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) ने वर्ष १९५४–५५ के लिये आयव्ययक (सामान्य) के बारे में अतिरिक्त अनुदानों की मांगों का एक विवरण उपस्थापित किया।

प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन ५१३५

दसवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया।

विषय पृष्ठ

समितियों के लिये प्रस्ताव . . . ५१३५-३६

(१) श्री ब० गो० मेहता ने प्रस्ताव किया कि लोक-सभा के सदस्य प्राक्कलन समिति के सदस्य के रूप में काम करने के लिये १ मई, १९५८ से आरम्भ होने वाले और ३० अप्रैल, १९५८ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये अपने में से तीस सदस्य चुनें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(२) श्री त्रि० ना० सिंह ने प्रस्ताव किया कि लोक-सभा के सदस्य लोक-लेखा समिति के सदस्य के रूप में काम करने के लिये १ मई, १९५८ से आरम्भ होने वाले और ३० अप्रैल, १९५९ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये अपने में से १५ सदस्य चुनें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

लोक-लेखा समिति में राज्य-सभा के सदस्यों को सम्मिलित किये जाने के बारे में प्रस्ताव ५१३६-३७

श्री त्रि० ना० सिंह ने प्रस्ताव किया कि लोक-सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह १ मई, १९५८ से आरम्भ होने वाले और ३० अप्रैल, १९५९ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये इस सभा की लोक-लेखा समिति में सम्मिलित होने के लिये राज्य सभा के सात सदस्य मनोनीत करने और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार मनोनीत सदस्यों के नाम इस सभा को बताने के लिये सहमत हो जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित ५१३७-३८

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) ने विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९५८ पर विचार करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खण्डवार विचार के पश्चात् विधेयक पारित हुआ।

विधेयक विचाराधीन . . . . . . ५१३८—७८

वित्त विधेयक, १९५८ पर विचार करने के प्रस्ताव पर आगे चर्चा समाप्त हुई तथा प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

बुधवार, २३ अप्रैल, १९५८ के लिये कार्यावलि—

वित्त विधेयक, १९५८ पर खण्डवार विचार; दान कर विधेयक, १९५८ पर विचार।

विषय-सूची—(जारी)

	पृष्ठ
डा० सुब्बारायन	५१४४—४५
श्री झुनझुनवाला	५१४५—४६
श्री विमल घोष	५१४६—५१
श्री रंगा	५१५२—५३
श्री राम शरण	५१५३—५६
डा० कृष्णस्वामी	५१५७—५८
डा० सुशीला नायर	५१५९—६०
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा	५१६०—६५
श्रीमती इला पालचौधरी	५१६५—६६
श्री वासुदेवन् नायर	५१६६—६८
श्री मोरारजी देसाई	५१६८—७८
दैनिक संक्षेपिका	५१७९—८३
समेकित विषय-सूची (८ अप्रैल से २२ अप्रैल, १९५८) . .	(१—७)